भारतीय रिज़र्व बैंक
संपदा विभाग
चेन्नई

ई-निविदा संख्या- 2026_RBI_296665

के लिए ई-निविदा/बोली

भारतीय रिज़र्व बैंक, चेन्नई के मुख्य कार्यालय के लिए माइक्रोप्रोसेसर आधारित सुरक्षा अलार्म प्रणाली का डिजाइन, आपूर्ति, स्थापना, परीक्षण और चालू करना (डीएसआईटीसी)

भाग – I

(तकनीकी-वाणिज्यिक बोली)

*[**श्री यारासी जयकुमार**, क्षेत्रीय निदेशक, भारतीय रिजर्व बैंक, चेन्नई – 01]*

सूची

S.No	विवरण		
1.	खंड I	**निविदा आमंत्रित करने की सूचना (एनआईटी)**	
2.	खंड II	**निविदा का रूप**	
3.	खंड III	**बोलीदाताओं को निर्देश**	
	उपवाक्य	1.	कार्य का नाम
		2.	कार्य का संक्षिप्त दायरा
		3.	केंद्रीय सार्वजनिक खरीद पोर्टल (सीपीपीपी) पर ई-निविदा
		4.	पात्रता मानदंड
		5.	निविदा प्रक्रिया
		6.	बयाना जमा राशि (ईएमडी)
		7.	प्री-बिड मीटिंग
		8.	विचलन
		9.	वैधता
		10.	भाषा
		11.	मूल्य-बोली में दरें (भाग II)
		12.	सफल बोलीदाता
		13.	समझौते का अनुच्छेद
		14.	साइट की स्थिति
		15.	प्रतिबंध/अदालती मामला
		16.	भारत के साथ भूमि सीमा साझा करने वाले देश
		17.	अखंडता समझौता
	खंड III (A)	**मूल्यांकन मानदंड**	
4.	धारा IV	**अनुबंध की सामान्य शर्तें**	
	उपवाक्य	1.	व्याख्या खंड
		2.	अनुबंध का दायरा
		3.	बैंक द्वारा अनुमोदित की जाने वाली विविधताएं
		4.	आहरण, मात्रा और समझौते का बिल
		5.	ठेकेदार को अपनी लागत पर आवश्यक सभी चीजें प्रदान करने के लिए
		6.	प्राधिकरण, नोटिस और पेटेंट
		7.	काम से बाहर निकलना
		8.	विवरण के अनुरूप सामग्री और कारीगरी
		9.	ठेकेदार का अधीक्षण और कार्यों पर प्रतिनिधि
		10.	कामगारों की बर्खास्तगी

S.No	विवरण		
		11.	कार्यों तक पहुंच
		12.	बैंक के प्रतिनिधि
		13.	असाइनमेंट और सब-लेटिंग
		14.	परिवर्तन, परिवर्धन, चूक आदि
		15.	मात्रा का बिल
		16.	मात्रा के बिल की पर्याप्तता
		17.	कार्यों का मापन
		18.	माप पुस्तक
		19.	अतिरिक्त वस्तुओं के मूल्य आदि का पता लगाना
		20.	अनिश्चित सामग्री
		21.	अनुचित कार्य को हटाना
		22.	आभासी समापन के बाद दोष
		23.	आभासी पूर्णता का प्रमाण पत्र
		24.	नामित उप-ठेकेदार
		25.	बैंक द्वारा नियोजित अन्य व्यक्ति
		26.	व्यक्ति और संपत्ति को नुकसान के संबंध में बीमा
		27.	प्रारंभ और समापन की तिथि
		28.	परिसमापन नुकसान
		29.	देरी और समय का विस्तार
		30.	बैंक के निर्देशों का पालन करने में ठेकेदार द्वारा विफलता
		31.	बैंक द्वारा अनुबंध की समाप्ति
		32.	ठेकेदार द्वारा अनुबंध की समाप्ति
		33.	प्रमाण पत्र और भुगतान
		34.	विलंबित भुगतान
		35.	मध्यस्थता द्वारा विवाद का निपटान
		36.	अंतिम विधेयक की तकनीकी जांच का अधिकार
		37.	बैंक कामगारों को दिए गए मुआवजे की वसूली करने का हकदार है
		38.	कार्यों का परित्याग
		39.	अधिशेष सामग्री की वापसी
		40.	ठेकेदार की मृत्यु की स्थिति में अनुबंध समाप्त करने का बैंक का अधिकार
		41.	दुर्घटना की रिपोर्ट
		42.	कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की रोकथाम
		43.	गैर - प्रकटीकरण खंड

S.No	विवरण		
		44.	कार्यक्रम चार्ट/प्रगति रिपोर्ट
		45.	वैधानिक अनुमोदन
		46.	प्रतिबंध/अयोग्यता
		47.	पैकिंग और प्रेषण
		48.	पुलिस सत्यापन
5	खंड V	**अनुबंध की विशेष शर्तें**	
		1.	पूरा होने का समय
		2.	सुरक्षा जमा राशि (एसडीएम)
		3.	भुगतान की शर्तें
		4.	बुनियादी कीमतें
		5.	प्रदर्शन बैंक गारंटी (सीएएमसी)
		6.	फैक्टरी निरीक्षण
6	धारा VI	**परिशिष्ट यहां पहले संदर्भित किया गया है**	
7	धारा VII	**सुरक्षा कोड**	
		अ. सामान्य सुरक्षा	
		आ. आग और विद्युत सुरक्षा	
8	धारा VIII	**काम का दायरा**	
9.	खंड IX	**बोलीदाता द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले तकनीकी विवरण**	
10.	खंड X	**निविदा के भाग II की मात्रा का अमूल्य बिल/छवि**	
	अनुलग्नक		
एक	अनुलग्नक I	प्रस्ताव पर हस्ताक्षर करने के लिए पावर ऑफ अटॉर्नी का प्रारूप	
दो.	अनुलग्नक II	सीपीपीपी पर ई-टेंडरिंग की प्रक्रिया	
तीन	अनुलग्नक III	फर्म/बोलीदाता के विवरण के लिए प्रारूप	
चार	अनुलग्नक IV	योग्य कार्यों के लिए प्रारूप	
पाँच	अनुलग्नक V	क्लाइंट प्रमाणपत्रों का प्रारूप	
छः.	अनुलग्नक VI	बैंकर के प्रमाण पत्र / सॉल्वेंसी प्रमाण पत्र के लिए प्रारूप	
सात	अनुलग्नक VII	बयाना राशि जमा के बदले बैंक गारंटी का प्रोफार्मा	
आठ	अनुलग्नक VIII	तकनीकी-वाणिज्यिक स्थितियों में विचलन	
नौ.	अनुलग्नक IX	समझौते के अनुच्छेद का प्रारूप	
दस	अनुलग्नक X	प्रदर्शन बैंक गारंटी/रिटेंशन मनी डिपॉजिट का प्रोफार्मा	
ग्यार	अनुलग्नक XI	भारत के साथ देश की भूमि सीमा साझा करने के संबंध में बोलीदाता द्वारा उपक्रम / घोषणा / प्रमाण पत्र के लिए प्रोफार्मा	
बार	अनुलग्नक XII	बोली में भाग लेने के लिए प्राधिकरण पत्र	

S.No	विवरण	
तेरह	अनुलग्नक XIII	बोलीदाता द्वारा कानूनी कार्रवाई/सिविल मुकदम/मुकदमेबाजी/मध्यस्थता पर उपक्रम
चौद	अनुलग्नक XIV	सार्वजनिक संस्थानों द्वारा प्रतिबंध की घोषणा
पंद्र	अनुलग्नक XV	व्यापक वार्षिक रखरखाव अनुबंध के लिए प्रारूप
सोल	अनुलग्नक XVI	स्थानीय सामग्री की घोषणा

खंड-I

ई-टेंडर आमंत्रित करने की सूचना (एनआईटी)

भारतीय रिज़र्व बैंक, चेन्नई के मुख्य कार्यालय के लिए माइक्रोप्रोसेसर आधारित सुरक्षा अलार्म प्रणाली का डिजाइन, आपूर्ति, स्थापना, परीक्षण और चालू करना (डीएसआईटीसी)

भारतीय रिज़र्व बैंक चेन्नई ने कैप्शन वाले कार्य के लिए दो भागों *में ई-टेंडर* आमंत्रित *किया है। कार्य की अनुमानित लागत* ₹23.22 *है और इसे कार्य आदेश जारी होने के 14वें दिन से 03 महीने* के भीतर पूरा किया जाना है *।*

2. **पात्रता मानदंड:** निविदा की धारा III खंड 4 के अनुसार।

3. ई-टेंडर किसके द्वारा किया जाएगा **केंद्रीय सार्वजनिक खरीद पोर्टल (सीपीपीपी)** https://etenders.gov.in/eprocure/app आरबीआई की ओर से तीसरे पक्ष के रूप में। इसलिए, इच्छुक फर्मों को निविदा प्रक्रिया में भाग लेने के लिए सीपीपी पोर्टल पर पंजीकरण करना आवश्यक है। सीपीपीपी पर पंजीकरण और ई-निविदा की प्रक्रिया के बारे में विवरण यहां संलग्न किया गया है। **अनुलग्नक II.** ई-टेंडर दो भागों में ऑनलाइन जमा किया जाएगा। ई-टेंडर के भाग I में प्रस्तावित कार्य के लिए मानक तकनीकी और वाणिज्यिक स्थितियां होंगी और ई-टेंडर के भाग II में मूल्य बोली शामिल होगी। दस्तावेजी प्रमाणों के साथ सभी आवश्यक अनुलग्नक भी निविदा के भाग I के साथ अपलोड किए जाएंगे। यह एक ई-निविदा बोली है और बोलीदाताओं को खोलने के लिए उपस्थित होने की आवश्यकता नहीं है

4. बैंक सबसे कम बोली स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं है और किसी भी निविदा को पूर्ण या आंशिक रूप से स्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। बैंक अपने विवेकाधिकार पर किसी भी या सभी निविदाओं को अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है, इसके लिए कोई कारण बताए बिना।

5. बैंक परिशिष्ट/शुद्धिपत्र/मिनट/पूर्व-बोली बैठक जारी करने का अधिकार सुरक्षित रखता है, जिसे केवल आरबीआई और सीपीपीपी की आधिकारिक वेबसाइट पर प्रकाशित किया जाएगा। इस तरह के अपडेट निविदा दस्तावेज का एक अभिन्न अंग होंगे, और व्यक्तिगत बोलीदाताओं को कोई अलग अधिसूचना नहीं भेजी जाएगी। किसी भी संशोधन के लिए इन पोर्टलों की निगरानी करना बोलीदाता की एकमात्र जिम्मेदारी है।

6. निविदा (एसओटी) के लिए अनुसूची इस प्रकार है:

	ई-निविदा सं.	**2026_RBI_296665**
१.	निविदा का तरीका	ई-प्रोक्योरमेंट सिस्टम (ऑनलाइन भाग I - तकनीकी-वाणिज्यिक बोली और भाग II - सीपीपी पोर्टल के माध्यम से मूल्य बोली https://etenders.gov.in/eprocure/app
२.	अनुमानित लागत	रु. 23.22 लाख
३.	कार्य पूरा करने की समय अवधि	कार्य आदेश जारी होने से 14वें दिन से 03 महीने

४.	बयाना धन जमा (केवल एनईएफटी/डिमांड ड्राफ्ट/बैंक गारंटी के माध्यम से)	**प्रत्येक बोलीदाता से ₹46,440.00** **ए) एनईएफटी/आरटीजीएस** लाभार्थी का नाम: भारतीय रिजर्व बैंक, चेन्नई आईएफएससी: RBIS0CNPA01 (बाएं से 5वें और 10वें स्थान पर संख्यात्मक शून्य)। खाता संख्या: 186003001 **ख) डिमांड ड्राफ्ट/बैंकर चेक/बैंक गारंटी:** भारतीय रिज़र्व बैंक के पक्ष में संपदा विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक, फोर्ट ग्लेसिस, नंबर 16, राजाजी सलाई, चेन्नई - 600 001 में भौतिक रूप में वितरित किया जाना चाहिए
५.	सीपीपी पोर्टल/आरबीआई वेबसाइट पर डाउनलोड के लिए ई-निविदा दस्तावेज की उपलब्धता की तिथि	03 नवंबर, 2026 शाम 05:00 बजे से
६.	भाग I (तकनीकी-वाणिज्यिक बोली) और भाग II (मूल्य बोली) प्रस्तुत करने के लिए ई-निविदा की प्रारंभिक तिथि	16 नवंबर, 2026 सुबह 11:00 बजे से
७.	प्री-बिड मीटिंग की तिथि और समय	ऑफलाइन, 11 नवंबर, 2026 को सुबह 11:00 बजे (स्थान: भारतीय रिजर्व बैंक, संपदा विभाग, दूसरी मंजिल, राजाजी सालाई, फोर्ट ग्लैसिस, चेन्नई-600001)
८.	आरबीआई की वेबसाइट/सीपीपीपी पर पूर्व-बोली बैठक के कार्यवृत्त प्रकाशित करने की तिथि	13 नवंबर, 2026 को
९.	ईएमडी जमा करने की अंतिम तिथि और समय	23 नवंबर, 2026 तक दोपहर 2:00 बजे तक (हमारे खाते में परिलक्षित होना चाहिए)
१०.	निविदा जमा करने की अंतिम तिथि और समय	23 नवंबर, 2026 दोपहर 03.00 बजे तक
११.	अ. भाग I (तकनीकी-वाणिज्यिक बोली) के खुलने की तिथि और समय आ. भाग II के खुलने की तिथि (मूल्य बोली)	24 नवंबर, 2026 को दोपहर 3:00 बजे भाग-I के प्रस्तावों की जांच के बाद योग्य पाए गए बोलीदाताओं के लिए ही निविदा का भाग-II खोला जाएगा। योग्य बोलीदाताओं को अलग से ईमेल के माध्यम से सूचित किया जाएगा
१२.	इस निविदा पर किसी भी स्पष्टीकरण के संबंध में अधिकारियों का नाम/ईएमडी आदि के ब्यौरे को अग्रेषित करना।	a) श्री. रिजेश आर. एन. (सहायक महाप्रबंधक) 044-2561 9261 / rijeshrn@rbi.org.in b) श्री. नितिन जे. सेबास्टियन (मैनेजर-विद्युत) 044-2561 9847 /nithinjsebastian@rbi.org.in c) श्री. अभिषेक देशमुख (सहायक प्रबंधक, संपदा विभाग) 044-2539 9066 /adeshmukh@rbi.org.in

खंड II
निविदा का प्रपत्र

श्री यारासी जयकुमार
क्षेत्रीय निदेशक
भारतीय रिज़र्व बैंक
फोर्ट ग्लेसिस, नंबर 16, राजाजी सलाई,
चेन्नई – 600 001

महोदया/प्रिय महोदय,

इसके बाद ज्ञापन में निर्दिष्ट कार्यों से संबंधित ड्राइंग, विनिर्देशों, डिजाइनों और मात्रा के बिल की जांच करने और उक्त ज्ञापन में निर्दिष्ट कार्यों के स्थल का दौरा करने और जांच करने और निविदा को प्रभावित करने के रूप में उससे संबंधित अपेक्षित जानकारी प्राप्त करने के बाद, मैं/हम एतद्द्वारा उक्त ज्ञापन में निर्दिष्ट कार्यों को संलग्न मात्रा के बिल में उल्लिखित दरों पर और बोलीदाताओं को सामान्य निर्देशों में निर्दिष्ट विनिर्देशों, डिजाइनों, रेखाचित्रों और लिखित रूप में निर्देशों के अनुसार सभी मामलों के अनुसार, बोलीदाताओं को सामान्य निर्देशों, समझौते के लेखों, अनुबंध की विशेष शर्त, यहां से पहले संदर्भित अनुबंध की सामान्य स्थिति, विनिर्देशों, डेटा शीट और मात्रा के बिल और ऐसी सामग्रियों के साथ जो प्रदान की जाती हैं, ऐसी शर्तों के अनुसार, जहां तक वे लागू हो सकते हैं।

ज्ञापन

१.		कार्यों का नाम	भारतीय रिज़र्व बैंक, चेन्नई के मुख्य कार्यालय के लिए माइक्रोप्रोसेसर आधारित सुरक्षा अलार्म प्रणाली का डिजाइन, आपूर्ति, स्थापना, परीक्षण और चालू करना (डीएसआईटीसी)
२.		अनुमानित लागत	रु. 23.22 लाख
३.		भुगतान की शर्तें	निविदा के खंड V भाग I के खंड 5 के अनुसार
४.		बयाना धन जमा	₹46,440/-
५.		प्रदर्शन बैंक गारंटी	निविदा के खंड V भाग I के खंड 2 के अनुसार
६.		पूरा होने का समय	निविदा के खंड V भाग I के खंड 1 के अनुसार

७.		प्रत्येक बिल से काटी जाने वाली राशि	@ 5% प्रत्येक ऑन-अकाउंट बिल से तब तक वसूल किया जाना है जब तक कि कुल वसूली निविदा दस्तावेज में निर्धारित अनुबंध मूल्य का 5% नहीं हो जाती है या अनुबंध मूल्य का @ 5% का बीजी जमा नहीं कर देती।

2. हम इस बात से भी सहमत हैं कि हमारी निविदा **निविदा के भाग । के खुलने की तारीख से 90 दिनों के लिए बैंक द्वारा स्वीकृति के लिए वैध रहेगी और वैधता की इस अवधि को ऐसी अवधि के लिए बढ़ाया जा सकता है जो बैंक और हमारे बीच लिखित रूप में पारस्परिक रूप से सहमत हो सकती है। हम** संलग्न **प्रोफार्मा (**अनुलग्नक VII) के अनुसार निविदा की वैधता की पूरी अवधि और विस्तारित अवधि, यदि कोई हो, के दौरान **बयाना धन जमा (ईएमडी) <u>के लिए बैंक गारंटी</u> को वैध रखने के लिए भी सहमत हैं।**

3. यदि हमारी निविदा स्वीकार की जाती है, तो हम अनुबंध के सभी नियमों और शर्तों का पालन करने और उन्हें पूरा करने के लिए सहमत हैं। हमारी ओर से किसी भी चूक की स्थिति में, हम बैंक के अपने बयाना धन जमा [ईएमडी] को जब्त करने के अधिकार को स्वीकार करते हैं और बैंक या उसके उत्तराधिकारियों, या असाइनियों या नामांकित व्यक्तियों को भुगतान करने के लिए सहमत होते हैं, ऐसी किसी भी राशि का भुगतान करने के लिए सहमत होते हैं जो उक्त शर्तों में निर्धारित हैं।

4. यदि हमारी निविदा स्वीकार की जाती है, तो हम इसके द्वारा निविदा के सभी नियमों और शर्तों का पालन करने और उन्हें पूरा करने के लिए सहमत हैं। इसके किसी भी चूक की स्थिति में, हम बैंक के अधिकार को जब्त करने के अधिकार को स्वीकार करते हैं..... और बैंक या उसके उत्तराधिकारियों, या समनुदेशितियों या नामांकित व्यक्तियों को ऐसी रकम का भुगतान करने के लिए सहमत होते हैं जो अनुबंध की लिखित स्वीकृति के साथ निविदा में निहित शर्तों में निर्धारित हैं।

5. हम स्वीकार करते हैं कि आप किसी भी या सभी निविदाओं को स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखते हैं, या तो पूर्ण या आंशिक रूप से, बिना कोई कारण बताए के। यदि हम ऐसा करने के लिए बुलाए जाने पर अनुबंध को निष्पादित करने में विफल रहते हैं, तो हम एतद्द्वारा सहमत हैं कि जमा ईएमडी को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जब्त कर लिया जाएगा।

6. हम एतद्द्वारा घोषणा करते हैं कि हम निविदा दस्तावेजों और कार्य से जुड़े अन्य अभिलेखों को गुप्त/गोपनीय दस्तावेजों के रूप में मानेंगे। हम किसी भी व्यक्ति के अलावा किसी भी व्यक्ति/उससे प्राप्त किसी भी व्यक्ति को सूचित नहीं करने का वचन देते हैं, जिसे मैं/हम इसे संप्रेषित करने के लिए अधिकृत हैं, न ही हम किसी भी तरह से जानकारी का उपयोग करेंगे जो भारतीय रिज़र्व बैंक की सुरक्षा, सुरक्षा या हितों के लिए हानिकारक हो सकता है।

..... इस दिन की तारीख 2026.

मैसर्स के लिए और उसकी ओर से

(मुहर के साथ अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर)

नाम _____

पदनाम _____

स्थान _____

तारीख _____

(अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के रूप में उपरोक्त हस्ताक्षरकर्ता के बोर्ड संकल्प या जनादेश या पावर ऑफ अटॉर्नी की प्रमाणित सच्ची प्रति प्रारूप अनुलग्नक । के अनुसार संलग्न की जानी चाहिए।

खंड III
बोलीदाताओं के लिए सामान्य निर्देश

यह दो भागों यानी भाग I (तकनीकी-वाणिज्यिक) और भाग II (मूल्य बोली) में एक खुली/सीमित ई-निविदा पूछताछ है। केवल वे बोलीदाता जो निविदा में निर्धारित पूर्व-योग्यता/पात्रता मानदंड के अनुसार कार्य के लिए योग्य हैं, इस निविदा में भाग लेने के पात्र हैं।

2. कार्य का संक्षिप्त दायरा: कार्य का संक्षिप्त दायरा नीचे दिया गया है

भारतीय रिजर्व बैंक चेन्नई ने फोर्ट ग्लेसिस चेन्नई में अपने मुख्य कार्यालय भवन में सुरक्षा अलार्म सिस्टम स्थापित किया है, जिसे 23.22 लाख रुपये की अनुमानित लागत से एक नई प्रणाली से बदला जाना है।

तथापि, कार्य के विस्तृत दायरे **का उल्लेख इस निविदा के खंड** VI में किया गया है।

3. **सीपीपीपी पर ई-निविदा:** ई-निविदा की प्रक्रिया अनुलग्नक II में विस्तृत की गई है। फर्मों का विवरण अनुलग्नक III में निर्दिष्ट प्रारूप में प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है। पूरा होने की अवधि के साथ कार्य की अनुमानित लागत का उल्लेख खंड I में किया गया है।

4. **पात्रता मानदंड**: केवल ओईएम (मूल उपकरण निर्माता) / सुरक्षा अलार्म सिस्टम के डीलर अनुलग्नक XII के अनुसार अनुमोदित सुरक्षा अलार्म सिस्टम के ओईएम द्वारा विधिवत अधिकृत हैं और निम्नलिखित मानदंडों को पूरा करते हैं।

4.1 **पिछले अनुभव की अवधि**: इसी तरह के कार्यों को निष्पादित करने का अनुभव कम से कम 5 साल होना चाहिए * (पिछले 5 वर्षों के दौरान महीने के अंतिम दिन को समाप्त होने वाले पिछले 5 वर्षों के दौरान जिसमें से एक निविदाएं आमंत्रित की जाती हैं)। बोलीदाता को 5 साल के न्यूनतम अनुभव के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत करना चाहिए।

4.2 **प्रत्येक पूर्ण कार्य का न्यूनतम मूल्य (योग्यता)**: अनुभव पिछले 5 वर्षों के दौरान इसी तरह के कार्यों को सफलतापूर्वक पूरा करने के बाद, पिछले महीने के अंतिम दिन को समाप्त करने के बाद, जिनमें से एक निविदाएं आमंत्रित की गई हैं, निम्नलिखित में से कोई एक होना चाहिए:

१. तीन समान पूर्ण किए गए कार्य जिनमें से प्रत्येक की लागत अनुमानित लागत के 40% के बराबर राशि से कम नहीं है।

या

२. दो समान पूर्ण किए गए कार्य जिनमें से प्रत्येक की लागत अनुमानित लागत के 50% के बराबर राशि से कम नहीं होगी।

या

३. एक समान कार्य की लागत अनुमानित लागत के 80% के बराबर राशि से कम नहीं है।

*** इसी तरह का काम**: बैंक के मुख्य कार्यालय भवन, आरबीआई चेन्नई के लिए माइक्रोप्रोसेसर आधारित सुरक्षा अलार्म सिस्टम का डिजाइन, आपूर्ति, स्थापना, परीक्षण और कमीशनिंग

4.3 **वार्षिक कारोबार**: 31 मार्च को समाप्त होने वाले पिछले तीन वित्तीय वर्षों के दौरान अनुमानित लागत या उससे अधिक का 100 प्रतिशत।

तथा

4.4 **ऋणशोध क्षमता:** बोलीदाता के बैंकर द्वारा जारी किए गए सॉल्वेंसी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना चाहिए, विशेष रूप से काम के उद्देश्य के लिए, काम की अनुमानित लागत के बराबर राशि के लिए।

तथा

a. **सेवा सेटअप:** चेन्नई/तिरुवल्लूर/चेंकलपेट्टू/कांचीपुरम में निर्दिष्ट नौकरी के लिए पूर्ण सेवा सेटअप उपलब्ध होना चाहिए

तथा

b. **स्थानीय सामग्री:** केवल श्रेणी-I स्थानीय आपूर्तिकर्ता और श्रेणी-II स्थानीय आपूर्तिकर्ता सार्वजनिक खरीद (मेक इन इंडिया को वरीयता), आदेश 2017 (उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के आदेश संख्या P45021/2/2017-B.E. II दिनांक 15 जून 2017) और इसके बाद के संशोधनों के अनुसार बोली लगाने के पात्र होंगे। किसी आपूर्तिकर्ता को 'श्रेणी-I स्थानीय आपूर्तिकर्ता' के रूप में वर्गीकृत करने के लिए 'स्थानीय सामग्री' की आवश्यकता न्यूनतम 50% है और श्रेणी-II स्थानीय आपूर्तिकर्ता के लिए न्यूनतम 20% है। बोलीदाता अनुलग्नक XVI में निर्दिष्ट प्रारूप में स्थानीय सामग्री की सीमा को प्रमाणित करते हुए एक विधिवत हस्ताक्षरित घोषणा प्रस्तुत करेगा।

4.7 बोलीदाताओं को ई-निविदा प्रक्रिया में भाग लेने की पात्रता के बारे में बैंक को संतुष्ट करने के लिए निविदा दस्तावेजों के साथ निम्नलिखित जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत करने चाहिए।

१.	बोलीदाता का विवरण	विवरण में बोलीदाताओं की फर्म की संरचना का पूरा विवरण (चाहे बोलीदाता एक व्यक्ति हो, या एक साझेदारी फर्म, या एक कंपनी आदि) को भागीदार की एसोसिएशन के लेखों/पावर ऑफ अटॉर्नी/अन्य प्रासंगिक दस्तावेज की प्रति के नाम (ओं) और पते (ओं) के साथ अपलोड किया जाना चाहिए। **संदर्भ: अनुलग्नक । और III**
२.	कार्य अनुभव और निर्दिष्ट अवधि के दौरान निर्दिष्ट मूल्य के समान कार्यों को पूरा करना	(i) बोलीदाता को प्रदान **की गई समान सेवाओं के ग्राहक-वार नाम और वास्तविक लागत, अनुबंध में निर्धारित पूरा होने की तारीख और पूरा होने की वास्तविक तारीख आदि को दर्शाने के लिए यहां संलग्न अनुलग्नक IV में जानकारी भरनी चाहिए और पूर्ण की गई समान सेवाओं के न्यूनतम पांच वर्षों के अनुभव के प्रमाण के रूप में दस्तावेजी साक्ष्य के साथ प्रस्तुत करना चाहिए।** क) विस्तृत कार्य आदेश और समझौते की प्रतियां, पुरस्कार की तारीख, अनुबंध राशि, कार्य/सेवाओं का दायरा, कार्य पूरा करने के लिए दिया गया समय, आदि और संबंधित पूर्णता प्रमाण पत्र (ओं) के पूरा होने की वास्तविक तारीख और निष्पादित समान कार्य के वास्तविक मूल्य को इंगित करते हुए ग्राहक (ओं) द्वारा जारी किए गए। सरकारी / सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों के लिए निष्पादित कार्यों के लिए और निजी कंपनियों के लिए निष्पादित कार्यों के लिए ग्राहक

		(ओं) द्वारा जारी स्रोत पर कर कटौती (टीडीएस) प्रमाण पत्र (ओं) के साथ कार्य आदेश, समझौते, कार्य पूर्णता प्रमाण पत्र की प्रतियां। (ii) किसी अन्य कार्यालय में भारतीय रिज़र्व बैंक के लिए कार्य करने के पिछले अनुभव, यदि कोई हो, के दस्तावेजी साक्ष्य के साथ विवरण भी दिया जाना चाहिए।
३.	बोलीदाता की ऋण योग्यता और निर्दिष्ट अवधि के दौरान उनका कारोबार	चार्टर्ड एकाउंटेंट द्वारा विधिवत प्रमाणित फर्म के व्यवसाय के नवीनतम अंतिम खातों के साथ आयकर निर्धारण आदेश को पिछले तीन वर्षों के लिए उनकी साख और कारोबार के प्रमाण के साथ संलग्न किया जाना चाहिए।
४.	सेवा सेटअप	चेन्नई/तिरुवल्लूर/चेंकलपेट्टू/कांचीपुरम में पूर्ण सेवा सेटअप के समर्थन में निर्माताओं से प्रमाण पत्र/कोई अन्य वैध दस्तावेज संलग्न किया जाना चाहिए। **(अनुलग्नक III)**
५.	क्लाइंट प्रमाण पत्र	प्रारूप **में अनुलग्नक V प्रत्येक ग्राहक से।**
६.	सॉल्वेंसी/बैंकर सर्टिफिकेट	अनुलग्नक VI **के प्रारूप में**

4.8 आवेदन करने के इच्छुक बोलीदाता को अपनी आवश्यक पात्रता के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत करके बैंक को संतुष्ट करना होगा। बैंक किसी भी बोलीदाता की उम्मीदवारी को अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है जो ऐसा करने में विफल रहता है। जबकि बैंक स्पष्टीकरण का अनुरोध करने या गुम प्रशासनिक प्रमाणपत्रों का अनुरोध करने और उन्हें स्वतंत्र रूप से सत्यापित करने का अधिकार रखता है, कोई भी दस्तावेज मनगढ़ंत, जाली या परिवर्तित पाया जाता है, जिससे बोली की तत्काल अस्वीकृति और संभावित प्रतिबंध हो जाएगा।

4.9 बैंक जमा किए गए सॉल्वेंसी प्रमाणपत्रों को मान्य करने के साथ-साथ अपने ग्राहकों और बैंकरों से बोलीदाताओं के पिछले प्रदर्शन पर रिपोर्ट प्राप्त करेगा। निविदाओं के भाग-II को खोलने से पहले उक्त रिपोर्टों का मूल्यांकन पूरा किया जाएगा। यदि किसी बोलीदाता को प्रक्रिया के किसी भी चरण में आवश्यक पात्रता नहीं पाई जाती है, या यदि उसके ग्राहकों/बैंकरों से प्राप्त उसकी प्रदर्शन रिपोर्ट असंतोषजनक पाई जाती है, तो बैंक निविदा के भाग-I के खुलने के बाद भी उसके प्रस्ताव को अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। नतीजतन, उसकी भाग II बोली नहीं खोली जाएगी और ईएमडी उसे उसके मूल रूप में वापस कर दिया जाएगा। बैंक इस तरह के कार्यों के लिए कोई कारण बताने के लिए बाध्य नहीं है।

5. निविदा प्रक्रिया: **क.** उपरोक्त कार्य के लिए निविदाएं **दो भागों में हैं**, अर्थात, **भाग I** जिसमें कैप्शन वाली निविदा की वाणिज्यिक-तकनीकी बोली शामिल है, और नियम और शर्तें (दरें और वस्तुओं की मात्रा इस भाग में कहीं भी दिखाई नहीं देगी) और **भाग II जिसमें** केवल दरें शामिल हैं, को एनआईटी के अनुसार सीपीपी पोर्टल पर अपलोड करने की आवश्यकता है।

जन्म। निविदा का भाग I एनआईटी में उल्लिखित तिथि और समय पर खोला जाएगा।

ग। पात्र बोलीदाताओं का भाग II सभी बोलीदाताओं को सूचित करते हुए बाद की तारीख को खोला जाएगा। विस्तृत मूल्यांकन मानदंड का उल्लेख **खंड III (ए) में किया गया है**

नोट: मांगी गई सभी जानकारी/अनुलग्नक सभी प्रकार से पूर्ण होंगे और सहायक दस्तावेजों के साथ सीपीपी पोर्टल में अपलोड किए जाएंगे। आपूर्ति की गई जानकारी के अलावा अन्य शीटों पर दी गई जानकारी पर विचार नहीं किया जा सकता है। हालांकि, बोलीदाता पेश किए गए उपकरणों के निर्माताओं के केवल प्रासंगिक कैटलॉग/लीफलेट/ब्रोशर अपलोड कर सकते हैं।

6. बयाना जमा राशि (ईएमडी): इच्छुक बोलीदाता बैंक को एनईएफटी के माध्यम से या चेन्नई में भारतीय रिज़र्व बैंक के पक्ष में किसी भी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक पर आहरित डिमांड ड्राफ्ट या बैंकर के चेक द्वारा अनुभाग-I एनआईटी में उल्लिखित राशि का भुगतान करेंगे। वैकल्पिक रूप से बोलीदाता संलग्न प्रोफार्मा (अनुलग्नक - VII) **में ईएमडी के लिए एक समान राशि के लिए किसी भी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक से** एक अपरिवर्तनीय बैंक गारंटी/ईबीजी (इलेक्ट्रॉनिक बीजी) भी प्रस्तुत कर सकता है। ईएमडी के लिए प्रस्तुत बैंक गारंटी निविदाओं को प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि से न्यूनतम 90 दिनों तक (धारा III के खंड 9 में निविदा वैधता अवधि से मेल खाती है) तक वैध रहेगी। एनईएफटी/डीडी/बैंक गारंटी विवरण का प्रमाण तकनीकी बोली/भाग। के साथ अपलोड किया जाना चाहिए और एनआईटी में उल्लिखित ईमेल द्वारा भी भेजा जाना चाहिए। ईएमडी पर कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा। एक निविदा, जो ऊपर उल्लिखित फॉर्म में ईएमडी के साथ नहीं है, को गैर-उत्तरदायी माना जाएगा, और बैंक द्वारा सरसरी तौर पर अस्वीकार कर दिया जाएगा।

१. असफल बोलीदाताओं का ईएमडी सफल बोलीदाता को काम सौंपने के बाद वापस कर दिया जाएगा। सफल बोलीदाता का ईएमडी सुरक्षा जमा के लिए अपेक्षित बैंक गारंटी जमा करने के बाद वापस कर दिया जाएगा (खंड V के खंड 2 को देखें) दोष देयता अवधि तक बढ़ाई गई पूर्णता अवधि के लिए।

२. **ईएमडी जब्त कर लिया जाएगा यदि बोलीदाता:**

अ. प्रस्तुत किए गए प्रपत्रों, बयानों और अनुचलों में भ्रामक या गलत अभ्यावेदन करता है, किसी भी भौतिक जानकारी, अदालत में लंबित किसी भी कानूनी कार्यवाही के विवरण को दबा देता है जो अन्यथा पात्रता मानदंड पर कोई प्रभाव डाल सकता था; या

आ. बोली वैधता की अवधि के दौरान अपनी बोली वापस ले लेता है; या अनुबंध के पुरस्कार के बाद अनुबंध पर हस्ताक्षर नहीं करता है।

इ. (ख) सरकार ने किसी भी सरकारी एजेंसी द्वारा काली सूची में डाले जाने का आदेश दिया है और निविदा आमंत्रित करने की सूचना की तारीख के अनुसार काली सूची में डालना लागू है।

ई. मूल्य बोली खोलने के बाद बोली वापस ले लेता है।

उ. निर्धारित समय-सीमा के भीतर सौंपे गए कार्य को शुरू करने में विफल रहता है।

ऊ. कार्य आदेश जारी होने के 14 दिनों के भीतर करार के अनुच्छेद पर हस्ताक्षर करने में विफल।

7. प्री-बिड बैठक: निविदा के संबंध में उनके द्वारा उठाए गए किसी भी बिंदु/संदेह को स्पष्ट करने के लिए एनआईटी के अनुसार बोलीदाताओं की एक पूर्व-निविदा ब्रीफिंग बैठक दिनांक और स्थान पर आयोजित की जाएगी। इस बैठक के लिए अलग से कोई संचार नहीं भेजा जाएगा। बोली-पूर्व बैठक में गैर-उपस्थिति बोलीदाता की अयोग्यता का कारण नहीं होगी।

१. स्पष्टीकरण की आवश्यकता वाले बिंदुओं के संबंध में सभी संचार उक्त बैठक से एक दिन पहले पात्र बोलीदाताओं द्वारा एनआईटी में उल्लिखित पते पर लिखित/ईमेल में दिए जाएंगे।

२. बोलीदाताओं को बैंक से निविदा से संबंधित किसी भी मुद्दे पर स्पष्टीकरण मांगने के लिए बोली-पूर्व बैठक में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। इसके बाद पूर्व-बोली बैठक की तारीख में बदलाव के लिए किसी भी अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा। यदि कोई फर्म बोली पूर्व बैठक में भाग नहीं

लेती है, तो भविष्य में किसी भी स्पष्टीकरण पर विचार नहीं किया जाएगा और बोली पूर्व बैठक का कार्यवृत्त उन पर बाध्यकारी होगा।

३. पूर्व-बोली बैठक के बाद निविदा के भाग। में निविदा शर्तों में किसी भी विचलन को शामिल करना/प्रस्तुत करना अस्वीकृति के लिए उत्तरदायी हो सकता है।

४. बोली पूर्व बैठक का कार्यवृत्त और बोली प्रक्रिया के संबंध में जारी किए गए शुद्धिपत्र/संशोधन/परिशिष्ट, यदि कोई हो, केवल बैंक की वेबसाइट और सीपीपीपी में होस्ट किए जाएंगे और किसी भी समाचार पत्र में प्रकाशित नहीं किए जाएंगे

8. **विचलन**: बैंक बोलीदाता द्वारा किसी भी अतिरिक्त शर्तों की शर्त को हतोत्साहित करता है। हालांकि, यदि इच्छुक बोलीदाताओं को लगता है कि निविदा दस्तावेजों (तकनीकी-वाणिज्यिक) के किसी भी नियम और शर्तें उन्हें स्वीकार्य नहीं हैं या उन्हें लगता है कि अतिरिक्त नियमों और शर्तों को शामिल करने की आवश्यकता है, तो वे इन शर्तों या अनुलग्नक VIII के अनुसार प्रारूप में अपलोड की गई अतिरिक्त या संशोधित शर्तों का संकेत दे सकते हैं**।** प्रस्तुत विचलन की जांच की जाएगी और सभी बोलीदाताओं के साथ चर्चा के बाद, बैंक को स्वीकार की जाने वाली शर्तों को बोलीदाताओं को सूचित किया जाएगा। यदि स्वीकार की गई शर्तें कीमत को प्रभावित करती हैं, तो सभी बोलीदाताओं को सलाह दी जाएगी कि वे भाग II में पहले से प्रस्तुत अपनी निविदा राशि से ऊपर या कम प्रतिशत उद्धृत करें। उनकी निविदा राशि से ऊपर या नीचे इस तरह के प्रतिशत का उद्धरण उन शर्तों पर एक निश्चित प्रभाव डालेगा जिन्हें बोलीदाताओं को वापस लेना होगा या बैंक द्वारा स्वीकार की गई शर्त के अनुसार प्राप्त होने वाले अतिरिक्त लाभ को प्राप्त करना होगा। बोलीदाता द्वारा उनकी उद्धृत निविदा राशि से ऊपर या उससे कम उद्धरण प्रतिशत वाले पत्र को बाद में विभाग को निर्धारित तिथि पर या उससे पहले सीलबंद लिफाफे में प्रस्तुत किया जाना चाहिए और बोलीदाताओं को सलाह दी जानी चाहिए। पहले से जमा की गई निविदा दर के साथ इस पत्र को भाग II कहा जाएगा, सलाह दी गई नियत तारीख पर फर्मों के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में खोला जाएगा। अन्य सभी नियम और शर्तें जिन पर इच्छुक बोलीदाताओं द्वारा कोई टिप्पणी नहीं की गई है, बोलीदाता को स्वीकार्य के रूप में निर्मित किया जाएगा।

9. **वैधता**: निविदा के भाग। खोलने की तारीख से 90 दिनों की अवधि के लिए बैंक द्वारा निविदाएं स्वीकृति के लिए खुली रहेंगी। इस अवधि को लिखित रूप में आपसी समझौते द्वारा बढ़ाया जा सकता है और बोलीदाता इस अवधि के दौरान निविदा को रद्द या वापस नहीं लेगा।

10. **भाषा**: निविदा फॉर्म अंग्रेजी या हिंदी में भरा जाएगा / दस्तावेजों के अंग्रेजी और हिंदी संस्करण के बीच किसी भी विसंगति या अस्पष्टता की स्थिति में, व्याख्या के मामलों में अंग्रेजी संस्करण प्रबल होगा।

11. **मूल्य-बोली में दरें (भाग II):** सभी भुगतान INR में किए जाएंगे

१. दरों को पूरे काम के लिए उद्धृत किया जाएगा, यानी सभी करों, मचान, उपभोज्य, श्रम, परिवहन, बीमा, भंडारण, कामगार मुआवजा और तृतीय-पक्ष देयता नीतियों आदि के लिए शुल्क शामिल होंगे, जब तक कि काम अंतिम रूप से बैंक को सौंप नहीं दिया जाता है। बैंक द्वारा किसी भी कर, शुल्क और लेवी के लिए कोई रियायती फॉर्म जारी नहीं किया जाएगा। उपकरण, यदि आयात करने की आवश्यकता होती है, तो बोलीदाताओं के स्वयं के आयात लाइसेंस के खिलाफ आयात करने की व्यवस्था की जाएगी।

२. ऐसी दरें जिनमें बीमा कवर शामिल है जैसा कि अनुबंध की विशेष शर्तों में उल्लिखित है।

12. **सफल बोलीदाता**: खंड III (ए) में उल्लिखित मूल्यांकन मानदंडों के अनुसार।

13. समझौते का लेख: बैंक से अपनी निविदा की स्वीकृति की औपचारिक सूचना/पुरस्कार पत्र/कार्य आदेश प्राप्त होने पर, सफल बोलीदाता कार्य आदेश जारी करने की तारीख से 14 दिनों के भीतर अनुबंध के एक अनुच्छेद (प्रारूप **अनुलग्नक IX के** अनुसार**) पर हस्ताक्षर करने/निष्पादित** करने के लिए अनुबंधित होगा। समझौते को लागू स्टाम्प अधिनियम के अनुसार आवश्यक मूल्य के गैर-न्यायिक स्टाम्प पेपर पर निष्पादित किया जाना चाहिए और इसके लिए लागत पूरी तरह से बोलीदाता द्वारा वहन की जाएगी।

यदि सफल बोलीदाता कार्य आदेश/पुरस्कार पत्र जारी करने की तारीख से 14 दिनों के **भीतर औपचारिक अनुबंध के अनुच्छेद पर हस्ताक्षर करने और निष्पादित करने में विफल रहता है** , तो ऐसी विफलता निविदा शर्तों का उल्लंघन होगी। ऐसी स्थिति में, बैंक निम्नलिखित का पूर्ण अधिकार सुरक्षित रखता है:

१. **अनुबंध का** पुरस्कार रद्द करें।
२. **बोलीदाता को बिना किसी सूचना या वित्तीय दायित्व के बयाना** धन जमा (ईएमडी) को पूरी तरह से जब्त कर लें।
३. **बोलीदाता को एक निर्दिष्ट अवधि के लिए बैंक की भावी निविदाओं में भाग लेने से काली** सूची में डालना या प्रतिबंधित करना।

14. साइट की स्थिति: कार्य को एक कब्जे वाले कार्यालय भवन में किया जाना चाहिए जो काम के घंटों के दौरान काम के मोर्चों की उपलब्धता को प्रतिबंधित कर सकता है। इसलिए बोलीदाताओं को सलाह दी जाती है कि वे साइट की उपलब्धता के अधीन शनिवार/रविवार/बैंक की छुट्टियों के दौरान बैंक के सामान्य कार्य घंटों और पूरे दिन के काम के घंटों से परे काम करने की योजना बनाएं। निविदाएं जमा करते समय उपरोक्त पहलू को ध्यान में रखा जा सकता है।

१. यह आवश्यक है कि बोलीदाता सुरक्षा, धूल और ढीली सामग्री से सुरक्षा, शोर के स्तर में कमी, भवन में पानी और हवा की घुसपैठ से सुरक्षा, और भवन के अंदर और बाहर कार्य क्षेत्रों में और उसके आसपास साफ-सुथरी और व्यवस्थित स्थितियों के रखरखाव से संबंधित सभी मामलों पर विशेष ध्यान और प्राथमिकता दे। पैकेजिंग, स्क्रैप सामग्री और विध्वंस मलबे को दैनिक आधार पर भवन और साइट से तुरंत हटा दिया जाएगा।
२. यदि अनुबंध में ऐसे कार्य शामिल हैं, जो सामान्य व्यावसायिक संचालन के दौरान विघटनकारी होंगे, या भवन में रहने वालों के लिए खतरनाक होंगे, तो कहा गया कार्य घंटों के दौरान किया जाएगा जैसा कि बैंक निर्देशित करता है। बोलीदाता बैंक द्वारा निर्धारित घंटों के दौरान ऐसा कार्य करेगा और अपनी निविदा में सभी लागतों को शामिल करेगा।

15. प्रतिबंध/अदालती मामला:

१. यदि बोलीदाता को किसी अपराध के लिए दोषी ठहराया गया है- (ए) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के तहत; या (बी) भारतीय दंड संहिता या उस समय लागू कोई अन्य कानून, सार्वजनिक खरीद अनुबंध के निष्पादन के हिस्से के रूप में जीवन या संपत्ति की हानि या सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए खतरा पैदा करने के लिए। इस संबंध में, बोलीदाता अपने लेटरहेड पर अंडरटेकिंग/घोषणा/प्रमाण पत्र की एक प्रति प्रस्तुत करेगा, जिसे विधिवत सील किया गया हो और अनुलग्नक XIII में दिए गए प्रारूप में अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा हस्ताक्षरित **किया गया हो**।
२. बोलीदाता किसी भी सार्वजनिक संस्थान द्वारा प्रतिबंध की घोषणा **अनुलग्नक XIV में दिए गए प्रारूप में प्रस्तुत करेगा**।

16. **भारत के साथ भूमि सीमा साझा करने वाले देशों के ठेकेदारों पर नियमों के अनुरूप:** सार्वजनिक खरीद प्रभाग, व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा भारत के साथ भूमि सीमा साझा करने वाले बोलीदाता देशों के संबंध में कार्यालय ज्ञापन (ओएम) एफ. संख्या 6/18/2019-पीपीडी दिनांक 23 जुलाई, 2020 के माध्यम से जारी किए गए अनुदेश/नियम अनिवार्य होंगे। इस संबंध में, बोलीदाता अपने लेटर हेड पर अंडरटेकिंग/घोषणा/प्रमाण पत्र की एक प्रति प्रस्तुत करेगा, जिसे विधिवत सील किया गया हो और अनुलग्नक XI में दिए गए प्रारूप में अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा हस्ताक्षरित **किया गया हो**।

17. **अखंडता समझौता:** लागू नहीं।

----------x----------

खंड III (ए) मूल्यांकन मानदंड

निविदाओं का मूल्यांकन: शुद्ध वर्तमान मूल्य के आधार पर

1. निविदाओं का मूल्यांकन केवल उन बोलीदाताओं के पहले ई-कवर यानी भाग I (तकनीकी-वाणिज्यिक बोली) को खोलने के बाद खंड III (ए) में उल्लिखित पात्रता मानदंडों के आधार पर किया जाएगा, जिन्होंने नियत तारीख को या उससे पहले ईएमडी जमा किया है। ईएमडी जमा करने का प्रमाण पहले ई-कवर में अपलोड किया जाना चाहिए।

2. बोलीदाताओं को पहले ई-कवर यानी भाग I (तकनीकी-वाणिज्यिक बोली) में निविदा दस्तावेज में निर्धारित सभी आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे। केवल उन निविदाओं पर आगे कार्रवाई की जाएगी, जो पात्रता आवश्यकताओं को पूरा करती हैं। प्रस्तुत सूचना और सहायक दस्तावेजों की शुद्धता/वैधता और पर्याप्तता को बैंक द्वारा सत्यापित/जांच की जाएगी। यदि अपलोड की गई निविदा में कोई दस्तावेज गुम है या मनगढ़ंत पाया जाता है, तो बैंक को गुम दस्तावेजों/प्रमाणपत्रों का अनुरोध करने और इन प्रमाणपत्रों को स्वतंत्र रूप से सत्यापित करने का अधिकार होगा। बोलीदाताओं को यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि अपलोड की गई सभी फाइलें पठनीय और अदूषित हैं। यदि कोई अपलोड किया गया दस्तावेज अपठनीय, दूषित या अन्यथा बैंक के लिए पहुंच योग्य नहीं है, तो बैंक कोई दायित्व या जिम्मेदारी वहन नहीं करेगा और बिना किसी विचार के बोलीदाता की उम्मीदवारी को अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

3. तकनीकी पात्रता मानदंडों को पूरा नहीं करने वाले बोलीदाताओं द्वारा प्रस्तुत मूल्य बोलियां नहीं खोली जाएंगी। उनकी अयोग्यता की अधिसूचना उन्हें सूचित की जाएगी।

4. भाग I (तकनीकी-वाणिज्यिक बोली) में अर्हता प्राप्त करने वाले सभी बोलीदाताओं का दूसरा ई-कवर यानी भाग II (मूल्य बोली) वित्तीय मूल्यांकन के लिए खोला जाएगा।

5. **शुद्ध वर्तमान मूल्य:** निविदाओं का मूल्यांकन न केवल सुरक्षा अलार्म सिस्टम के लिए उद्धृत पूंजीगत लागत के आधार पर किया जाएगा, बल्कि दोष देयता अवधि के एक वर्ष की समाप्ति के बाद 7 साल की अवधि के लिए व्यापक सर्व-समावेशी वार्षिक रखरखाव अनुबंध (सीएएमसी) के लिए उद्धृत दरों के प्रभाव को भी ध्यान में रखा जाएगा और शुद्ध वर्तमान मूल्य (एनपीवी) विधि का उपयोग करके सुरक्षा अलार्म (केबल को छोड़कर) के बायबैक मूल्य में कटौती की जाएगी। सीएएमसी राशि के एनपीवी पर पहुंचने के लिए, निम्नलिखित पर विचार किया जाएगा:

१.	छूट कारक	8% प्रति वर्ष
२.	वार्षिक वृद्धि	5% प्रति वर्ष

३.	सीएएमसी की अवधि	7 साल
४.	तकनीशियन की प्रतिनियुक्ति की अवधि	सेवा के लिए तिमाही में एक बार और जब भी बैंक द्वारा शिकायत की जाती है
५.	CAMC की भुगतान शर्तें	सेवा के संतोषजनक समापन के बाद अर्धवार्षिक भुगतान

मूल्यांकन सूत्र इस प्रकार है

स्वामित्व की कुल लागत (TCO) = A - C + B X F1

स्वामित्व की सबसे कम लागत (टीसीओ) वाले बोलीदाता की पहचान एल 1 बोलीदाता के रूप में की जाएगी।
कहा पे,

A = सभी नए उपकरणों की पूंजीगत लागत, जैसा लागू हो
C = पुराने उपकरणों का मूल्य वापस खरीदें, जैसा लागू हो
B = सभी नए उपकरणों का व्यापक एएमसी मूल्य, जैसा लागू हो
F1 = **5.6321**

स्वामित्व की सबसे कम कुल लागत (जैसा कि ऊपर बताया गया है) वाले बोलीदाता को अनुबंध के पुरस्कार के लिए माना जाएगा और सफल बोलीदाता कहा जाएगा। यदि दो या दो से अधिक बोलीदाताओं की सबसे कम निविदा राशि (टीसीओ) समान है, तो ऐसे सबसे कम बोलीदाताओं को एक सीलबंद लिफाफे में अपनी पहले से उद्धृत निविदा राशि पर छूट का हवाला देते हुए एक संशोधित प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए कहा जा सकता है। इसके अलावा, यदि ऐसा कोई सबसे कम बोली लगाने वाला अपनी बोली को निचले हिस्से में संशोधित नहीं करता है, तो उसकी मूल बोली आगे की प्रक्रिया के लिए मान्य रहेगी। सबसे कम निविदा संशोधित प्रस्ताव के आधार पर तय की जाएगी। यदि संशोधित प्रस्तावों में प्राप्त दो या दो से अधिक बोलीदाताओं की संशोधित निविदा राशि फिर से बराबर पाई जाती है, तो पिछले तीन वित्तीय वर्षों के लिए उच्चतम औसत कारोबार वाली फर्म को अनुबंध के पुरस्कार के लिए माना जाएगा।

मूल्यांकन की प्रक्रिया में, 'श्रेणी-I स्थानीय आपूर्तिकर्ता' को निम्नलिखित प्रक्रिया के अनुसार 'श्रेणी-II स्थानीय आपूर्तिकर्ता' के साथ-साथ 'गैर-स्थानीय आपूर्तिकर्ता' पर खरीद वरीयता मिलेगी:

१. सभी योग्य बोलियों में, सबसे कम बोली को L1 कहा जाएगा। यदि L1 क्लास -I स्थानीय आपूर्तिकर्ता है, तो अनुबंध L1 को प्रदान किया जाएगा।
२. यदि L1 'क्लास-I स्थानीय आपूर्तिकर्ता' नहीं है, तो 'क्लास-I स्थानीय आपूर्तिकर्ता' के बीच सबसे कम बोली लगाने वाले को खरीद वरीयता के मार्जिन के भीतर आने वाले क्लास-I स्थानीय आपूर्तिकर्ता के उद्धृत मूल्य के अधीन

L1 मूल्य से मेल खाने के लिए आमंत्रित किया जाएगा, और अनुबंध ऐसे 'क्लास-I स्थानीय आपूर्तिकर्ता' को प्रदान किया जाएगा जो L1 मूल्य से मेल खाने के अधीन है।

३. यदि इस तरह के सबसे कम पात्र 'क्लास-I स्थानीय आपूर्तिकर्ता' L1 मूल्य से मेल खाने में विफल रहता है, तो खरीद वरीयता के मार्जिन के भीतर अगली उच्च बोली के साथ 'क्लास-I स्थानीय आपूर्तिकर्ता' को L1 मूल्य से मेल खाने के लिए आमंत्रित किया जाएगा और इसी तरह अनुबंध तदनुसार प्रदान किया जाएगा। यदि खरीद वरीयता के मार्जिन के भीतर 'क्लास- I स्थानीय आपूर्तिकर्ता' में से कोई भी L1 मूल्य से मेल नहीं खाता है, तो अनुबंध L1 बोलीदाता को प्रदान किया जा सकता है।

खरीद वरीयता के मार्जिन का अर्थ है खरीद वरीयता के उद्देश्य से L1 के ऊपर "क्लास-I स्थानीय आपूर्तिकर्ता" (TCO) द्वारा उद्धृत कीमत का अधिकतम 20%।

यदि ठेकेदार/आपूर्तिकर्ता निर्धारित स्थानीय सामग्री आवश्यकता पूरी नहीं करता है और आपूर्तिकर्ता की श्रेणी क्लास-I से क्लास-II/गैर-स्थानीय या क्लास-II से गैर-स्थानीय में बदल जाती है, तो अनुबंध मूल्य के 10% तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।

धारा IV
अनुबंध की सामान्य शर्तें

व्याख्या खंड

इन शर्तों को मानने में, काम का दायरा, विनिर्देशों, मात्रा का बिल और अनुबंध समझौते, निम्नलिखित शब्दों के अर्थ यहां उन्हें सौंपे गए होंगे, सिवाय इसके कि जहां विषय या संदर्भ अन्यथा आवश्यक हो।

१.	"आरबीआई"	भारतीय रिज़र्व बैंक का अर्थ होगा, जिसका केंद्रीय कार्यालय शाहिद भगत सिंह रोड, मुंबई-400001 में है और इसके क्षेत्रीय कार्यालय विभिन्न स्थानों पर हैं।
२.	"बैंक"	इसका अर्थ भारतीय रिज़र्व बैंक से होगा और इसमें इसके समनुदेशित और उत्तराधिकारी शामिल होंगे।
३.	"निविदा दस्तावेज"	इसका अर्थ होगा बैंक द्वारा परियोजना के लिए बोलियां आमंत्रित करने वाले ठेकेदारों को जारी किए गए इस तरह के दस्तावेज ।
४.	"बोलीदाता"	जो बोलियां/निविदाएं जमा करता है। यह साझेदारी फर्म, व्यक्तिगत फर्म और एक कंपनी हो सकती है। मृत भागीदार के कानूनी प्रतिनिधि।
५.	"ठेकेदार "	ठेकेदार सफल ठेकेदार है जिसे आधिकारिक तौर पर काम करने के लिए सम्मानित किया गया है। यह साझेदारी फर्म, व्यक्तिगत फर्म और एक कंपनी हो सकती है। एक मृत भागीदार के कानूनी प्रतिनिधि।
६.	"साइट"	इसका अर्थ होगा अनुबंध कार्यों की साइट जिसमें कोई भी भवन और उस पर निर्माण और किसी भी अन्य भूमि (समावेशी) शामिल है, जैसा कि ठेकेदार के काम के लिए बैंक द्वारा आवंटित किया गया है।
७.	"अनुबंध"	इसका मतलब होगा और इसमें निविदा दस्तावेज के सभी अनुभाग, संबंधित पत्र, कार्य आदेश, समझौते के लेख, सीएएमसी समझौते और पूर्व-बोली के कार्यवृत्त आदि शामिल होंगे और इसमें विधिवत हस्ताक्षर किए गए हैं।
८.	"लिखित रूप में सूचना"	या लिखित नोटिस का मतलब होगा कि लिखित, टाइप किए गए या मुद्रित वर्णों में एक नोटिस भेजा जाएगा (जब तक कि व्यक्तिगत रूप से वितरित नहीं किया गया हो या अन्यथा प्राप्त हुआ है) पंजीकृत डाक द्वारा अंतिम ज्ञात निजी या व्यावसायिक पते पर प्राप्त किया गया है, जब पोस्ट के सामान्य पाठ्यक्रम में इसे वितरित किया गया होगा। किसी भी स्वीकृत इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से दिए गए संचार को भी लिखित नोटिस माना जाएगा।
९.	"दिवालिया का अधिनियम"	इसका मतलब दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता (आईबीसी), 2016 **या इस तरह के मूल में संशोधन करने वाले किसी भी अधिनियम** द्वारा परिभाषित दिवाला अधिनियम से होगा।

१०.	"शुद्ध मूल्य"	सीपीपीपी में निविदा के भाग II में उल्लिखित वस्तु का मूल्य।
११.	"बाजार दर"	उस स्थान पर सामग्री और श्रम की लागत के आधार पर बैंक द्वारा तय की गई दर होगी जहां कार्य निष्पादित किया जाना है, साथ ही खंड 19 (ई) में उल्लिखित प्रतिशत सभी ओवरहेड्स और मुनाफे को कवर करने के लिए।
१२.	"काम"	एनआईटी में उल्लिखित निविदा का नाम होगा।
१३.	दिन/माह/वर्ष	इसका मतलब होगा कैलेंडर दिन/महीना/वर्ष
१४.	कार्य दिवस	इसका अर्थ उन दिनों से होगा जब बैंक का कार्यालय काम कर रहा है अर्थात सार्वजनिक अवकाश, शनिवार और रविवार को छोड़कर दिन
१५.	इंजीनियर-इन-चार्ज/बैंक के इंजीनियर/बैंक के प्रतिनिधि	इसका अर्थ है बैंक द्वारा नियोजित और भुगतान किया गया अधिकारी और बैंक के आदेशों के तहत कार्य करना जो कार्य की निगरानी करेगा और कार्य का प्रभारी होगा। अनुबंध के तहत निष्पादित किए जाने वाले सभी कार्यों को निर्देश के तहत निष्पादित किया जाएगा और सभी मामलों में बैंक के प्रतिनिधि के अनुमोदन के अधीन किया जाएगा।
१६.	निर्माता	एक ऐसे व्यक्ति या फर्म को संदर्भित करता है जो सामग्री का निर्माता और प्रस्तुत करने वाला या उपकरण का डिजाइनर और फैब्रिकेटर है
१७.	ठेकेदार के कार्य या निर्माता के कार्य	इसका मतलब भूमि और अन्य स्थान शामिल होंगे जिनका उपयोग ठेकेदार/फैब्रिकेटर या उप-ठेकेदार/उप-फैब्रिकेटर द्वारा "उपकरण" के निर्माण या "कार्य" करने के लिए किया जाता है।
१८.	अनुबंध मूल्य या अनुबंध मूल्य	राशि का अर्थ सफल ठेकेदार द्वारा उद्धृत इकाई दरों से गणना की गई कुल राशि और मात्रा के बिल (मूल्य बोली) में उल्लिखित मात्रा और बैंक द्वारा स्वीकार की गई मात्रा (बायबैक और सीएएमसी को छोड़कर) और कार्य के पुरस्कार पत्र में दर्शाई गई कुल राशि से होगी।
१९.	अनुबंध अवधि	इसका अर्थ होगा अनुबंध के निष्पादन/कार्य को पूरा करने के लिए निविदा दस्तावेज में निर्दिष्ट अवधि, जिसमें बैंक द्वारा कोई प्राधिकृत विस्तारित अवधि भी शामिल है
२०.	अनुबंध समझौता	इसका अर्थ होगा परियोजना के निष्पादन के लिए ठेकेदार और बैंक के बीच हस्ताक्षरित समझौता।

2. **<u>अनुबंध का दायरा</u>**

ठेकेदार इस अनुबंध के अनुसार और बैंक के निर्देशों के साथ और उसकी संतुष्टि के लिए हर तरह से उक्त कार्य को पूरा करेगा और पूरा करेगा। बैंक अपने पूर्ण विवेक से और समय-समय पर आगे के चित्र और/या लिखित निर्देश, विवरण, निर्देश और स्पष्टीकरण जारी कर सकता है, जिन्हें इसके बाद सामूहिक रूप से "बैंक के निर्देश" के रूप में संदर्भित किया जाता है:

१. डिजाइन, गुणवत्ता या कार्यों की मात्रा में भिन्नता या संशोधन या किसी भी कार्य का जोड़ या चूक या प्रतिस्थापन।
२. ड्राइंग में या मात्रा और/या चित्र और/या विनिर्देशों के बिल के बीच कोई विसंगति।
३. ठेकेदार द्वारा उस पर लाई गई किसी भी सामग्री को साइट से हटाना और उसके लिए किसी अन्य सामग्री का प्रतिस्थापन।
४. ठेकेदार द्वारा निष्पादित किसी भी कार्य को हटाना और/या पुन: निष्पादन।
५. ठेकेदार द्वारा नियोजित किसी भी व्यक्ति के कार्यों से बर्खास्तगी।
६. किसी भी कार्य के निरीक्षण के लिए खुलने को कवर किया गया।
७. इसके खंड 21 के तहत किसी भी दोष को संशोधित करना और उसे ठीक करना।

ठेकेदार ऐसे बैंक के निर्देशों में शामिल किसी भी कार्य का तुरंत पालन करेगा और विधिवत निष्पादित करेगा। बैंक द्वारा किए गए कार्यों पर ठेकेदार या उसके प्रतिनिधियों को दिए गए मौखिक निर्देश, निर्देश और स्पष्टीकरण, यदि कोई भिन्नता शामिल है, तो ठेकेदार द्वारा सात दिनों के भीतर लिखित रूप में पुष्टि की जानी चाहिए, और यदि बैंक द्वारा अगले सात दिनों के भीतर लिखित रूप में असहमति नहीं व्यक्त की जाती है, तो ऐसे अनुबंध के दायरे में बैंक के निर्देश माने जाएंगे। जहां संदर्भ की आवश्यकता होती है, एकवचन प्रदान करने वाले शब्दों में केवल बहुवचन और इसके विपरीत भी शामिल होते हैं। जब भी आवश्यक हो, मर्दाना लिंग के किसी भी संदर्भ में स्त्री लिंग और इसके विपरीत शामिल होगा।

आवश्यक "**साइट निर्देश पुस्तिका, बाधा रजिस्टर, श्रम रजिस्टर**" को **ठेकेदार द्वारा दैनिक आधार पर सख्ती से बनाए रखा जाता है और बैंक से विधिवत प्रमाणित किया जाता** है।

3. **<u>बैंक द्वारा अनुमोदित की जाने वाली विविधताएं</u>**

कार्य के दायरे में सभी भिन्नताओं को बैंक के इंजीनियर द्वारा अनुमोदित किया जाएगा। ठेकेदार दरों, वाउचर आदि के विश्लेषण द्वारा विधिवत समर्थित मात्रा और दरों को देते हुए भिन्नता का एक विवरण प्रस्तुत करेगा। बैंक द्वारा जांच और अंतिम स्वीकृति पर दरें एक पूरक निविदा बनाएंगी। बैंक इस तरह के परिवर्तनों के भुगतान के लिए उत्तरदायी नहीं होगा जब तक कि इन विवरणों को बैंक के इंजीनियर द्वारा अनुमोदित नहीं किया जाता है।

4. **<u>आहरण, मात्रा और समझौते का बिल</u>**

अनुबंध को डुप्लिकेट में निष्पादित किया जाएगा, और ठेकेदार अपने उपयोग के लिए एक निष्पादित प्रति का हकदार होगा। ठेकेदार समझौते पर लागू स्टांप शुल्क का भुगतान करेगा। ठेकेदार को अंतिम प्रमाण पत्र जारी करने से पहले, वह तुरंत बैंक को सभी चित्र और विनिर्देश वापस कर देगा।

5. **<u>ठेकेदार को अपनी लागत पर आवश्यक सभी चीजें प्रदान करने के लिए</u>**

ठेकेदार अपनी लागत पर, ड्राइंग के इरादे और अर्थ के अनुसार कार्यों के उचित निष्पादन के लिए आवश्यक सब कुछ प्रदान करेगा, मात्रा का बिल और विनिर्देश एक साथ लिया गया है, चाहे वह विशेष रूप से दिखाया या वर्णित नहीं किया जा सकता है, बशर्ते कि इससे यथोचित रूप से अनुमान लगाया जा सकता है, और यदि ठेकेदार को ड्राइंग में या ड्राइंग, बिल ऑफ क्वांटिटी और विनिर्देशों के बीच कोई विसंगति मिलती है, तो वह तुरंत और लिखित रूप में बैंक को संदर्भित करेगा जो यह तय करेगा कि किसका पालन किया जाना है। ठेकेदार इस विनिर्देश के तहत सभी कार्य स्वास्थ्य और सुरक्षा विनियमों के अनुसार पूर्ण रूप से प्रदान करेगा।

6. **<u>प्राधिकरण, नोटिस और पेटेंट</u>**

ठेकेदार कार्यों से संबंधित विधानमंडल के किसी भी अधिनियम के प्रावधानों और उसके किसी भी अन्य पहलू जैसे कि विभिन्न श्रम संहिताओं का अनुपालन, और किसी भी प्राधिकरण के विनियमों और उप-नियमों के अनुरूप, और

विद्युत आपूर्ति और अन्य कंपनियों और/या प्राधिकरणों के साथ, जिनके सिस्टम के साथ, स्थापना को जोड़ने का प्रस्ताव है और इस तरह के अनुरूप आवश्यक होने वाले आहरण या विनिर्देशों से कोई भी बदलाव करने से पहले, बैंक को लिखित नोटिस देगा, जिसमें प्रस्तावित भिन्नता और इसे बनाने का कारण निर्दिष्ट किया जाएगा और उस पर निर्देशों के लिए आवेदन किया जाएगा। यदि ठेकेदार को दस दिनों के भीतर ऐसे निर्देश प्राप्त नहीं होते हैं, तो वह प्रश्नगत प्रावधानों, विनियमों या उपनियमों के अनुरूप कार्य को आगे बढ़ाएगा, और इस प्रकार आवश्यक किसी भी भिन्नता को उसके खंड संख्या 14 के तहत निपटाया जाएगा।

ठेकेदार बैंक के ध्यान में उक्त अधिनियमों, विनियमों या उप-नियमों द्वारा अपेक्षित सभी नोटिसों को किसी भी प्राधिकरण को देगा और ऐसे प्राधिकारी, या किसी सार्वजनिक कार्यालय को भुगतान करेगा, सभी शुल्क जो कार्यों के संबंध में उचित रूप से प्रभार्य हो सकते हैं, और भुगतान के लिए बैंक के साथ रसीदें दर्ज करें।

ठेकेदार अधिकारों के संबंध में सभी दावों के खिलाफ बैंक को क्षतिपूर्ति करेगा, और दावों से उत्पन्न होने वाली सभी कार्रवाइयों का बचाव करेगा, और स्वयं सभी रॉयल्टी, लाइसेंस शुल्क, क्षति, लागत और सभी और हर प्रकार के शुल्क का भुगतान करेगा जो कानूनी रूप से उसके संबंध में किए जा सकते हैं।

7. **काम से बाहर निकलना**

ठेकेदार कार्यों को निर्धारित करेगा और उसी से सही और सही सेटिंग के लिए और उसके सभी भागों की स्थिति, स्तर, आयाम और संरेखण की शुद्धता के लिए उचित होगा। यदि किसी भी समय कार्यों के पूरा होने से एक वर्ष की अवधि के भीतर कार्यों की प्रगति के दौरान इस संबंध में कोई त्रुटि दिखाई देगी, तो ठेकेदार, यदि आवश्यक हो, तो बैंक की संतुष्टि के लिए ऐसी त्रुटि को सुधारेगा।

8. **विवरण के अनुरूप सामग्री और कारीगरी**

सभी सामग्री और कारीगरी जहां तक खरीद योग्य होगी, मात्रा और/या विनिर्देशों के बिल में वर्णित संबंधित प्रकार की होगी और बैंक के निर्देशों के अनुसार, और ठेकेदार बैंक के अनुरोध पर उसे सभी चालान, खाते रसीदें और अन्य वाउचर प्रस्तुत करेगा ताकि यह साबित हो सके कि सामग्री उसका अनुपालन करती है। ठेकेदार अपनी लागत पर किसी भी सामग्री की व्यवस्था करेगा और/या किसी भी सामग्री का परीक्षण करेगा जिसकी बैंक को आवश्यकता हो सकती है।

9. **ठेकेदार का अधीक्षण और कार्यों पर प्रतिनिधि**

ठेकेदार कार्यों के निष्पादन के दौरान सभी आवश्यक व्यक्तिगत अधीक्षण प्रदान करेगा, और उसके बाद जब तक बैंक "की समाप्ति तक आवश्यक समझे"**दोष देयता अवधि**" परिशिष्ट में कहा गया है। ठेकेदार पूरे समय के दौरान कार्य प्रगति पर रहेगा, एक सक्षम प्रतिनिधि को नियुक्त करेगा जो काम पर रहने के दौरान लगातार काम पर रहेगा। बैंक द्वारा ऐसे प्रतिनिधि को दिए गए किसी भी निर्देश, स्पष्टीकरण, निर्देश या नोटिस को ठेकेदार को दिया जाएगा।

10. **कामगारों की बर्खास्तगी**

ठेकेदार बैंक के अनुरोध पर, उसके द्वारा नियोजित किसी भी व्यक्ति को तुरंत कार्यों से बर्खास्त कर देगा, जो बैंक की राय में, अक्षम है या स्वयं कोई कदाचार कर सकता है और ऐसे व्यक्तियों को बैंक की अनुमति के बिना कार्यों पर फिर से नियोजित नहीं किया जाएगा।

11. **कार्यों तक पहुंच**

बैंक और उनके संबंधित प्रतिनिधियों को सभी उचित समय पर कार्यों और/या कार्यशालाओं, कारखानों या अन्य स्थानों तक मुफ्त पहुंच होगी, जहां से सामग्री पड़ी है या जहां से वे प्राप्त किए जा रहे हैं और ठेकेदार बैंक और उनके प्रतिनिधियों को सामग्री और कारीगरी के निरीक्षण और परीक्षण के लिए आवश्यक हर सुविधा देगा। सार्वजनिक प्राधिकरणों के प्रतिनिधियों को छोड़कर बैंक द्वारा अधिकृत नहीं किए गए किसी भी व्यक्ति को किसी भी समय कार्यों पर अनुमति नहीं दी जाएगी।

12. **बैंक का प्रतिनिधि: सहायक प्रबंधक (तकनीकी)/प्रबंधक (तकनीकी)/एजीएम (तकनीकी)**

शब्द "सहायक प्रबंधक (तकनीक) / प्रबंधक (तकनीक) / एजीएम (तकनीक)" का अर्थ होगा बैंक द्वारा नियुक्त और भुगतान किया गया व्यक्ति कार्यों का निरीक्षण करने के लिए, ठेकेदार सहायक प्रबंधक (तकनीक) / प्रबंधक (तकनीक) / एजीएम (तकनीक), कार्यों और सामग्रियों का निरीक्षण करने के लिए और समय और सामग्री की जांच और मापने के लिए हर सुविधा और सहायता का खर्च उठाएगा। सहायक प्रबंधक (तकनीकी)/प्रबंधक (तकनीक)/एजीएम (तकनीक) के पास कार्यों को निर्धारित करने या अनुबंध की किसी भी आवश्यकता को रद्द करने, बदलने, विस्तार करने या शिथिल करने या किसी भी काम, परिवर्धन, परिवर्तन, विचलन या चूक या किसी भी अतिरिक्त कार्य को मंजूरी देने की शक्ति होगी, सिवाय इसके कि इस तरह के प्राधिकरण को विशेष रूप से बैंक की लिखित सहमति के साथ एक लिखित आदेश द्वारा प्रदान किया जा सकता है।

सहायक प्रबंधक (तकनीकी)/प्रबंधक (तकनीक)/एजीएम (तकनीक)/एजीएम (तकनीक) या बैंक के किसी भी प्रतिनिधि को किसी भी कार्य या सामग्री के गैर-अनुमोदन के ठेकेदार या उसके प्रतिनिधि को नोटिस देने की शक्ति होगी और इस तरह के कार्य को निलंबित कर दिया जाएगा या ऐसी सामग्री का उपयोग सहायक प्रबंधक (तकनीकी)/प्रबंधक (तकनीकी) द्वारा बंद कर दिया जाएगा, लेकिन इस तरह की परीक्षा किसी भी तरह से ठेकेदार को किसी भी दोष को दूर करने के दायित्व से मुक्त नहीं करेगी जो कार्यों के किसी भी चरण में या उसके पूरा होने के बाद मौजूद हो सकती है।

13. **असाइनमेंट और सब-लेटिंग**

अनुबंध में शामिल सभी कार्यों को ठेकेदार द्वारा निष्पादित किया जाएगा और ठेकेदार बैंक की पूर्व लिखित सहमति के बिना अनुबंध या उसके किसी भी हिस्से या उसके किसी भी हिस्से को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हस्तांतरित नहीं करेगा, असाइन नहीं करेगा या कम नहीं करेगा, और कोई भी उपक्रम ठेकेदार को अनुबंध की पूर्ण और पूरी जिम्मेदारी से या उनकी प्रगति के दौरान कार्यों के सक्रिय अधीक्षण से राहत नहीं देगा।

14. **परिवर्तन, परिवर्धन, चूक आदि।**

कोई परिवर्तन, चूक या भिन्नता इस अनुबंध को दूषित नहीं करेगी, लेकिन यदि बैंक कार्यों की प्रगति के दौरान किसी भी समय कार्यों में कोई परिवर्तन या परिवर्धन या चूक करने के लिए उचित समझता है या उसमें उपयोग की जाने वाली सामग्री के प्रकार या गुणवत्ता में कोई परिवर्तन करता है और ठेकेदार को अपने हाथ के तहत लिखित रूप में इसकी सूचना देगा, ठेकेदार इस तरह के नोटिस के अनुसार, जैसा भी मामला हो, बदलेगा, जोड़ेगा या छोड़ देगा, लेकिन ठेकेदार बैंक की लिखित सहमति के बिना अनुबंध के किसी भी प्रावधान, शर्त, विनिर्देशों या अनुबंध आहरण के किसी भी प्रावधान से कोई अतिरिक्त कार्य या कार्यों में कोई परिवर्तन या परिवर्धन या चूक नहीं करेगा और इस तरह के अतिरिक्त, परिवर्तन, परिवर्धन या चूक का मूल्य सभी मामलों में बैंक के प्रावधानों के अनुसार लिखित रूप में बैंक के पूर्व अनुमोदन के साथ निर्धारित किया जाएगा। खण्ड 19 इसके बाद, और इसे अनुबंध राशि में जोड़ा या घटाया जाएगा, जैसा भी मामला हो, तदनुसार।

15. **मात्रा का बिल**

मात्रा का बिल, जब तक अन्यथा न कहा गया हो, माप की मानक विधि के अनुसार तैयार किया गया माना जाएगा।

मात्रा के बिल से विवरण या मात्रा में या वस्तुओं की चूक में कोई भी त्रुटि इस अनुबंध को खराब नहीं करेगी, लेकिन इसे ठीक किया जाएगा और इसके खंड 18 के तहत पता लगाया गया है, अनुबंध राशि (जैसा भी मामला हो) से जोड़ा या घटाया जाएगा, बशर्ते कि ठेकेदार की दरों की अनुसूची में त्रुटियों के सुधार, यदि कोई हो, की अनुमति नहीं दी जाएगी।

16. **<u>मात्रा के बिल की पर्याप्तता</u>**

ठेकेदार को निविदा देने से पहले कार्यों के लिए अपनी निविदा की शुद्धता और पर्याप्तता के बारे में संतुष्ट माना जाएगा और मात्रा के बिल और/या दरों और कीमतों की अनुसूची में बताई गई कीमतों के बारे में जो दरें और कीमतें अनुबंध के तहत उसके सभी दायित्वों को कवर करेंगी, और सभी मामलों और चीजों को उचित रूप से पूरा करने के लिए आवश्यक हैं।

17. **<u>कार्यों का मापन</u>**

सहायक प्रबंधक (तकनीकी)/प्रबंधक (तकनीकी) समय-समय पर ठेकेदार और बैंक को सूचित कर सकता है कि उसे कार्यों को मापने की आवश्यकता है, और ठेकेदार इस तरह के माप और गणना करने में सहायक प्रबंधक (तकनीकी)/प्रबंधक (तकनीकी) की सहायता करने के लिए एक योग्य एजेंट को तुरंत उपस्थित करेगा या भेजेगा या सभी विवरण प्रस्तुत करेगा या उनमें से किसी के लिए आवश्यक सभी सहायता देगा।

यदि ठेकेदार ऐसे एजेंट को भेजने के लिए उपस्थित नहीं होता है या उपेक्षा नहीं करता है या छोड़ता है, तो सहायक प्रबंधक (तकनीकी)/प्रबंधक (तकनीकी) द्वारा लिए गए माप को कार्यों का सही माप माना जाएगा। इस तरह के माप विनिर्देशों में विस्तृत माप के तरीके के अनुसार लिए जाएंगे।

ठेकेदार या उसका एजेंट माप के समय ऐसे नोट्स और माप ले सकता है जिसकी उसे आवश्यकता हो सकती है।

सभी प्राधिकृत अतिरिक्त कार्यों, चूक और बैंक के लिखित रूप में पूर्व अनुमोदन के साथ किए गए सभी परिवर्तनों को ऐसे मापों में शामिल किया जाएगा।

18. **<u>माप पुस्तक</u>**

a. बैंक, अन्यथा प्रदान किए गए को छोड़कर, माप द्वारा किए गए कार्य के अनुबंध के अनुसार मूल्य का पता लगाएगा और निर्धारित करेगा। आंतरिक ठेकेदार, बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के, माप और रिकॉर्डिंग स्तरों के लिए आवश्यक प्रत्येक उपकरण, श्रम और अन्य चीजों के साथ सभी सहायता प्रदान करेगा।

जन्म। वित्तीय मूल्य वाली सभी वस्तुओं का मापन कम्प्यूटरीकृत मापन पुस्तिका (सीएमबी) में दर्ज किया जाएगा ताकि बैंक और ठेकेदार के अधिकृत प्रतिनिधि के संयुक्त माप के बाद अनुबंध के तहत किए गए सभी कार्यों का पूरा रिकॉर्ड प्राप्त किया जा सके। सभी बिल (रनिंग अकाउंट (आरए) और अंतिम बिल) ठेकेदार द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले कम्प्यूटरीकृत माप (ए 4 आकार) की बाध्य मात्रा में होना चाहिए, पृष्ठों के लिए विधिवत मशीन क्रमांकित होना चाहिए, और बैंक द्वारा दिए जाने वाले एमबी नंबर के साथ। - बैंक द्वारा प्रदान किए गए माप और सार पुस्तक का प्रारूप।

के आसपास। बैंक इंजीनियर एमबी की शीट में आवश्यक सुधार शामिल करेगा। सुधारों को शामिल करने के बाद, ठेकेदार संशोधित प्रतियां प्रस्तुत करेगा। अंतिम रूप से, कम्प्यूटरीकृत एमबी शीट के सभी पृष्ठों, उचित जांच / परीक्षण जांच माप के बाद ठेकेदार के अधिकृत अधिकारी की तारीख के साथ पूर्ण हस्ताक्षर होंगे।

19. **<u>अतिरिक्त के लिए कीमतों का पता लगाना</u>**

ठेकेदार, जब बैंक द्वारा अधिकृत किया जाता है, तो ड्राइंग पर दिखाए गए कार्यों को जोड़ सकता है, छोड़ सकता है, या बदल सकता है, या विनिर्देश में वर्णित है, या मात्रा के बिल में शामिल किया गया है, लेकिन ठेकेदार इस तरह के प्राधिकरण या निर्देश के बिना कोई जोड़, चूक या भिन्नता नहीं करेगा। बैंक द्वारा जारी किए गए मौखिक अधिकार या निर्देश को लिखित रूप में दिया गया माना जाएगा, बशर्ते कि इस तरह के निर्देश/निर्देश जारी करने के सात (7) दिनों के भीतर बैंक द्वारा लिखित रूप में इसकी पुष्टि की गई हो।

किसी भी अतिरिक्त कार्य के लिए किसी भी दावे की अनुमति नहीं दी जाएगी जब तक कि इसे प्रावधानों के तहत निष्पादित नहीं किया गया हो इसके खंड 2 की संख्या बैंक की सहमति के साथ जैसा कि यहां उल्लेख किया गया है। इस तरह के किसी भी अतिरिक्त कार्य को यहां अधिकृत अतिरिक्त के रूप में संदर्भित किया गया है और निम्नलिखित प्रावधानों के अनुसार किया जाएगा।

१. अ मूल निविदा में शुद्ध दरें या कीमतें अतिरिक्त कार्य के मूल्यांकन का निर्धारण करेंगी जहां इस तरह के अतिरिक्त कार्य समान चरित्र के हैं और समान परिस्थितियों में निष्पादित किए गए हैं, जिसमें कार्य की कीमत में मात्रा की 25% तक की वृद्धि हुई है।

अ सभी मदों के लिए दरें, जहां भी संभव हो, मात्रा के मूल्य बिल में दी गई दरों से प्राप्त की जानी चाहिए।

२. मूल निविदा की शुद्ध कीमतें छोड़ी गई वस्तुओं के मूल्य का निर्धारण करेंगी, बशर्ते कि यदि चूक उन शर्तों में भिन्न होती है जिनके तहत कार्यों की कोई शेष वस्तु की जाती है, तो उसी के लिए कीमतों का मूल्य इसके उप-खंड (सी) के तहत किया जाएगा।

३. जहां अतिरिक्त कार्य समान चरित्र के नहीं हैं और/या पूर्वोक्त के समान परिस्थितियों में निष्पादित किए जाते हैं या जहां चूक उन शर्तों में भिन्न होती है जिनके तहत कार्यों की कोई शेष वस्तु की जाती है या यदि किसी चूक या परिवर्धन की राशि होती है। पूरे अनुबंध कार्यों की राशि या उसके किसी भी हिस्से के सापेक्ष ऐसा होगा कि बैंक की राय में मात्रा या निविदा के मूल्य बिल में निहित शुद्ध दर या मूल्य या कार्यों की किसी भी वस्तु के लिए ठेकेदार द्वारा यथोचित रूप से विचार किए गए नुकसान या व्यय से अधिक नुकसान या व्यय शामिल है या इस तरह की चूक या जोड़ के कारण अनुचित या अनुपयुक्त हो गया है, बैंक ऐसी अन्य दर या मूल्य निर्धारित करेगा जैसा कि परिस्थितियों में वह उचित और उचित समझेगा।

४. जहां अतिरिक्त काम को ठीक से मापा या मूल्यवान नहीं किया जा सकता है, ठेकेदार को जिले के लिए स्थानीय दिन के काम की दरों और मजदूरी के अनुसार शुद्ध दरों पर दिन के काम की कीमतों की अनुमति दी जाएगी, बशर्ते कि किसी भी मामले में दैनिक समय और नियोजित सामग्री को निर्दिष्ट करने वाले वाउचर को बैंक को सत्यापन के लिए वितरित किया जाए, जिसके बाद सप्ताह के अंत में या उससे पहले जिसमें काम निष्पादित किया गया है।

५. यह भी स्पष्ट किया जाता है कि ऐसी सभी अधिकृत अतिरिक्त वस्तुओं के लिए जहां दरें निविदा से प्राप्त नहीं की जा सकती हैं या किसी भी निविदा मदों की मात्रा मात्रा के बिल से 25% अधिक हो जाती है, ठेकेदार "वास्तविक लागत के आधार पर" काम किए गए दर विश्लेषण द्वारा समर्थित दरों को पूरा करेंगे और स्थापना शुल्क, ठेकेदार के ओवरहेड और मुनाफे के लिए 15% का भुगतान करेंगे। ऐसी वस्तु वृद्धि के लिए पात्र नहीं होगी।

अनुबंध के संबंध में माप और मूल्यांकन परिशिष्ट में बताए गए "अंतिम माप की अवधि" के भीतर पूरा किया जाएगा, या यदि नहीं कहा गया है तो अनुबंध कार्यों के पूरा होने के छह महीने के भीतर जैसा कि खंड 23 में परिभाषित किया गया है।

20. **<u>अनिश्चित सामग्री को बैंक की संपत्ति के रूप में ध्यान में रखा जाता है</u>**

एक प्रमाण पत्र के पूर्ण भुगतान पर जिसमें कार्यस्थल पर या उसके आस-पास रखी गई अनिश्चित सामग्री की लागत शामिल है, उन सामग्रियों का स्वामित्व पूरी तरह से बैंक के पास निहित है। ठेकेदार इन सामग्रियों को कार्यों में सीधे आवेदन को छोड़कर साइट से नहीं हटाएगा, जब तक कि बैंक द्वारा लिखित रूप में अनुमति न दी जाए। ठेकेदार किसी भी कारण से ऐसी सामग्रियों के किसी भी नुकसान या क्षति के लिए कानूनी और वित्तीय रूप से उत्तरदायी होगा।

21. **<u>अनुचित कार्य को हटाना</u>**

बैंक, कार्यों की प्रगति के दौरान, समय-समय पर ऐसे उचित समय या समय के भीतर कार्यों से हटाने का आदेश देने की शक्ति होगी, जैसा कि आदेश में निर्दिष्ट किया जा सकता है, किसी भी सामग्री के जो बैंक की राय में विनिर्देशों या निर्देशों के अनुसार नहीं है, उचित सामग्री का प्रतिस्थापन, और सामग्री या कारीगरी के साथ निष्पादित किसी भी कार्य को हटाने और उचित पुन: निष्पादन के लिए जो ड्राइंग और विनिर्देशों या निर्देश के अनुसार नहीं है, और ठेकेदार तुरंत अपनी लागत पर इस तरह के आदेश को पूरा करेगा। इस तरह के आदेश को पूरा करने के लिए ठेकेदार की ओर से चूक के मामले में, बैंक के पास इसे पूरा करने के लिए अन्य व्यक्तियों को नियोजित करने और भुगतान करने की शक्ति होगी, और उसके परिणामस्वरूप होने वाले सभी खर्च, या उसके आनुषंगिक ठेकेदार द्वारा वहन किए जाएंगे, या बैंक द्वारा किसी भी देय धन से कटौती की जा सकती है, या जो ठेकेदार को देय हो सकती है।

22. **<u>आभासी समापन के बाद दोष</u>**

कोई भी दोष, संकोचन, निपटान या अन्य दोष जो परिशिष्ट में बताए गए "दोष देयता अवधि" के भीतर प्रकट हो सकते हैं, यदि कोई नहीं कहा गया है, **फिर 12 महीने के भीतर** अनुबंध के अनुसार नहीं होने वाली सामग्री या कारीगरी से बैंक की राय में उत्पन्न होने वाले कार्यों का आभासी समापन, बैंक के लिखित निर्देशों पर होगा, और ऐसे उचित समय के भीतर जैसा कि उसमें निर्दिष्ट किया जाएगा, ठेकेदार द्वारा अपनी लागत पर संशोधित और अच्छा किया जाएगा।

चूक के मामले में, बैंक इस तरह के दोषों, अन्य दोषों और उसके परिणामस्वरूप होने वाले सभी नुकसान, हानि और व्यय को संशोधित करने और सुधारने के लिए अन्य व्यक्तियों को नियुक्त और भुगतान कर सकता है और इसके परिणामस्वरूप या उसके आकस्मिक व्यय को ठेकेदार द्वारा अच्छा और वहन किया जाएगा और इस तरह की क्षति, हानि और व्यय बैंक द्वारा उससे वसूल किए जाएंगे या बैंक द्वारा किसी भी देय धन से कटौती की जा सकती है या जो ठेकेदार के कारण हो सकती है, या बैंक इस तरह के संशोधन और ठेकेदार द्वारा ठेकेदार द्वारा किए गए किसी भी धन से ऐसे कार्य में संशोधन की लागत के बराबर बैंक द्वारा निर्धारित की जाने वाली राशि काट सकता है और सुरक्षा जमा के रूप में रखी गई राशि के अपर्याप्त होने की स्थिति में, ठेकेदार से शेष राशि की वसूली कर सकती है, साथ ही बैंक द्वारा उसके संबंध में किए गए किसी भी खर्च के साथ। क्या कोई दोषपूर्ण कार्य किया गया है या किसी भी उप-ठेकेदार द्वारा आपूर्ति की गई सामग्री को बैंक द्वारा नामित या अनुमोदित किया गया है, जैसा कि खंड 13 और 24 में प्रदान किया गया है, इसके बाद, ठेकेदार उसी तरह से अच्छा करने के लिए उत्तरदायी होगा जैसे कि इस तरह के काम या सामग्री ठेकेदार द्वारा की गई थी या आपूर्ति की गई थी और इस खंड और इसके खंड 2 के प्रावधानों के अधीन थी। ठेकेदार इस खंड के प्रावधान के तहत उत्तरदायी रहेगा, भले ही बैंक द्वारा किसी भी प्रमाण पत्र पर हस्ताक्षर करना या किसी भी खाते को पारित करना।

23. **<u>आभासी पूर्णता और दोष देयता अवधि का प्रमाण पत्र</u>**

कार्यों को तब तक पूरा नहीं माना जाएगा जब तक कि बैंक लिखित रूप में प्रमाणित नहीं कर देता कि वे वस्तुतः पूरे हो गए हैं। दोष देयता अवधि ऐसे प्रमाण पत्र की तारीख/कार्य पूरा होने की तारीख से शुरू होगी।

24. **<u>नामित उप-ठेकेदार</u>**

सभी विशेषज्ञों, व्यापारियों, व्यापारियों और किसी भी माल की आपूर्ति और फिक्सिंग के किसी भी कार्य को निष्पादित करने वाले अन्य, जिसके लिए प्रमुख लागत मूल्य या अनंतिम रकम मात्रा और / या विनिर्देशों के बिल में शामिल हैं, जिन्हें बैंक द्वारा नामित या चुना जा सकता है, इसके द्वारा ठेकेदार द्वारा नियोजित उप-ठेकेदार घोषित किया जाता है और यहां नामित उप-ठेकेदार के रूप में संदर्भित किया जाता है।

किसी भी नामित उप-ठेकेदार को उन कार्यों पर या उनके संबंध में नियोजित नहीं किया जाएगा जिनके खिलाफ ठेकेदार उचित आपत्ति करेगा या (जहां बैंक और ठेकेदार अन्यथा सहमत होंगे) जो प्रदान किए गए अनुबंध में प्रवेश नहीं करेंगे

१. कि नामित उप-ठेकेदार उप-ठेकेदार के संबंध में दायित्व के खिलाफ ठेकेदार को क्षतिपूर्ति करेंगे जैसा कि ठेकेदार इस अनुबंध के संबंध में है।
२. नामित उप-ठेकेदार उप-ठेकेदार, उसके सेवकों या एजेंटों द्वारा किसी भी लापरवाही या उसके द्वारा किसी भी मचान या अन्य संयंत्र, ठेकेदार की संपत्ति या लागू किसी कर्मकार प्रतिकर अधिनियम के तहत किसी भी दुरुपयोग के संबंध में दावों के खिलाफ ठेकेदार को क्षतिपूर्ति करेगा।
३. नामित उप-ठेकेदार को चौदह दिनों के भीतर भुगतान किया जाएगा, बशर्ते कि पिछले प्रमाणपत्रों में शामिल सभी नामित उप-ठेकेदार के खातों को विधिवत निर्वहन कर दिया गया हो, जिसमें से चूक में, बैंक उसी का भुगतान कर सकता है और ठेकेदार को देय किसी भी रकम से उसकी राशि काट सकता है। इस शक्ति के प्रयोग से बैंक और उप-ठेकेदार के बीच अनुबंध की गोपनीयता पैदा नहीं होगी।

25. **<u>बैंक द्वारा नियोजित अन्य व्यक्ति</u>**

बैंक इस अनुबंध में शामिल नहीं किए गए किसी भी कार्य के निष्पादन के लिए संपत्ति और साइट के किसी भी हिस्से का उपयोग करने का अधिकार सुरक्षित रखता है, जिसे वह अन्य व्यक्तियों द्वारा करने की इच्छा कर सकता है, और ठेकेदार इस तरह के कार्य के निष्पादन के लिए सभी उचित सुविधाओं की अनुमति देगा लेकिन इस तरह के कार्य के निष्पादन के लिए कोई संयंत्र या सामग्री प्रदान करने की आवश्यकता नहीं होगी। इस तरह के कार्य को इस तरह से किया जाएगा कि अनुबंध में शामिल कार्यों की प्रगति में बाधा न आए और ठेकेदार किसी भी क्षति या देरी के लिए जिम्मेदार नहीं होगा जो इस तरह के काम के साथ हो सकता है या कभी-कभी हो सकता है।

26. **<u>व्यक्ति और संपत्ति को नुकसान के संबंध में बीमा</u>**

ठेकेदार, अपने स्वयं के खर्च पर, इस अनुबंध के तहत पूर्णता प्रमाण पत्र जारी होने की तारीख से लेकर एक अनुमोदित बीमा कंपनी के साथ, बैंक और ठेकेदार के संयुक्त नामों में भूकंप जोखिम सहित अनुबंध की राशि के बराबर राशि के लिए बीमा के लिए एक सभी जोखिम पॉलिसी को लागू करेगा और बनाए रखेगा (पूर्व का नाम पॉलिसी में पहले रखा जा रहा है) मानक के अनुसार सभी जोखिमों के खिलाफ ठेकेदारों के लिए सभी जोखिम नीति और ऐसी पॉलिसी या पॉलिसी को काम शुरू करने से पहले बैंक के साथ जमा करें।

ठेकेदार को व्यक्तियों, जानवरों या चीजों को सभी चोटों के लिए और संपत्ति को सभी संरचनात्मक और सजावटी क्षति के लिए यथोचित रूप से उत्तरदायी माना जाएगा, जो ठेकेदार या उसके श्रमिकों या किसी भी नामित उप-ठेकेदार या किसी भी कर्मचारी के संचालन या उपेक्षा से उत्पन्न हो सकता है, चाहे इस तरह की चोट या क्षति लापरवाही, दुर्घटना या किसी अन्य कारण से उत्पन्न हो, किसी भी तरह से इस अनुबंध को पूरा करने से जुड़ा हो। इस खंड के तहत दायित्व को अन्य बातों के साथ-साथ भवन को किसी भी नुकसान को शामिल करने के लिए

आयोजित किया जाएगा, चाहे वह तुरंत आसन्न हो या अन्यथा, और सड़कों, सड़कों, फुटपाथों, पुलों या रास्तों को कोई नुकसान के साथ-साथ इमारत और अन्य संरचनाओं और कार्यों को होने वाले सभी नुकसान के साथ-साथ इस अनुबंध की विषय वस्तु बनाने वाले कार्यों को शामिल करेगा। ठेकेदार इमारत और अन्य संरचनाओं और कार्यों को होने वाले किसी भी नुकसान के लिए भी जिम्मेदार होगा, जो ठंढ, बारिश, हवा या मौसम की अन्य प्रतिकूल स्थिति से इस अनुबंध की विषय वस्तु बनाते हैं। ठेकेदार बैंक को क्षतिपूर्ति देगा और क्षतिपूर्ति करेगा और उसे किसी भी नुकसान और खर्चों के संबंध में हानिरहित ठहराएगा जैसा कि पूर्वोक्त रूप से व्यक्तियों या संपत्ति को ऐसी किसी भी चोट या क्षति से उत्पन्न होने वाला है और चोट या क्षति के संबंध में किए गए किसी भी दावे के खिलाफ भी, चाहे वह किसी भी क़ानून के तहत हो या अन्यथा और इस तरह के दावे के परिणामस्वरूप मुआवजे या क्षति के किसी भी पुरस्कार के संबंध में भी।
ठेकेदार इस खंड में उल्लिखित हर प्रकार के सभी नुकसान को बहाल करेगा, ताकि पूरे अनुबंध कार्यों की डिलीवरी हर तरह से पूर्ण और परिपूर्ण हो सके और ताकि तीसरे पक्ष की संपत्ति को नुकसान के लिए सभी दावों को अच्छा या अन्यथा पूरा किया जा सके। ठेकेदार बैंक को उन सभी दावों के खिलाफ क्षतिपूर्ति भी करेगा और क्षतिपूर्ति करेगा जो किसी भी व्यक्ति/जनता या अन्य द्वारा बैंक के खिलाफ किए जा सकते हैं **तिसरैत** किसी भी चीज के संबंध में जो कार्यों के संबंध में या उसके परिणामस्वरूप उत्पन्न हो सकती है, और **अपने स्वयं के खर्च पर, प्रारंभ की तारीख से अनुबंध के पूरा होने तक प्रभावी रूप से, एक अनुमोदित बीमा कंपनी के साथ बैंक और ठेकेदार के संयुक्त नामों में बीमा की एक पॉलिसी (पूर्व का नाम पॉलिसी में पहले रखा जा रहा है) को ऐसे जोखिमों के खिलाफ लागू करने और बनाए रखने की व्यवस्था करेगा और काम शुरू करने से पहले बैंक के साथ ऐसी पॉलिसी या पॉलिसी जमा करेगा**. पॉलिसी के तहत कवरेज की न्यूनतम सीमा अनुबंध की सामान्य शर्त के तहत कहीं और परिभाषित की जाएगी। ठेकेदार भी इसी तरह बैंक को उन सभी दावों के खिलाफ क्षतिपूर्ति करेगा जो बैंक पर किए जा सकते हैं चाहे वह बैंक के तहत हो **कामगार मुआवजा अधिनियम** या इस अनुबंध की मुद्रा के दौरान या ठेकेदार के किसी भी कर्मचारी या किसी उप-ठेकेदार के संबंध में सामान्य कानून में लागू कोई अन्य क़ानून और **अपने स्वयं के खर्चों पर, अनुबंध के पूरा होने तक प्रारंभ की तारीख से प्रभावी रूप से, एक अनुमोदित बीमा कंपनी के साथ बैंक और ठेकेदार (पूर्व का नाम पॉलिसी में पहले रखा जा रहा है) के संयुक्त नामों में बीमा की एक पॉलिसी को ऐसे जोखिमों के खिलाफ प्रभावित और बनाए रखेगा और अनुबंध की मुद्रा के दौरान समय-समय पर बैंक के साथ ऐसी पॉलिसी या पॉलिसी जमा करेगा**. जैसा कि ऊपर प्रदान किया गया है, यह सुनिश्चित करने के लिए ठेकेदार की चूक में, बैंक यह सुनिश्चित कर सकता है और किसी भी देय धन से भुगतान किए गए प्रीमियम को काट सकता है या जो ठेकेदार के कारण हो सकता है।

ठेकेदार किसी भी दायित्व के लिए जिम्मेदार होगा जिसे ऊपर उल्लिखित बीमा पॉलिसियों से बाहर रखा जा सकता है और इस अनुबंध के लापरवाह या दोषपूर्ण संचालन के कारण उत्पन्न होने वाले किसी भी व्यक्ति, जानवर या संपत्ति को अन्य सभी नुकसानों के लिए भी जिम्मेदार होगा, चाहे वे कारण हों जिनके कारण नुकसान हुआ हो। वह कार्यों से संबंधित किसी भी दावे या कार्यवाही से उत्पन्न होने वाली सभी लागत, प्रभार या व्यय के संबंध में और उससे उत्पन्न होने वाले मुआवजे या क्षति के किसी भी पुरस्कार के संबंध में बैंक को क्षतिपूर्ति और क्षतिपूर्ति भी देगा। इस तरह के चूक के संबंध में ठेकेदार के खिलाफ बैंक के अन्य अधिकारों के प्रति प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, बैंक ठेकेदार को देय किसी भी राशि से बैंक द्वारा भुगतान किए गए किसी भी नुकसान, मुआवजे, लागत, शुल्क और अन्य खर्चों की राशि में कटौती करने का हकदार होगा और जो इस खंड के तहत ठेकेदार द्वारा देय हैं। ठेकेदार इस खंड के तहत ली गई पॉलिसी के अनुसार बीमाकर्ता के खिलाफ किए गए किसी भी दावे के बीमाकर्ता द्वारा निपटान करने पर, नष्ट या क्षतिग्रस्त कार्यों के पुनर्निर्माण या मरम्मत के लिए उचित परिश्रम के साथ आगे बढ़ेगा। इस घटना में, इस तरह के नुकसान के संबंध में बीमाकर्ता से प्राप्त सभी धन का भुगतान ठेकेदार को किया जाएगा और ठेकेदार नष्ट या क्षतिग्रस्त सामग्री या माल के निर्माण या मरम्मत के लिए किए गए व्यय के संबंध में किसी भी और भुगतान का हकदार नहीं होगा।

ठेकेदार, क्षति के बाद पुन: निर्माण या बहाली के मामले में पूरा होने के लिए समय के ऐसे विस्तार का हकदार होगा जैसा कि बैंक उचित समझे, लेकिन हालांकि, बैंक द्वारा किसी भी कमी या कमी की प्रतिपूर्ति का हकदार नहीं होगा, जैसा कि यहां निर्धारित किया गया है।

इस खंड के तहत अपनी देयता के प्रति पूर्वाग्रह के बिना, ठेकेदार सभी नामित उप-ठेकेदारों को इस खंड के प्रावधानों के अनुसार बीमा की समान नीतियों के अपने संबंधित हिस्सों के लिए प्रभावित करेगा और बैंक को ऐसी पॉलिसियों का उत्पादन करेगा या उत्पादन करेगा। ठेकेदार एक नामित उप-ठेकेदार को साइट पर काम शुरू करने की अनुमति नहीं देगा जब तक कि उक्त बीमा पॉलिसियां प्रस्तुत नहीं की जाती हैं। साइट पर काम शुरू करने से पहले बीमा की ऐसी पॉलिसी या पॉलिसियों को लेने में उप-ठेकेदार की विफलता की स्थिति में, ठेकेदार उक्त उप-ठेकेदार के कारण किसी भी दावे या क्षति के लिए जिम्मेदार होगा।

ऊपर उल्लिखित सभी बीमा संबंधी शर्तों को पूरा करने के लिए, ठेकेदार, कार्य आदेश जारी होने की तारीख से 14 दिनों के भीतर, अपनी लागत पर कार्यों का बीमा करेगा और बैंक और ठेकेदार के संयुक्त नाम में एक कार्यालय के साथ आग से नुकसान या क्षति के खिलाफ कार्यों के आभासी समापन तक उनका बीमा करेगा (बैंक का नाम यानी "भारतीय रिजर्व बैंक" पॉलिसी में पहले स्थान पर रखा जा रहा है) । यह निम्नलिखित जोखिमों को कवर करेगा।

१. **ठेकेदारों के लिए सभी जोखिम (सीएआर) पॉलिसी बीमा** जिसमें आग के जोखिम सहित पूर्ण अनुबंध मूल्य के लिए भंडारण, निर्माण, परीक्षण और कमीशनिंग पॉलिसी शामिल है और निर्माता के कार्यों से साइट तक परिवहन के लिए पारगमन बीमा (हवा/समुद्र/सड़क आदि द्वारा, जैसा भी लागू हो) ।
२. **साइट पर ठेकेदार के कर्मचारियों के लिए** कामगार मुआवजा नीति।
३. **थर्ड पार्टी लायबिलिटी पॉलिसी** जिसमें प्रति दुर्घटना 2 लाख रुपये की सीमा है, अधिकतम 3 दुर्घटनाओं तक।

नोट: यदि ठेकेदार इन पॉलिसियों को प्रदान नहीं करता है, तो बैंक उपरोक्त बीमा पॉलिसियों को स्वयं लेने और **ठेकेदार के बिल या किसी अन्य कार्रवाई से** जुर्माने के रूप में लागत को दोगुना वसूलने का अधिकार सुरक्षित रखता है, जैसा कि वह उचित समझता है।

27. **<u>प्रारंभ और समापन की तिथि</u>**

ठेकेदार को परिशिष्ट में उल्लिखित "प्रारंभ की तारीख" या ऐसी बाद की तारीख पर साइट पर प्रवेश की अनुमति दी जाएगी जो बैंक द्वारा निर्दिष्ट की जा सकती है और वह उसके बाद और तुरंत काम शुरू करेगा और नियमित रूप से आगे बढ़ेगा और इसे पूरा करेगा (इस तरह की पेंटिंग या अन्य सजावटी कार्य को छोड़कर, जैसा कि बैंक देरी करना चाहता है) परिशिष्ट में बताए गए "पूरा होने की तारीख" पर या उससे पहले, इसके बाद निहित समय के विस्तार के प्रावधानों के अधीन।

28. **<u>पूरा न होने पर नुकसान</u>**

यदि ठेकेदार कार्यों की अपेक्षित प्रगति को बनाए रखने में विफल रहता है और अनुबंध में निर्धारित पूर्णता समय तक या इसके खंड 29 के तहत किसी भी विस्तारित समय के भीतर कार्यों को पूरा करने में विफल रहता है और बैंक लिखित रूप में प्रमाणित करता है कि उसकी राय में इसे यथोचित रूप से पूरा किया जाना चाहिए था, तो ठेकेदार बैंक को**परिसमापन क्षति**" **@ अनुबंध मूल्य का 0.25%** अनुबंध मूल्य के अधिकतम 10% के अधीन देरी का प्रति सप्ताह (अनुबंध मूल्य का अर्थ है काम की पूंजीगत लागत का कुल मूल्य) उस अवधि के लिए जिसके दौरान उक्त कार्य अधूरे रहेंगे और बैंक ठेकेदार के कारण किसी भी धन से इस तरह के नुकसान की कटौती कर सकता है। ठेकेदार एतद्द्वारा विशेष रूप से सहमत होता है और बैंक को इस तरह के परिसमापन नुकसान, यदि कोई हो, भुगतान की किसी भी किस्त से कटौती करने के लिए अधिकृत करता है, जो इस अनुबंध के संदर्भ में ठेकेदार को देय और देय हो जाता है या प्रतिधारण धन से।

29. **<u>देरी और समय का विस्तार</u>**

यदि बैंक की राय में, सौंपे गए कार्यों में देरी होती है (ए) अप्रत्याशित घटना से या (बी) किसी भी असाधारण रूप से खराब मौसम के कारण या (सी) ठेकेदार के स्वयं के डिफ़ॉल्ट के अलावा अन्य उत्पन्न होने वाले आसन्न या पड़ोसी मालिकों या सार्वजनिक प्राधिकरणों के साथ की गई कार्यवाही या विवाद के कारण या (डी) बैंक द्वारा लगे या नामांकित अन्य ठेकेदारों या व्यापारियों के कार्यों या देरी से और संदर्भित नहीं किया गया है मात्रा के बिल में, और/या विनिर्देश या (ई) इसके खंड 2 के अनुसार बैंक के निर्देशों के कारण या (च) सिविल हंगामा के कारण, श्रमिकों के कानूनी संयोजन या हड़ताल या लॉक-आउट के कारण किसी भी भवन व्यापार को प्रभावित करने या (छ) ठेकेदार को नियत समय में प्राप्त नहीं होने के परिणामस्वरूप, बैंक से आवश्यक निर्देश जिसके लिए उसने विशेष रूप से लिखित रूप में आवेदन किया होगा या (ज) अन्य कारणों से जिसे बैंक ठेकेदार के नियंत्रण से परे के रूप में प्रमाणित कर सकता है या (i) यदि कार्य का मूल्य भिन्नता के कारण मात्रा के मूल्य के मूल्य से अधिक हो जाता है, तो बैंक अनुबंध कार्यों को पूरा करने के लिए समय का उचित और उचित विस्तार कर सकता है। इस तरह की हड़ताल या तालाबंदी के मामले में, ठेकेदार फिर भी देरी को रोकने के लिए लगातार अपने प्रयासों का उपयोग करेगा और काम को आगे बढ़ाने के लिए बैंक की संतुष्टि के लिए उचित रूप से आवश्यक सभी कार्य करेगा।

यदि ठेकेदार को कार्य पूरा करने के लिए समय के विस्तार की आवश्यकता होती है या यदि अनुबंध में निर्धारित पूरा होने की नियत तारीख से परे किसी भी कारण से काम पूरा होने में देरी होती है, तो ठेकेदार निर्धारित समय की समाप्ति से कम से कम 7 दिन पहले लिखित रूप में समय के विस्तार के लिए बैंक को आवेदन करेगा और समय के विस्तार के लिए आवेदन करते समय, ठेकेदार देरी के लिए दस्तावेजी साक्ष्य (बाधा रजिस्टर के प्रासंगिक पृष्ठों की प्रति), यदि कोई हो, के साथ विस्तार से कारण और अपना औचित्य प्रस्तुत करेगा। केवल बैंक द्वारा प्रदान की गई समय के विस्तार की अवधि (ठेकेदार से आवेदन प्राप्त होने पर या विलंब के लिए आधार की औचित्य के रूप में ऐसे किसी भी आवेदन प्रमाणन के अभाव में) परिसमापन क्षति के अधिरोपण की छूट के लिए अर्हता प्राप्त करेगी। मूल निर्धारित अवधि से अधिक की शेष अवधि और बैंक द्वारा दिए गए समय के अधिकृत विस्तार के लिए, खंड 28 के तहत बताए गए परिसमापन नुकसान का प्रावधान लागू होगा।

इसके अलावा, अनुबंध पूरा होने की नियत तारीख से परे की अवधि के लिए भी लागू रहेगा, भले ही ठेकेदार ने आवेदन किया हो या नहीं, पूरा होने के लिए समय के विस्तार के अनुदान के लिए जब तक कि बैंक अनुबंध को समाप्त करने का निर्णय नहीं लेता है। किसी भी कारण से काम पूरा होने में देरी से ठेकेदार को दरों में किसी भी संशोधन या किसी भी कारण से किसी भी अतिरिक्त मुआवजे का दावा करने का कोई अधिकार नहीं होगा।
अप्रत्याशित घटना की शर्तें, जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, इस प्रकार हैं:

१. इस दस्तावेज़ में निहित किसी भी चीज़ के बावजूद, कोई भी पक्ष इसके तहत अपने दायित्वों को पूरा करने में किसी भी देरी के लिए उत्तरदायी नहीं होगा, यदि इस तरह की देरी अपने उचित नियंत्रण से परे परिस्थितियों के कारण होती है, जिसमें बिना किसी सीमा के सरकारों के कार्यों, ईश्वर के कार्यों, प्राकृतिक आपदाओं, हड़तालों, किसी भी क्षेत्र में दंगों, आतंकवादी हमले, युद्ध (घोषित और अघोषित) के कारण होने वाली कोई देरी शामिल है। हालांकि, देरी के कारण ऐसी किसी भी घटना के होने पर, ठेकेदार तुरंत बैंक को लिखित रूप में इसकी सूचना देगा। ठेकेदार अप्रत्याशित घटना के प्रभावों को कम करने के लिए आवश्यक कदम उठाने के लिए बाध्य है।

२. कोई भी पक्ष, इस तरह की घटना के कारण, अपने दायित्वों के इस तरह के प्रदर्शन के संबंध में अनुबंध को समाप्त करने का हकदार नहीं होगा।

३. अनुबंध के तहत दायित्वों को घटना के समाप्त होने या अस्तित्व में समाप्त होने के बाद जितनी जल्दी संभव हो फिर से शुरू किया जाएगा। यदि अनुबंध के तहत किसी भी दायित्व के प्रदर्शन को पारस्परिक रूप से सहमत अवधि से परे घटना के

कारण रोका या देरी की जाती है, तो कोई भी पक्ष अपने विकल्प पर, अनुबंध को समाप्त कर सकता है।

30. **<u>बैंक के निर्देशों का पालन करने में ठेकेदार द्वारा विफलता</u>**

यदि ठेकेदार दस दिनों के भीतर अनुपालन की आवश्यकता वाले बैंक से लिखित नोटिस प्राप्त होने के बाद इस तरह के आगे के आहरणों का पालन करने में विफल रहता है और बैंक अन्य व्यक्तियों को ऐसे किसी भी कार्य को निष्पादित करने के लिए नियोजित और भुगतान कर सकता है जो उसे प्रभावी बनाने के लिए आवश्यक हो सकता है, और उसके संबंध में की गई सभी लागतें बैंक द्वारा ठेकेदार से ऋण के रूप में वसूल की जाएंगी या ठेकेदार के कारण किसी भी धन से उसके द्वारा कटौती की जा सकती है।

31. **<u>बैंक द्वारा अनुबंध की समाप्ति</u>**

यदि ठेकेदार एक व्यक्ति या फर्म होने के नाते कोई "दिवालियापन का कार्य" करता है, या एक दिवालिया घोषित किया जाएगा या एक निगमित कंपनी होने के नाते उसके खिलाफ अनिवार्य समापन के लिए एक आदेश होगा या स्वेच्छा से समापन के लिए एक प्रभावी संकल्प पारित करेगा या न्यायालय और आधिकारिक समनुदेशिती या परिसमापक के पर्यवेक्षण के अधीन है, दिवालियापन या समापन के ऐसे कृत्यों में, जैसा भी मामला हो, उसे ऐसा करने की आवश्यकता के नोटिस के सात दिनों के भीतर, बैंक की उचित संतुष्टि दिखाने के लिए कि वह अनुबंध को पूरा करने और पूरा करने में सक्षम है और उसके लिए सुरक्षा देने के लिए, यदि बैंक द्वारा आवश्यक हो।

या यदि ठेकेदार (चाहे कोई व्यक्ति, फर्म या निगमित कंपनी) ठेकेदार के खिलाफ जारी की जाने वाली संपत्ति को निष्पादन या न्यायालय कुर्क करने की अन्य प्रक्रिया का सामना करना पड़ेगा,

या इस अनुबंध के तहत ठेकेदार के किसी भी लेनदार द्वारा या उसकी ओर से किसी भी भुगतान को भुगतना होगा,

या बैंक की लिखित सहमति के बिना इस अनुबंध को पहले और प्राप्त करने के बिना असाइन या सबलेट करेगा,

या इस अनुबंध या किसी भी भुगतान को प्रभार देगा या भार देगा या जो ठेकेदार के कारण हो सकता है,

या यदि बैंक यह निर्धारित करता है कि ठेकेदार

१. अनुबंध को छोड़ दिया है, या
२. (ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है यदि कोई कार्य शुरू करने में विफल रहा है, या उन शर्तों के तहत बिना किसी वैध बहाने के कार्य कार्य को आगे बढ़ाने के लिए बैंक नोटिस प्राप्त करने के बाद 14 दिनों के लिए कार्य की प्रगति को निलंबित कर दिया है, या
३. (ख) यदि हां, तो इस प्रकार के परिश्रम के साथ कार्यों को आगे बढ़ाने में विफल रहा है और ऐसी उचित प्रगति करने में विफल रहा है जिससे कार्यों को सहमत समय के भीतर पूरा किया जा सके, या
४. साइट से सामग्री को हटाने या नीचे खींचने में विफल रहा है, और लिखित सूचना प्राप्त करने के बाद सात दिनों के लिए काम को बदलने में विफल रहा है कि उक्त सामग्री या कार्य की निंदा की गई थी और इन शर्तों के तहत बैंक द्वारा अस्वीकार कर दिया गया था या
५. ठेकेदार द्वारा देखे जाने वाले और निष्पादित किए जाने वाले सभी या किसी भी कार्यों, मामलों या चीजों को ठेकेदार द्वारा सात दिनों तक देखने और निष्पादित करने के लिए लगातार उपेक्षित या विफल रहा है, ठेकेदार को लिखित नोटिस दिया गया होगा कि ठेकेदार को उसी का निरीक्षण करने या प्रदर्शन करने की आवश्यकता होगी।

तब और उक्त मामलों में से किसी में, बैंक, किसी भी पूर्व छूट के बावजूद, ठेकेदार को लिखित रूप में सात दिनों का नोटिस देने के बाद, ठेकेदार के अनुबंध और देनदारियों का निर्धारण कर सकता है, जो पूरी तरह से लागू रहेगा

जैसे कि अनुबंध इस तरह से निर्धारित नहीं किया गया था, और जैसे कि बाद में निष्पादित कार्य ठेकेदार द्वारा या उसकी ओर से निष्पादित किए गए थे और इसके अलावा, बैंक अपने एजेंटों या सेवकों द्वारा एस्टेट या आस-पास की भूमि या सड़कों पर पड़े कार्यों और सभी संयंत्रों, उपकरणों, मचानों, मशीनरी और सामग्रियों में प्रवेश कर सकता है और उन्हें अपने कब्जे में ले सकता है, और इसे अपनी संपत्ति के रूप में उपयोग कर सकता है या कार्यों को पूरा करने और पूरा करने के लिए किसी अन्य ठेकेदार या अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों को नियोजित करके अपने स्वयं के सेवकों और श्रमिकों के माध्यम से नियोजित कर सकता है, और ठेकेदार किसी भी तरह से ऐसे अन्य ठेकेदार या अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों को रोकने या बाधित करने के लिए कोई भी कार्य, मामला या चीज नहीं करेगा। जब कार्य पूरा हो जाएगा या उसके बाद जितनी जल्दी सुविधाजनक हो, बैंक ठेकेदार को अपनी अधिशेष सामग्री और संयंत्र को हटाने के लिए लिखित रूप में एक नोटिस देगा, और यदि ठेकेदार उसके द्वारा प्राप्त होने के बाद चौदह दिनों की अवधि के भीतर ऐसा करने में विफल रहता है, तो बैंक इसे सार्वजनिक नीलामी द्वारा बेच सकता है, और वसूली की गई शुद्ध राशि के लिए ठेकेदार को क्रेडिट दे सकता है। इसके बाद बैंक अपने हाथ से यह पता लगाएगा और प्रमाणित करेगा कि उक्त संयंत्र और बैंक द्वारा इस प्रकार कब्जा की गई सामग्री के मूल्य के लिए बैंक द्वारा क्या (यदि कुछ हो) देय या देय होगा और बैंक द्वारा इस प्रकार कब्जा किए गए कार्यों और पूरा किए जाने वाले कार्यों की खरीद में बैंक को कितना खर्च या हानि होगी, और राशि, यदि कोई हो, ठेकेदार को देय है और इस प्रकार प्रमाणित की जाने वाली राशि के बाद बैंक द्वारा ठेकेदार को या ठेकेदार द्वारा बैंक को भुगतान किया जाएगा, जैसा भी मामला हो, और बैंक का निर्णय पक्षों के बीच अंतिम और निर्णायक होगा।

32. **<u>ठेकेदार द्वारा अनुबंध की समाप्ति</u>**

यदि बैंक के इंजीनियर के प्रमाण पत्र के तहत बैंक द्वारा देय राशि का भुगतान बकाया होगा और लिखित रूप में नोटिस के बाद तीस दिनों तक भुगतान नहीं किया जाएगा, जैसा कि पूर्वोक्त राशि का भुगतान करना होगा, ठेकेदार द्वारा बैंक को दिया गया होगा या यदि बैंक अनुबंध को अस्वीकार कर देगा, या यदि बैंक के आदेश के तहत या किसी भी निषेधाज्ञा या कानून के किसी भी आदेश द्वारा तीन महीने के लिए काम बंद कर दिया जाता है, तो और उक्त मामलों में से किसी में, ठेकेदार बैंक को लिखित रूप में नोटिस द्वारा अनुबंध का निर्धारण करने के लिए स्वतंत्र होगा और वह बैंक से वसूली करने का हकदार होगा, निष्पादित सभी कार्यों के लिए भुगतान और किसी भी नुकसान के लिए वह किसी भी संयंत्र या सामग्री की आपूर्ति या खरीद या अनुबंध के उद्देश्य के लिए तैयार किया जा सकता है।

इस तरह के भुगतान की राशि पर पहुंचने पर, ठेकेदार की मूल निविदा में निहित शुद्ध दरों का पालन किया जाएगा, या जहां यह लागू नहीं हो सकता है, मूल्यांकन इसके खंड 19 के अनुसार किया जाएगा।

33. **<u>प्रमाण पत्र और भुगतान</u>**

(क) बैंक द्वारा समय-समय पर बैंक द्वारा निष्पादित कार्यों के कारण जारी किए जाने वाले अंतरिम प्रमाण पत्र के तहत किश्तों द्वारा भुगतान किया जाएगा, परिशिष्ट में नामित अनुमानित मूल्य के अनुसार कार्य किया जाएगा।**अंतरिम प्रमाणपत्रों के लिए काम का मूल्य**" (या बैंक के उचित विवेक से कम) इस अनुबंध के अनुसार निष्पादित किया गया है। बैंक, अपने विवेक पर, अंतरिम प्रमाणपत्र में ऐसी राशि शामिल कर सकता है जिसे वह कार्यों में उपयोग के लिए ठेकेदार द्वारा साइट पर दी गई सामग्री के कारण उचित समझे। और जब कार्य वस्तुतः पूरा हो गया है और बैंक ने लिखित रूप में प्रमाणित किया होगा कि वे पूरे हो गए हैं, तो ठेकेदार को बैंक द्वारा जारी किए जाने वाले प्रमाण पत्र के अनुसार बैंक द्वारा शेष राशि का भुगतान किया जाएगा। **ठेकेदार "दोष देयता अवधि" के रूप में संदर्भित अवधि की समाप्ति पर बैंक द्वारा लिखित रूप में जारी किए जाने वाले अंतिम प्रमाण पत्र के अनुसार प्रतिभूति जमा के लिए बैंक गारंटी जारी करने का हकदार होगा**" परिशिष्ट में आभासी समापन की तारीख से या ऐसी अवधि की समाप्ति के तुरंत बाद जैसे ही कार्य अंतिम रूप से पूरा हो गया होगा और दोषों को इसके सच्चे इरादे और अर्थ के अनुसार अच्छा किया जाएगा, जो भी अंतिम होगा, बशर्ते कि बैंक द्वारा किसी भी प्रमाण पत्र के जारी किए गए कार्यों की प्रगति के दौरान या उनके पूरा होने के बाद ठेकेदार को

खंड 2 और 22 के तहत उसके दायित्व से मुक्त नहीं किया जाएगा और न ही ठेकेदार को कार्यों या सामग्रियों से संबंधित धोखाधड़ी, बेईमानी या धोखाधड़ी के मामलों में उसकी अक्षमता से राहत मिलेगी या प्रमाणपत्र के भीतर निपटाए गए किसी भी मामले में, और कार्यों या सामग्रियों में सभी दोषों और अपर्याप्तताओं के मामले में, जो एक उचित परीक्षा का खुलासा नहीं होगा। कोई भी प्रमाण पत्र अपने आप में निर्णायक प्रमाण नहीं होगा कि कोई भी कार्य या सामग्री, जिससे यह संबंधित है, अनुबंध के अनुसार है और न ही ठेकेदार के पास किसी भी राशि के लिए दावा होगा जिसे बैंक ने किसी भी अंतरिम बिल में प्रमाणित किया हो सकता है और बैंक द्वारा भुगतान किया हो सकता है और जिसे बाद में देय नहीं पाया जा सकता है और इस संबंध में बैंक का निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होगा।
बैंक के पास किसी भी प्रमाण पत्र को रोकने की शक्ति होगी यदि कार्य या उसके कोई भाग उसकी संतुष्टि के लिए नहीं किए जा रहे हैं।

बैंक किसी भी प्रमाण पत्र द्वारा किसी भी पिछले प्रमाण पत्र में कोई भी सुधार कर सकता है जो उसके द्वारा जारी किया गया होगा।

बैंक को ऐसे प्रमाण पत्र वितरित किए जाने के बाद "प्रमाण पत्र प्रदान करने की अवधि" के रूप में परिशिष्ट में नामित अवधि के भीतर भुगतान किया जाएगा।

सिस्टम के लिए भुगतान INR में किया जाएगा और इस अनुबंध से उत्पन्न होने वाले किसी भी विवाद को उस कार्यालय द्वारा अधिकार क्षेत्र के भीतर हल किया जाएगा जहां से अनुबंध पर हस्ताक्षर किए गए हैं।

34. **<u>विलंबित भुगतान</u>**

बैंक द्वारा ठेकेदार को देय कोई भी राशि यदि परिशिष्ट में नामित "प्रमाण पत्र के सम्मान की अवधि" के भीतर भुगतान नहीं की जाती है, तो परिशिष्ट में नामित दर पर "विलंबित भुगतान के लिए ब्याज दर" के रूप में ब्याज ले जाती है, जिस तारीख को भुगतान करने तक बैंक द्वारा भुगतान किया जाना चाहिए था।

35. **<u>मध्यस्थता द्वारा विवाद का निपटान</u>**

किसी भी प्रकार के सभी विवाद और मतभेद, जो अनुबंध से उत्पन्न होते हैं या उसके संबंध में या कार्यों को पूरा करने के संबंध में (चाहे कार्यों की प्रगति के दौरान या पूरा होने के बाद और चाहे अनुबंध के निर्धारण, परित्याग या उल्लंघन से पहले या बाद में) को बैंक द्वारा संदर्भित और निपटाया जाएगा जो लिखित रूप में अपना निर्णय बताएगा। ऐसा निर्णय अंतिम प्रमाण पत्र के रूप में या अन्यथा हो सकता है। किसी भी अपवाद के मामले के संबंध में बैंक का निर्णय अंतिम और अपील के बिना होगा। लेकिन अगर कोई भी पक्ष किसी भी मामले पर असंतुष्ट है, तो पार्टी इस तरह के निर्णय की सूचना प्राप्त करने के 28 दिनों के भीतर दूसरे पक्ष को एक लिखित नोटिस दे सकती है जिसमें यह आवश्यक है कि विवाद में मामलों को यहां सहमत प्रक्रिया के अनुसार मध्यस्थता के लिए भेजा जाए। इस तरह की लिखित सूचना उन मामलों को निर्दिष्ट करेगी, जो विवाद या अंतर में हैं जिनमें से ऐसा लिखित नोटिस दिया गया है। यदि दोनों पक्ष सहमत हैं तो इस उद्देश्य के लिए एक एकल मध्यस्थ नियुक्त किया जाएगा। यदि एकल मध्यस्थ की नियुक्ति पर कोई समझौता नहीं हो सका, तो दोनों पक्ष अपनी ओर से एक-एक व्यक्ति को मध्यस्थ के रूप में नामित करेंगे। पार्टियों द्वारा नामित दो मध्यस्थ तीसरे मध्यस्थ के रूप में कार्य करने के लिए एक और व्यक्ति को नामित करेंगे।

मध्यस्थ या मध्यस्थ, जैसा भी मामला हो, किसी भी प्रमाण पत्र को खोलने और संशोधित करने की शक्ति होगी, राय, निर्णय, मांग या नोटिस, पिछले खंड में संदर्भित मामलों को छोड़कर, और विवाद के सभी मामलों को निर्धारित करने के लिए जो मध्यस्थता के लिए प्रस्तुत किए जाएंगे और जिनमें से नोटिस पूर्वोक्त के रूप में दिया जाएगा.

मध्यस्थ या मध्यस्थ, जैसा भी मामला हो, एक वर्ष के भीतर अपना या अपना पुरस्कार देगा (या इस तरह के आगे विस्तारित समय के रूप में उसके द्वारा या उनके द्वारा तय किया जा सकता है, जैसा कि मामला पार्टियों की सहमति से हो सकता है) संदर्भ पर प्रवेश करने की तारीख से. मध्यस्थता कार्यवाही के दौरान मामले में, पार्टियां आपसी सहमति से अपने विवाद या अंतर को सुलझाती हैं या समझौता करती हैं, निपटान या समझौते का अपना संयुक्त ज्ञापन दाखिल करने वाली पार्टियों पर, मध्यस्थ या मध्यस्थ, जैसा भी मामला हो, इस तरह के समझौते या समझौते के संदर्भ में एक पुरस्कार देगा.

इस तरह के किसी भी संदर्भ पर, संदर्भ और पुरस्कार के लिए आकस्मिक लागत पर निर्णय क्रमशः मध्यस्थ या मध्यस्थों के विवेक में होगा, जैसा भी मामला हो, जो उसकी राशि निर्धारित कर सकता है या पार्टी और पार्टी के बीच कर लगाने के लिए निर्देशित कर सकता है, और किसके द्वारा और किसके द्वारा और किस तरीके से इसे वहन किया जाएगा और भुगतान किया जाएगा.

इस सबमिशन को भारतीय मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 या उसके किसी भी वैधानिक संशोधन के अर्थ के भीतर मध्यस्थता के लिए एक प्रस्तुति माना जाएगा।

मध्यस्थ या मध्यस्थों का पुरस्कार, जैसा भी मामला हो, पार्टियों के लिए अंतिम और बाध्यकारी होगा। यह सहमति है कि ठेकेदार ऐसे किसी भी मामले, प्रश्न या विवाद को मध्यस्थता के लिए संदर्भित करने के कारण कार्यों को पूरा करने में देरी नहीं करेगा, लेकिन सभी उचित परिश्रम के साथ कार्यों को आगे बढ़ाएगा और जब तक मध्यस्थ या मध्यस्थों का निर्णय नहीं दिया जाता है, तब तक बैंक के निर्णय का पालन करेगा। मध्यस्थ या मध्यस्थों का कोई भी पुरस्कार, जैसा भी मामला हो, ठेकेदार को कार्यों के वास्तविक संचालन के संबंध में बैंक के निर्देशों का सख्ती से पालन करने के अपने दायित्वों से मुक्त नहीं करेगा। बैंक और ठेकेदार एतद्द्वारा इस बात से भी सहमत हैं कि इस खंड के तहत मध्यस्थता अनुबंध के तहत कार्रवाई के किसी भी अधिकार के लिए एक शर्त होगी।
मध्यस्थता का स्थान वह केंद्र/शहर होगा जिसमें कार्य निष्पादित किया जा रहा है.

36. **<u>अंतिम विधेयक की तकनीकी जांच का अधिकार</u>**

बैंक को अंतिम बिल के भुगतान के समय किए जाने वाले सभी सहायक वाउचर, सार आदि सहित कार्यों और ठेकेदार के अंतिम बिल की तकनीकी जांच कराने का अधिकार होगा। यदि इस परीक्षा के परिणामस्वरूप या अन्यथा, किसी भी राशि को अधिक भुगतान या अधिक प्रमाणित किया गया पाया जाता है, तो बैंक के लिए राशि की वसूली करना वैध होगा।

37. **<u>बैंक कामगारों को दिए गए मुआवजे की वसूली करने का हकदार है</u>**

यदि, किसी भी कारण से, बैंक कर्मचारी मुआवजा अधिनियम, 1923 के प्रावधान के आधार पर, या किसी भी वैधानिक संशोधन या उसके पुन: अधिनियमन के आधार पर कार्यों के निष्पादन में ठेकेदार द्वारा नियोजित किसी कामगार को मुआवजे का भुगतान करने के लिए बाध्य है, तो बैंक ठेकेदार से इस प्रकार भुगतान किए गए मुआवजे की राशि की वसूली करने का हकदार होगा, और उक्त अधिनियम के तहत बैंक के अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना। बैंक ऐसी राशि या उसके किसी भी हिस्से को सुरक्षा जमा से या इस अनुबंध के तहत ठेकेदार को बैंक द्वारा देय किसी भी राशि से या अन्यथा वसूलने के लिए स्वतंत्र होगा। बैंक उक्त अधिनियम के तहत उसके खिलाफ किए गए किसी भी दावे का विरोध करने के लिए बाध्य नहीं होगा, ठेकेदार के लिखित अनुरोध को छोड़कर और बैंक को उन सभी लागतों के लिए बैंक की संतुष्टि के लिए पूरी सुरक्षा देने पर, जिसके लिए बैंक इस तरह के दावे का विरोध करने के परिणामस्वरूप उत्तरदायी हो सकता है।

38. **<u>कार्यों का परित्याग</u>**

यदि निविदा की स्वीकृति के बाद किसी भी समय, बैंक को, किसी भी कारण से, पूरे या किसी भी हिस्से को पूरा करने की आवश्यकता नहीं करेगा, तो बैंक ठेकेदार को लिखित रूप में नोटिस देगा, जिसके पास मुआवजे के किसी भी भुगतान का कोई दावा नहीं होगा या किसी भी लाभ या लाभ के कारण जो भी वह पूरे कार्यों के निष्पादन से प्राप्त हो सकता है।

39. **<u>अधिशेष सामग्री की वापसी</u>**

इस अनुबंध के किसी भी या सभी खंडों में इसके विपरीत कुछ भी निहित होने के बावजूद, जहां अनुबंध के निष्पादन के लिए कोई भी सामग्री बैंक की सहायता से सरकार द्वारा जारी किए गए आदेशों या परमिट या लाइसेंस के तहत की गई खरीद द्वारा खरीदी जाती है, ठेकेदार उक्त सामग्री को आर्थिक रूप से और पूरी तरह से अनुबंध के उद्देश्य के लिए रखेगा और बैंक की पूर्व लिखित अनुमति के बिना उनका निपटान नहीं करेगा और इसे बैंक को वापस कर देगा, यदि बैंक द्वारा आवश्यक हो, तो सामग्री की स्थिति को ध्यान में रखते हुए बैंक द्वारा निर्धारित की जाने वाली कीमत पर, मूल्य बिक्री कर, माल और सेवा कर (जीएसटी), चुंगी और उसके संबंध में ठेकेदार द्वारा भुगतान किए गए अन्य ऐसे शुल्कों सहित खरीद मूल्य से अधिक नहीं होना निर्धारित किया जाना चाहिए। उपरोक्त शर्त के उल्लंघन की स्थिति में, ठेकेदार, लाइसेंस या परमिट की शर्तों के उल्लंघन और/या विश्वास के आपराधिक उल्लंघन के लिए कार्रवाई के लिए उत्तरदायी होने के अलावा, सभी पैसे, लाभ या लाभ के परिणामस्वरूप बैंक के प्रति उत्तरदायी होगा, या जो सामान्य पाठ्यक्रमों में इस तरह के उल्लंघन के कारण उसके लिए जिम्मेदार होगा।

40. **<u>ठेकेदार की मृत्यु की स्थिति में अनुबंध समाप्त करने का बैंक का अधिकार, यदि व्यक्तिगत</u>**

इस अनुबंध के तहत किसी भी अधिकार या उपचार के प्रति प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, यदि ठेकेदार, एक व्यक्ति होने के नाते, मर जाता है, तो बैंक के पास इस तरह की समाप्ति के लिए कोई दायित्व उठाए बिना अनुबंध को समाप्त करने का विकल्प होगा।

41. **<u>दुर्घटना की रिपोर्ट</u>**

किसी भी प्रकार की दुर्घटनाओं की स्थिति में, सभी आवश्यक रिपोर्ट (आकस्मिक या अन्यथा) प्रस्तुत की जानी चाहिए बिना देर किए. ठेकेदार यह सुनिश्चित करेगा कि इन रिपोर्टों को बैंक के साथ साझा किया जाए एक साथ किसी अन्य बाहरी पक्ष या हितधारकों को उनके प्रसारण के साथ।

42. **<u>कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की रोकथाम:</u>**

१. ठेकेदार "कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013" के प्रावधानों के पूर्ण अनुपालन के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार होगा। बैंक के परिसर के भीतर अपने कर्मचारी के खिलाफ यौन उत्पीड़न की किसी भी शिकायत के मामले में, शिकायत ठेकेदार/एजेंसी या स्थानीय शिकायत समिति, जैसा भी मामला हो, द्वारा गठित आंतरिक शिकायत समिति के समक्ष दर्ज की जाएगी और ठेकेदार एजेंसी शिकायत के संबंध में उक्त अधिनियम के तहत उचित कार्रवाई सुनिश्चित करेगी।

२. बैंक के किसी भी कर्मचारी या बैंक में काम करने वाली किसी अन्य फर्म के किसी भी कर्मचारी के खिलाफ सेवा प्रदाता के किसी भी पीड़ित कर्मचारी द्वारा यौन उत्पीड़न की किसी भी शिकायत का बैंक द्वारा गठित क्षेत्रीय शिकायत समिति द्वारा संज्ञान लिया जाएगा।

३. ठेकेदार किसी भी मौद्रिक मुआवजे के लिए जिम्मेदार होगा, जिसे ठेकेदार के कर्मचारियों को शामिल करने की स्थिति में भुगतान करने की आवश्यकता हो सकती है, उदाहरण के लिए बैंक के कर्मचारी या अन्य फर्म के कर्मचारी को कोई मौद्रिक राहत, यदि ठेकेदार के कर्मचारी द्वारा यौन हिंसा साबित होती है।

४. ठेकेदार अपने कर्मचारियों को कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की रोकथाम और संबंधित मुद्दों के बारे में शिक्षित करने के लिए जिम्मेदार होगा।

५. ठेकेदार अपने कर्मचारियों की एक पूरी और अद्यतन सूची प्रदान करेगा जो बैंक के परिसर में तैनात हैं।

43. **<u>गैर - प्रकटीकरण खंड</u>**:

१. ठेकेदार प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से बैंक के बुनियादी ढांचे/प्रणालियों/उपकरणों आदि की किसी भी जानकारी, सामग्री और विवरण का खुलासा नहीं करेगा, जो इस समझौते के संबंध में अपने संविदात्मक दायित्वों का निर्वहन करने के दौरान सेवा प्रदाता और/या डीबी डेवलपर के कब्जे या ज्ञान में आ सकता है, किसी भी तीसरे पक्ष को और हर समय इसे सख्त विश्वास में रखेगा। ठेकेदार अनुबंध के विवरण को निजी और गोपनीय मानेगा, सिवाय इसके कि इसके तहत दायित्वों को पूरा करने या लागू कानूनों का पालन करने के लिए आवश्यक सीमा तक। ठेकेदार दूसरे पक्ष की पूर्व लिखित सहमति के बिना किसी भी व्यापार या तकनीकी पत्र या अन्य जगहों पर कार्यों के किसी भी विवरण को प्रकाशित, प्रकाशित करने की अनुमति या खुलासा नहीं करेगा। उपरोक्त का पालन करने में विफलता को ठेकेदार की ओर से अनुबंध के उल्लंघन के रूप में माना जाएगा, जैसा भी मामला हो, और दूसरा पक्ष नुकसान का दावा करने और कानूनी उपचार करने का हकदार होगा।

२. ठेकेदार अपने कर्मचारियों के संबंध में सभी उचित कार्रवाई करेगा ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि इस समझौते के तहत गोपनीय जानकारी का खुलासा न करने के दायित्व पूरी तरह से संतुष्ट हैं।

औपचारिक अनुबंध समझौते के पूर्वाग्रह के बिना, इस निविदा के तहत ठेकेदार को बाध्य करने वाले सभी गोपनीयता और गैर-प्रकटीकरण दायित्व किसी भी कारण से इस समझौते की समाप्ति, पूर्णता या समाप्ति से बचेंगे।

44. **<u>कार्यक्रम चार्ट/प्रगति रिपोर्ट</u>**:

ठेकेदार कार्य के विभिन्न चरणों को पूरा करने के लिए एक उपयुक्त प्रगति रिपोर्ट/चार्ट प्रस्तुत करेगा, ताकि आवंटित अवधि के भीतर कार्य पूरा करना सुनिश्चित किया जा सके। इस तरह के कार्यक्रम को कार्य प्रदान करने के 14 दिनों के भीतर प्रस्तुत किया जाना चाहिए। बैंक द्वारा किए गए सभी उपयुक्त संशोधनों को प्रगति चार्ट में शामिल किया जाना चाहिए। यदि पूछा जाता है तो ठेकेदार वर्तमान उपकरण वितरण की तारीखों और अलग-अलग इकाइयों और इकाइयों के समूहों के लिए प्रत्याशित पूरा होने की तारीखों को दर्शाने वाली रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।

45. **<u>वैधानिक अनुमोदन:</u>**

ठेकेदार द्वारा संबंधित वैधानिक प्राधिकरणों जैसे प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (पीसीबी)/मुख्य विद्युत निरीक्षक (सीईआई)/स्थानीय अग्निशमन प्राधिकरण/स्थानीय नगरपालिका प्राधिकरण आदि/स्थानीय वैधानिक प्राधिकरण से प्राप्त पूर्व-एनओसी और स्थानीय निकाय अनुमोदन के अनुसार कार्य निष्पादित किया जाएगा। ठेकेदार ऐसे सभी अनुमोदनों में किए गए सभी प्रावधानों को समझने के लिए जिम्मेदार होगा। किसी भी अतिरिक्त कार्य/संशोधन की किसी भी आवश्यकता के मामले में, इसे पहले से ही प्रभारी अभियंता के ध्यान में लाया जाएगा। स्थानीय निकाय प्राधिकरणों के मानदंडों का पालन करते हुए कार्य निष्पादित किया जाना है। ठेकेदार संबंधित अधिकारियों से आगे की मंजूरी और अंतिम पूर्णता और अधिभोग प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए काम पूरा होने के दौरान और बाद में आवश्यकतानुसार दस्तावेज, रिपोर्ट आदि तैयार करने में सहायता करेगा। ठेकेदार बैठकों में भाग लेने और संबंधित अधिकारियों के साथ सभी संपर्क कार्य करने के लिए भी जिम्मेदार होगा। इस खाते पर कोई अतिरिक्त/अतिरिक्त भुगतान नहीं किया जाएगा। हालांकि, स्थानीय निकायों/प्राधिकरणों को भुगतान किया गया शुल्क, यदि कोई हो, बैंक द्वारा वहन किया जाएगा।

46. **<u>प्रतिबंध/अयोग्यता:</u>**

एक ठेकेदार **निम्नलिखित आधारों** पर बोली लगाने से प्रतिबंध/अयोग्यता के लिए उत्तरदायी है:
i. यदि यह निर्धारित किया जाता है कि ठेकेदार ने अखंडता की संहिता के उल्लंघन में निम्नलिखित कार्य या चूक की है:

a.

१. खरीद प्रक्रिया में अनुचित लाभ के बदले में या अन्यथा खरीद प्रक्रिया को प्रभावित करने के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से रिश्वत, इनाम या उपहार या किसी भी भौतिक लाभ की पेशकश, याचना या स्वीकृति करना।

२. कोई भी चूक या गलत बयानी जो गुमराह कर सकती है या गुमराह करने का प्रयास कर सकती है ताकि वित्तीय या अन्य लाभ प्राप्त किया जा सके, या दायित्व से बचा जा सके।

३. कोई भी मिलीभगत, बोली में हेराफेरी या प्रतिस्पर्धा-विरोधी व्यवहार जो खरीद प्रक्रिया की पारदर्शिता, निष्पक्षता और प्रगति को बाधित कर सकता है।

४. खरीद प्रक्रिया में अनुचित लाभ प्राप्त करने के इरादे से या व्यक्तिगत लाभ के लिए खरीद इकाई द्वारा ठेकेदार को प्रदान की गई जानकारी का अनुचित उपयोग।

५. ठेकेदार और खरीद इकाई के किसी भी अधिकारी के बीच निविदा या अनुबंध की निष्पादन प्रक्रिया से संबंधित कोई भी वित्तीय या व्यावसायिक लेनदेन: जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से खरीद इकाई के निर्णय को प्रभावित कर सकता है।

६. खरीद प्रक्रिया को प्रभावित करने के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, किसी भी पक्ष या उसकी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने या नुकसान पहुंचाने के लिए कोई भी जबरदस्ती या कोई खतरा।

७. किसी खरीद प्रक्रिया की किसी भी जांच या लेखा परीक्षा में बाधा डालना।

८. निविदा प्रक्रिया में भाग लेने या अनुबंध सुरक्षित करने के लिए झूठी घोषणा करना या गलत जानकारी प्रदान करना।

b. हितों के टकराव का खुलासा करने में विफल।

ग. पिछले तीन वर्षों के दौरान भारत या किसी अन्य देश में किसी भी सार्वजनिक संस्थान/संस्था के साथ उप-खंड (i) के प्रावधानों के संबंध में किए गए किसी भी पिछले उल्लंघन का खुलासा करने में विफल रहा या किसी भी सार्वजनिक खरीद संस्था/संस्था द्वारा प्रतिबंधित किया गया।

२. सत्यनिष्ठा संहिता के उल्लंघन के अलावा ठेकेदार द्वारा किसी भी कार्रवाई या चूक के लिए, जो बैंक की राय में घटिया सामग्री की आपूर्ति, सामग्री की गैर-आपूत, कार्यों का परित्याग, कार्यों की घटिया गुणवत्ता, पालन करने में विफलता जैसे कारणों से प्रतिबंधित है
निविदा की शर्तें आदि।

३. यदि ठेकेदार को किसी अपराध के लिए दोषी ठहराया गया है- (ए) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के तहत; या (बी) भारतीय दंड संहिता या किसी अन्य कानून के लिए लागू होने के लिए, सार्वजनिक खरीद अनुबंध के निष्पादन के हिस्से के रूप में जीवन या संपत्ति के किसी भी नुकसान या सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए खतरा पैदा करने के लिए।

सत्तालीस. **<u>पैकिंग और डिस्पैच:</u>** उपकरण को भारतीय परिस्थितियों में कई हैंडलिंग और परिवहन के लिए उपयुक्त बक्से में ठीक से और सुरक्षित रूप से पैक किया जाएगा। सभी उपकरण/घटकों को बैंक के कार्यालय भवन में ड्यूटी डिलीवरी पेड (डीडीपी) के आधार पर वितरित किया जाएगा।

अड़तालीस. **<u>पुलिस सत्यापन</u>**: साइट पर नियमित आधार पर तैनात सभी श्रमिकों के लिए, ठेकेदार काम शुरू करने से पहले अपने खर्च पर वैध पुलिस सत्यापन रिपोर्ट (पीवीआर) की व्यवस्था करेगा, प्राप्त करेगा और प्रस्तुत करेगा। ठेकेदार यह सुनिश्चित करेगा कि प्रतिकूल पुलिस रिकॉर्ड या लंबित आपराधिक मामले वाले किसी भी कर्मचारी को बैंक के परिसर में तैनात नहीं किया गया है।

----------x----------

खंड V
अनुबंध की विशेष शर्तें

एक. पूरा होने का समय:

१. ज्ञापन में उल्लिखित कार्य को पूरा करने के लिए अनुमत समय का ठेकेदार द्वारा कड़ाई से पालन किया जाएगा और कार्य शुरू करने के लिए लिखित आदेश जारी होने के 14 वें दिन से इसकी गणना की जाएगी। अनुबंध की निर्धारित अवधि के दौरान कार्य को सभी उचित परिश्रम के साथ आगे बढ़ाया जाएगा और यदि ठेकेदार निर्दिष्ट अवधि के भीतर कार्य को पूरा करने में विफल रहता है तो वह अनुबंध की शर्तों के खंड 28 में परिभाषित मुआवजे का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा। ठेकेदार कार्य शुरू करने से पहले एक विस्तृत कार्य कार्यक्रम तैयार करेगा जिसे बैंक द्वारा अनुमोदित किया जाएगा।

२. ठेकेदार कार्य शुरू करने या निष्पादित करने में देरी के कारण उसे हुए किसी भी नुकसान के लिए किसी भी मुआवजे का हकदार नहीं होगा, जो भी देरी का कारण हो सकता है, जिसमें उसे सौंपे गए कार्य में संशोधन से उत्पन्न होने वाली देरी या उससे जुड़े किसी भी उप-अनुबंध में देरी या परियोजना के अन्य ट्रेडों के लिए अनुबंध देने में देरी या ऐसे कार्यों के शुरू होने या पूरा होने में या सरकार द्वारा नियंत्रित या अन्य निर्माण सामग्री की खरीद में या निर्माण उद्देश्यों के लिए पानी और बिजली कनेक्शन प्राप्त करने में या किसी अन्य कारण से और बैंक उसके संबंध में किसी भी दावे के लिए उत्तरदायी नहीं होगा। बैंक निविदा राशि के अलावा किसी भी राशि के लिए दायित्व स्वीकार नहीं करता है, जो इस तरह के परिवर्तनों के अधीन है जैसा कि यहां प्रदान किया गया है।

दो. सुरक्षा जमा का प्रकार:

१. **प्रतिधारण धन:** प्रतिधारण राशि @ 5% प्रत्येक ऑन-अकाउंट बिल से तब तक वसूल की जाएगी जब तक कि कुल वसूली निविदा दस्तावेज में निर्धारित अनुबंध मूल्य का 5% नहीं हो जाती। ऐसी राशि बिना किसी ब्याज के दोष देयता अवधि (डीएलपी) के पूरा होने के बाद ठेकेदार को जारी की जाएगी। सफल बोलीदाता प्रतिधारण राशि के बदले बैंक गारंटी (बीजी) भी जमा कर सकता है, जो डीएलपी के एक वर्ष तक वैध है। अनुलग्नक X में उल्लिखित बीजी का प्रारूप।

२. **प्रदर्शन बैंक गारंटी (पीबीजी):** जैसा कि ऊपर निर्दिष्ट प्रतिधारण धन के अलावा, कार्य प्रदान करने पर, सफल ठेकेदार अनुबंध द्वारा संविदात्मक दायित्वों की उचित पूर्ति के लिए अनुबंध की मुद्रा की पूरी अवधि (कार्य पूरा करने + डीएलपी + 60 दिन) के लिए अनुबंध की मुद्रा की पूरी अवधि (कार्य पूरा + डीएलपी + 60 दिन) के लिए अनुलग्नक X के अनुसार किसी भी अनुसूचित बैंक से बैंक गारंटी (बीजी) के रूप में अनुबंध मूल्य के 5% (पांच प्रतिशत) के बराबर राशि प्रस्तुत करेगा। यह प्रदर्शन बैंक गारंटी (पीबीजी) शुरू में अनुबंध अवधि से अधिक 60 दिनों की अवधि के लिए वैध होगी और अनुबंध अवधि के विस्तार के मामले में कार्य के डीएलपी प्लस 60 दिनों तक उपयुक्त रूप से बढ़ाया जाएगा। इस तरह की प्रदर्शन बैंक गारंटी (पीबीजी) कार्य आदेश जारी होने के 14 दिनों के भीतर बैंक को प्रस्तुत की जानी चाहिए। **प्रदर्शन बैंक गारंटी (पीबीजी) को ईपीबीजी, एक भौतिक प्रति, या एनईएफटी के माध्यम से समान राशि के लिए प्रस्तुत किया जा सकता है।**

३. निविदा में निर्धारित प्रदर्शन बैंक गारंटी जमा करना सुनिश्चित किया जाएगा। अपरिहार्य परिस्थितियों में देरी के मामले में, निष्पादन बैंक गारंटी जमा करने में देरी के लिए शुल्क बैंक दर पर ठेकेदार के बिलों से वसूला जाएगा।

४. डीएलपी के दौरान किसी भी समय यानी काम सौंपने से एक वर्ष के बाद निविदा में निर्धारित डीएलपी की शर्तों, शर्तों के असंतोषजनक प्रदर्शन के मामले में बैंक गारंटी को लागू करने का अधिकार बैंक सुरक्षित रखता है।

तीन. भुगतान की शर्तें: भुगतान की निम्नलिखित शर्तें, वैधानिक कटौतियों के अधीन, इस अनुबंध पर लागू होंगी:

साइट पर सामग्री की सुपुर्दगी और सभी वैधानिक कटौतियों के अधीन निम्नलिखित दस्तावेजों को प्रस्तुत करने के लिए यथानुपात आधार पर उद्धृत दर का 60%

i) मूल उपकरण निर्माता के परीक्षण प्रमाण पत्र

ii) ठेकेदार का प्रमाण पत्र कि सुरक्षा अलार्म सिस्टम की सफल स्थापना, परीक्षण और कमीशनिंग के लिए सभी घटकों, पुर्जों, उप प्रणालियों, उपभोग्य सामग्रियों आदि को अच्छी स्थिति में साइट पर प्राप्त किया गया है और यदि स्थापना, कमीशनिंग और परीक्षण के दौरान कोई कमी देखी जाती है, तो उन्हें बैंक को बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के आपूर्ति की जाएगी।

iii) इस निविदा की धारा V के तहत खंड 2.ii के अनुसार निविदा और पीबीजी के अनुसार बीमा की पॉलिसियाँ।

आवश्यक दस्तावेज, मैनुअल जमा करने सहित बैंक को उपस्करों की स्थापना, परीक्षण, कमीशनिंग और सौंपने के लिए उद्धृत दर का 30%

इस निविदा की धारा V के तहत खंड 2.ii के अनुसार बैंक गारंटी के प्रदर्शन को प्रस्तुत करने के लिए उद्धृत दर का 5%।

इस निविदा की धारा V के तहत खंड 2.i के अनुसार बैंक गारंटी के प्रदर्शन को प्रस्तुत करने के लिए उद्धृत दर का 5%।

चार. व्यापक वार्षिक रखरखाव अनुबंध (सीएएमसी-पीबीजी) के लिए प्रदर्शन बैंक गारंटी :

डीएलपी की समाप्ति की तारीख के 10 दिनों के भीतर, ठेकेदार ठेकेदार द्वारा संविदात्मक दायित्वों को पूरा करने के लिए अनुलग्नक X के अनुसार किसी भी अनुसूचित बैंक से बैंक गारंटी (बीजी) के रूप में अनुबंध मूल्य के 5% (पांच प्रतिशत) के बराबर राशि 7 साल (सीएएमसी की पूरी अवधि) तक प्रस्तुत करेगा। **प्रदर्शन बैंक गारंटी (पीबीजी) को ईपीबीजी, एक भौतिक प्रति, या एनईएफटी के माध्यम से समान राशि के लिए प्रस्तुत किया जा सकता है।** बैंक एएमसी अवधि के दौरान ठेकेदार से किसी भी नुकसान की भरपाई करने के लिए इस पीबीजी को लागू करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

पांच. मूल मूल्य: लागू नहीं

छह. कारखाना निरीक्षण - लागू नहीं

खंड (VI) - परिशिष्ट इससे पहले संदर्भित है

अनुबंध की सामान्य स्थिति में खंडों का संदर्भ
इससे पहले संदर्भित

1	दोष देयता अवधि	काम पूरा होने की तारीख से बारह महीने
2	अंतिम माप की अवधि	3 महीने
3	प्रारंभ होने की तिथि	कार्य आदेश जारी करने की तिथि से 14 वें दिन
4	की दर से परिसमापन क्षति	परिसमापन नुकसान" @ अनुबंध मूल्य के प्रति सप्ताह देरी के अनुबंध मूल्य का 0.25% अनुबंध मूल्य के अधिकतम 10% के अधीन
5	अंतरिम प्रमाण पत्र/रनिंग अकाउंट बिल के लिए कार्यों का न्यूनतम मूल्य	पहला मील का पत्थर लक्ष्य राशि
6	भुगतान के प्रमाण पत्र को सम्मानित करने की अवधि	अंतरिम विधेयकों के लिए एक महीने और अंतिम विधेयक के लिए 3 महीने।
7	विलंबित भुगतान के लिए ब्याज	बैंक दर के अनुसार

अनुबंध की विशेष शर्त में खंडों का संदर्भ

1	अनुबंध अवधि/पूरा होने का समय	कार्य आदेश की तारीख के 14वें दिन से 3 महीने
2	प्रतिधारण धन	डीएलपी तक अनुबंध मूल्य का 5%
3	कार्य के निष्पादन के दौरान सुरक्षा जमा/पीबीजी	डीएलपी तक अनुबंध मूल्य का 5%
4	सीएएमसी अवधि पीबीजी	7 साल

खंड-VII

सुरक्षा कोड (ए और बी)

A. सामान्य सुरक्षा

एक. निष्फल ड्रेसिंग और रूई की पर्याप्त आपूर्ति सहित प्राथमिक चिकित्सा उपकरण आसानी से सुलभ स्थान पर उपलब्ध कराए जाएंगे।

दो. एक घायल व्यक्ति को बिना समय गंवाए सार्वजनिक अस्पताल ले जाया जाएगा, ऐसे मामलों में जहां चोट के लिए अस्पताल में भर्ती होने की आवश्यकता होती है।

तीन. उन सभी कार्यों के लिए श्रमिकों के लिए उपयुक्त और मजबूत मचान प्रदान किए जाने चाहिए जो जमीन से सुरक्षित रूप से नहीं किए जा सकते हैं।

चार. कोई भी पोर्टेबल सिंगल सीढ़ी की लंबाई 8 मीटर से अधिक नहीं होनी चाहिए। साइड रेल के बीच की चौड़ाई 30 सेमी (स्पष्ट) से कम नहीं होनी चाहिए और दो आसन्न पायदानों के बीच की दूरी 30 सेमी से अधिक नहीं होनी चाहिए। जब सीढ़ी का उपयोग किया जाता है तो सीढ़ी को पकड़ने के लिए एक अतिरिक्त मज़दूर लगाया जाएगा।

पाँच. खुदाई की गई सामग्री को खाई के किनारे के 1.5 मीटर या खाई की आधी गहराई के भीतर, जो भी अधिक हो, के भीतर नहीं रखा जाएगा। सभी खाइयों और खुदाई को आवश्यक बाड़ और प्रकाश व्यवस्था प्रदान की जाएगी।

छः. किसी भवन के फर्श में या कार्य मंच में प्रत्येक उद्घाटन को उपयुक्त बाड़ या रेलिंग प्रदान करके व्यक्तियों या सामग्रियों के गिरने से रोकने के लिए उपयुक्त साधन प्रदान किए जाएंगे; न्यूनतम ऊंचाई एक मीटर होगी।

सात. संरचना के किसी भी फर्श, छत या अन्य हिस्से को सामग्री के मलबे से इतना अधिक नहीं लगाया जाएगा कि यह असुरक्षित हो जाए।

आठ. डामर, सीमेंट मोर्टार या कंक्रीट और चूने के मोर्टार जैसी सामग्री के मिश्रण और हैंडलिंग पर कार्यरत श्रमिकों को सुरक्षात्मक जूते और रबर के हाथ के दस्ताने प्रदान किए जाएंगे।

नौ. वेल्डिंग कार्यों में लगे लोगों को वेल्डर की सुरक्षात्मक आई-शील्ड और दस्ताने प्रदान किए जाएंगे।

दस. i) पेस्ट या रेडीमेड पेंट के रूप को छोड़कर सीसा या सीसा उत्पादों वाले किसी भी पेंट का उपयोग नहीं किया जाएगा।
ii) श्रमिकों द्वारा उपयोग के लिए उपयुक्त फेस मास्क की आपूर्ति की जाएगी जब पेंट स्प्रे या सतह के रूप में लगाया जाता है, जिसमें लेड पेंट, सूखा, रगड़ और स्क्रैप किया जाता है।

ग्यारह. बोलीदाता द्वारा चित्रकारों को चौग़ा की आपूर्ति की जाएगी और काम करने वाले पेंटरों को काम बंद होने की अवधि के दौरान धोने में सक्षम बनाने के लिए पर्याप्त सुविधाएं प्रदान की जाएंगी।

बारह. कार्यों में उपयोग की जाने वाली उत्थापन मशीनें और टैकल, उनके संलग्नक, लंगर और समर्थन सहित सही स्थिति में होंगे।

तेरह. सामग्री को उत्थापित करने या कम करने या निलंबन के साधन में मुकदमा दायर करने वाली रस्सियाँ टिकाऊ गुणवत्ता और पर्याप्त ताकत की होंगी और दोषों से मुक्त होंगी।

चौदह. बोलीदाता सांविधिक मानदंडों के अनुसार कार्य करने के लिए श्रमिकों को सभी सुरक्षा उपकरण प्रदान करेगा।

पंद्रह. कार्य निष्पादन के दौरान आवश्यक अग्नि सुरक्षा उपाय भी किए जाएंगे।

----------x----------

B. आग और विद्युत सुरक्षा

एक. साइट पर विभिन्न सेवाओं को पूरा करने के लिए सभी अस्थायी विद्युत शक्ति जैसे कि कटिंग/ड्रिलिंग मशीन उचित रूप से रेटेड अर्थ लीकेज प्रोटेक्शन डिवाइस (ईएलसीबी) के माध्यम से प्रदान की जाएगी।

दो. केवल आईएसआई चिह्नित 3 पिन प्लग और अन्य उपकरणों और उपकरणों का उपयोग किया जाएगा। उपयोग किए गए विद्युत बिजली केबलों/तारों को ठीक से रेट किया जाना चाहिए और जोड़ों से बचना चाहिए। यदि वहां है, तो जोड़ उचित और अछूता होना चाहिए।

तीन. सभी बिजली के उपकरणों जैसे वेल्डिंग, ड्रिलिंग, कटिंग मशीन आदि को संचालन के दौरान लीकेज करंट को रोकने के लिए सुरक्षित और सुरक्षित रूप से अर्थिंग किया जाएगा। किसी भी दिन पहली बार वेल्डिंग का काम शुरू करने से पहले, फायर सेक्शन को सूचित किया जाएगा और अग्निशमन अधिकारियों/कर्मियों द्वारा साइट निरीक्षण के बाद ही काम शुरू किया जाएगा।

चार. आग से निपटने के लिए उपयुक्त अग्निशामक यंत्रों के अलावा, साफ सूखी रेत से भरी और आग बुझाने के लिए तत्काल उपयोग के लिए तैयार आग की बाल्टियों को स्पष्ट रूप से चिह्नित किया जाएगा और सुविधाजनक स्थान पर साइट पर रखा जाएगा।

पाँच. प्रयुक्त पेंट ड्रम को ठीक से बंद करने के बाद ही निर्दिष्ट स्टोर में संग्रहीत किया जाएगा।

छः. किसी भी अग्निशामक यंत्र को उसके निर्दिष्ट स्थान से हटाया/स्थानांतरित नहीं किया जाएगा।

सात. व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण जैसे सुरक्षा जूते, हाथ दस्ताने, वेल्डर का मास्क, ईयर प्लग, आदि, जो काम की आवश्यकता के आधार पर लागू होते हैं, का उपयोग श्रमिकों द्वारा व्यावसायिक स्वास्थ्य खतरों को रोकने के लिए किया जाएगा।

आठ. लिफ्ट लॉबी और सीढ़ियों के पास के किसी भी मार्ग का उपयोग किसी भी प्रकार की सामग्री/कचरे को रखने/डंप करने के लिए नहीं किया जाएगा

नौ. उपकरण उपयोग में न होने पर मुख्य से बिजली की आपूर्ति बंद कर दी जाएगी।

दस. काम से उत्पन्न लकड़ी की छीलन, आरी-धूल या किसी भी मलबे को दैनिक आधार पर एकत्र किया जाएगा, साइट से हटा दिया जाएगा और उचित तरीके से निर्दिष्ट स्थान पर संग्रहीत किया जाएगा।

ग्यारह. कार्य स्थल को कार्य के दौरान ठीक से रोशन किया जाएगा।

बारह. सभी विद्युत कार्य लाइसेंस/अधिकृत इलेक्ट्रीशियन/वायरमैन द्वारा किए जाने चाहिए

तेरह. रोशनी के लिए अस्थायी तार बिछाने से बचने के लिए कार्य स्थल पर पोर्टेबल बैटरी से चलने वाली रोशनी का उपयोग किया जा सकता है।

चौदह. कार्य स्थल पर विशिष्ट स्थानों पर अच्छी गुणवत्ता के आवश्यक बैरिकेडिंग और साइनेज बोर्ड लगाए जाएंगे।

पंद्रह. एल्यूमीनियम/स्टील की सीढ़ियों के आधार पर उचित रबर इन्सुलेशन होना चाहिए और जहां भी आवश्यक हो, इन सीढ़ियों को विद्युत इन्सुलेटिंग सुरक्षित रबर मैट पर रखा जाना चाहिए।

सोलह. कार्य से उत्पन्न किसी भी मलबे को दैनिक आधार पर एकत्र किया जाएगा, साइट से हटा दिया जाएगा और उचित तरीके से निर्दिष्ट स्थान पर संग्रहीत किया जाएगा

----------x----------

धारा VIII

कार्य का दायरा

एक. **पृष्ठभूमि:**
भारतीय रिज़र्व बैंक चेन्नई में एक सुरक्षा अलार्म प्रणाली स्थापित की गई है, जिसे बैंक मौजूदा केबल नेटवर्क को बनाए रखकर, अन्य घटकों/उपकरणों को बदलकर और नए घटकों/उपकरणों को जोड़कर एक नए सुरक्षा अलार्म सिस्टम के साथ बदलना चाहता है।

दो. **माँग:**

सिस्टम और उसके घटकों को मौजूदा पुराने सिस्टम के स्थान पर मौजूदा केबलों का उपयोग करके मौजूदा केबलों के स्थान पर स्थापित किया जाना चाहिए, जहां भी पुराने उपकरणों को नए (1.5 वर्ग मिमी बख्तरबंद तांबे के केबल) के साथ बदल दिया जाता है और जहां भी नए उपकरण प्रदान किए जाते हैं, नई केबल के साथ। सुरक्षा अलार्म सिस्टम में कार्यालय भवन के भीतर और बाहर, पूर्व-निर्धारित स्थानों पर स्थापित कई मैनुअल कॉल पॉइंट (पुश बटन स्टेशन) और अलार्म साउंडर शामिल हैं। ये एक केंद्रीय नियंत्रण कक्ष से जुड़े होते हैं। आपातकालीन स्थिति की स्थिति में, संबंधित कर्मचारी सभी अलार्म साउंडर्स को सक्रिय करके भवन में एक सामान्य श्रव्य अलार्म बढ़ाने के लिए निकटतम कॉल बटन दबाते हैं।

सिस्टम को सभी पुश बटनों, सक्रिय उपकरणों की स्थिति को एक दर से "पोल" करना चाहिए ताकि प्रत्येक मतदान चक्र 5-10 मिलीसेकंड में पूरा हो जाए। यदि मतदान चक्र के दौरान किसी भी पुश बटन या डिवाइस की स्थिति असामान्य पाई जाती है, तो यह एक काउंटर को सक्रिय करना शुरू कर देगा। काउंटर को एक से बढ़ाया जाएगा जब अगले मतदान चक्र के दौरान विशेष उपकरण में असामान्य स्थिति बनी रहती है। पुश बटन दबाने के 03 सेकंड के पूरा होने पर अलार्म को सक्रिय किया जाना चाहिए। यदि अगले मतदान चक्र के दौरान, यदि असामान्य स्थिति का पता नहीं चलता है, तो काउंटर को शून्य पर रीसेट कर दिया जाएगा। उपयुक्त ऑडियो विजुअल अलार्म/संदेश केवल तभी उठाया जाएगा जब काउंटर संख्या प्रोग्राम करने योग्य पूर्व निर्धारित संख्या से अधिक हो। यह किसी भी नकली/झूठे अलार्म को रोकने के लिए है। ठेकेदार को कार्य के निष्पादन के दौरान बैंक की संपत्ति को हुए सभी नुकसान को मूल स्थिति में करना होगा।

हालांकि यह सिस्टम का व्यापक दायरा है ताकि अलार्म या किसी भी सिस्टम उपकरण में खराबी की स्थिति में उचित अनुवर्ती कार्रवाई की जा सके, निम्नलिखित को सिस्टम में शामिल करना आवश्यक है। **पूरी प्रणाली छेड़छाड़ रोधी होगी।**

तीन. **तकनीकी निर्देश**

(१) पता योग्य पुश बटन

कॉल बटन "सक्रिय करने के लिए दोहरी दबाएं" प्रकार के होंगे और पुश बटन 'सक्रिय' स्थिति को सचेत करने के लिए संकेत होंगे। प्रत्येक पुश बटन स्टेशन का एक विशिष्ट पता/पहचान होगी जिसमें पुश बटन किस स्थान से संबंधित है। प्रत्येक पुश बटन को मास्टर कंट्रोलर द्वारा अलग से और स्वतंत्र रूप से संबोधित किया जाएगा। एक सन्निहित क्षेत्र में पुश बटनों की संख्या को एक क्षेत्र बनाने के लिए तार्किक रूप से समूहीकृत किया जाएगा।

पुश बटन को पारदर्शी फाइबर/ऐक्रेलिक शीट से बने शटर के साथ पाउडर कोट पेंट किए गए एमएस बॉक्स में रखा जाएगा। परेशानी मुक्त और सुचारू संचालन के लिए पैनिक बटन और इससे जुड़े घटकों को रखने के लिए बॉक्स पर्याप्त आकार का होना चाहिए। बॉक्स में पास से चलने/काम करने वाले लोगों द्वारा पुश बटन को गलती से दबाने से रोकने के लिए सुरक्षा होनी चाहिए और साथ ही आपातकालीन परिस्थितियों में बटन को सक्रिय करने के लिए सुविधाजनक होना चाहिए। **स्थापना से पहले पुश बटन के बॉक्स को बैंक द्वारा अनुमोदित किया जाएगा। सभी पैनिक स्विच**

व्यक्तिगत रूप से नियंत्रित होने योग्य होंगे, ताकि पैनिक स्विच में से किसी एक में खराबी के मामले में, इसे अलग किया जाना चाहिए और बाकी सिस्टम को सामान्य रूप से काम करना चाहिए।

(२) मास्टर नियंत्रक (मुख्य पैनल)
(१)मास्टर नियंत्रक को EN/UL से सूचीबद्ध/अनुमोदित/प्रमाणित किया जाएगा और उसमें निम्नलिखित सुविधाएं/विशेषताएं होनी चाहिए।

अ) एक एलईडी पूरे सिस्टम की स्वस्थ स्थिति का संकेत देती है।

आ)एक एलईडी एक गलती की स्थिति को इंगित करती है यानी जब मास्टर नियंत्रक और
पुश बटन स्टेशन और अन्य उपकरण विफल हो जाते हैं या मुख्य बिजली आपूर्ति, बैटरी बैक-अप, मध्यवर्ती उपकरणों आदि के साथ समस्याएं हैं। इसके साथ ही, "एलसीडी/एलईडी डिस्प्ले विंडो" दोषपूर्ण पुश बटन/डिवाइस की पहचान संख्या भी इंगित करेगी। ऐसी परिस्थितियों में केवल मुख्य नियंत्रक में बीपर ही ऑडियो अलार्म उठाएगा। पैनल में एक "गलती पावती पुश बटन" शामिल किया जाएगा, जिसे दबाने पर ऑडियो अलार्म को शांत कर देगा। हालाँकि, जब तक गलती साफ़ नहीं हो जाती, तब तक दृश्य संकेत (यानी, एलईडी डिस्प्ले और एलसीडी विंडो/स्क्रीन पर संदेश) 'चालू' रहेगा।

इ) एक एलईडी अलार्म की स्थिति का संकेत देती है। ऐसी परिस्थितियों में, "एलसीडी/एलईडी डिस्प्ले विंडो" सटीक पुश बटन पहचान (सीरियल नंबर और स्थान) को इंगित करेगी जहां से अलार्म सक्रिय किया गया है। इसके अलावा, सिस्टम सभी अलार्म साउंडर्स को "चालू" कर देगा।

ई) अलार्म को स्वीकार करने के लिए एक पुश बटन प्रदान किया जाएगा। जब स्वीकार किया जाता है, तो सिस्टम पूर्व-निर्धारित समय अंतराल के बाद साउंडर्स को "ऑफ" कर देगा, लेकिन अलार्म एलईडी और उपयुक्त डिस्प्ले के साथ एलसीडी/एलईडी "चालू" रहेंगे।

उ) यह प्रणाली एक साथ कई अलार्म स्थितियों को पूरा करने में सक्षम होगी, अर्थात, जब किसी विशेष पुश बटन स्टेशन से अलार्म बजाया गया हो और उसे स्वीकार कर लिया गया हो या अभी तक स्वीकार नहीं किया गया हो और इस स्तर पर किसी अन्य पुश बटन से एक और अलार्म बजाया जाता है, सभी साउंडर्स, यदि पहले से ही साइलेंस हो जाते हैं तो एक बार फिर से "चालू" आ जाएंगे और डिस्प्ले विंडो पिछले संकेतों के साथ इस पुश बटन स्टेशन के पते और स्थान को भी इंगित करेगी। इसे या तो एक साथ या स्क्रॉलिंग संदेश डिस्प्ले द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है। ऐसा प्रावधान एक समय में कम से कम पांच लगातार अलार्म की देखभाल के लिए उपलब्ध होगा।

- लंबी दूरी के रेडियो (LRR) संचार का समर्थन करना चाहिए।
- इंटरनेट के माध्यम से अलार्म रिपोर्टिंग का समर्थन करता है।
- स्वचालन/बीएमएस सॉफ्टवेयर/पीसी के साथ इंटरफेस।

ऊ) केवल अधिकृत कर्मियों तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए एक सिस्टम रीसेट पुश बटन उपयुक्त रूप से संरक्षित होगा, जिसे दबाए जाने पर सिस्टम को रीसेट कर दिया जाएगा और सक्रिय पुश बटन स्टेशन, मास्टर कंट्रोल पैनल, पुनरावर्तक पैनल पर एलईडी / एलईडी को "ऑफ" कर दिया जाएगा। डिस्प्ले विंडो पर सभी संदेशों को मिटाया भी जा सकता है। हालांकि, ऐसी सभी घटनाओं का विवरण ऑडिट ट्रेल बनाने के लिए बाद में डाउनलोडिंग और प्रिंटिंग के लिए सिस्टम की आंतरिक मेमोरी में संग्रहीत किया जाएगा।

ऋ) सिस्टम उपकरण और मास्टर कंट्रोलर लूप वायरिंग के लिए उपयुक्त होंगे ताकि केबलिंग में खराबी के मामले में, यह सुनिश्चित करने के लिए वैकल्पिक मार्ग स्थापित किया जा सके कि सिस्टम के स्वस्थ हिस्से को कम से कम समय के साथ वापस चालू किया जाए।

(ज) इस प्रणाली में भविष्य के विस्तार के उद्देश्य के लिए अलार्म घटकों के 20 प्रतिशत की सीमा तक अतिरिक्त क्षमता होगी।

ऍ) एड्रेसेबल लाइन आइसोलेटिंग डिवाइस: सिस्टम में निर्दिष्ट अंतराल पर एड्रेसेबल लाइन आइसोलेटिंग डिवाइस भी होंगे जिन्हें मास्टर कंट्रोलर से नियंत्रित किया जा सकता है, इसे शामिल किया जाएगा और एक इंटरफ़ेस डिवाइस के रूप में इंगित किया जाएगा। जब किसी अनुभाग को या तो कमांड द्वारा या सिस्टम द्वारा अलग किया जाता है, तो एलसीडी/एलईडी पैनल पर एक निरंतर संदेश प्रदर्शित किया जाएगा। जब पृथक खंड में गलती को ठीक कर दिया जाता है, तो आइसोलेटिंग सर्किटरी को लूप के प्रभावित खंड को स्वचालित रूप से फिर से कनेक्ट करना चाहिए।

ऐ) नियंत्रक प्रणाली में एक उपयुक्त प्रिंटर शामिल किया जाएगा। मांग पर प्रिंटर प्रिंट करेगा:

(१) वह दिनांक और समय जिस पर गलती हुई या सिस्टम सक्रिय हुआ,

(२) वह तारीख और समय जिस पर किसी उपकरण को अलग किया जाता है और सिस्टम में वापस डाल दिया जाता है।

(३) वह क्षेत्र जहां गलती हुई या क्षेत्र (क्षेत्रों) और पुश बटन नंबर जहां से सिस्टम सक्रिय किया गया है

(४) वह समय जिस पर मास्टर कंट्रोलर, रिपीटर पैनल और मिमिक पैनल में गलती/अलार्म को स्वीकार किया गया है।

(५) जिस समय रीसेट किया गया है। निविदाकर्ता सिस्टम रिपोर्ट उत्पन्न करने के लिए एक डेस्कटॉप कंप्यूटर और लेजर रंग प्रिंटर की आपूर्ति और कॉन्फ़िगर करेगा।

ए) सिस्टम में नवीनतम 100 घटनाओं (न्यूनतम) के लिए इस जानकारी को अनुक्रम में संग्रहीत करने के लिए पर्याप्त मेमोरी भी होगी। कार्यक्रम किसी विशेष दिन पर घटनाओं का प्रिंट आउट लेने या संग्रहीत सभी जानकारी की सुविधा प्रदान करेगा।

ऐ) मास्टर कंट्रोलर 220 वोल्ट +/- 10% के सामान्य विद्युत आपूर्ति वोल्टेज पर 50 हर्ट्ज +/- 3% पर काम करेगा और मास्टर कंट्रोलर के अलावा सिस्टम के सभी सक्रिय घटकों के लिए बिजली की आपूर्ति करने के लिए पर्याप्त क्षमता के साथ बिजली आपूर्ति इकाई (स्टैंडबाय एसएमएफ बैटरी बैक पावर सहित) होगा। बिजली आपूर्ति इकाई में आने वाली आपूर्ति वोल्टेज में भिन्नता के खिलाफ अंतर्निहित सुरक्षा होगी और आउटगोइंग सर्किट के लिए शॉर्ट सर्किट सुरक्षा भी होगी।

नियंत्रक के साथ पर्याप्त एम्पीयर घंटे की क्षमता की सीलबंद रखरखाव मुक्त बैटरियों का एक सेट प्रदान किया जाएगा ताकि मुख्य विफलता के मामले में बिजली आपूर्ति इकाई इससे बिजली खींच सके। यह सुनिश्चित करने के लिए एक बूस्ट/ट्रिकल चार्जर भी शामिल किया जाएगा कि बैटरी पूरी तरह से चार्ज स्थिति में रखी गई है।

बैटरी सेट की क्षमता निष्क्रिय परिस्थितियों में 24 घंटे और अलार्म स्थिति में कम से कम 2 घंटे के लिए पूरे सिस्टम के लिए बिजली की आपूर्ति करने के लिए पर्याप्त होगी। मास्टर कंट्रोलर किसी भी मध्यवर्ती डिवाइस की मदद से या उसके बिना, संचार केबल के माध्यम से पुश बटन स्टेशनों के साथ संचार करेगा।

निविदाकर्ता स्पष्ट रूप से किसी भी अतिरिक्त सुविधा को इंगित करेगा और उसका विवरण देगा जो नियंत्रक (उनके द्वारा प्रस्तावित) पेश करेगा। सभी इकाइयों के लिए बिजली की आपूर्ति मुख्य पैनल बिजली स्रोत से बढ़ाई जाएगी।

(३) पुनरावर्तक पैनल

पुनरावर्तक स्टेशनों में निम्नलिखित विशेषताएं होंगी। पुनरावर्तक स्टेशनों में कोई नियंत्रण कार्य नहीं होगा। उनके पास होगा:

अ) एल ई डी स्वस्थ और अलार्म स्थितियों को इंगित करने के लिए

आ) एक बीपर जिसे पुश बटन या माइक्रो स्विच दबाकर शांत किया जा सकता है।

इ) एक एलसीडी/एलईडी डिस्प्ले विंडो जो किसी भी समय मुख्य अलार्म पैनल की एलसीडी/एलईडी विंडो पर दिखाई देने वाले सभी संदेशों को इंगित करेगी

(४) इलेक्ट्रॉनिक अलार्म साउंडर

हूटर का आउटपुट लगभग 90db होगा और उपकरण (साउंडर) से लगभग 100 मीटर की दूरी तक स्पष्ट रूप से सुनाई देगा।

(५) सीसीटीवी प्रणाली के साथ एकीकरण

सिस्टम में भविष्य में आईपी सीसीटीवी और बिल्डिंग मैनेजमेंट इंटरफेस उपकरण के साथ बातचीत करने का प्रावधान होना चाहिए। ठेकेदार को भविष्य में बैंक के अनुरोध पर प्रभार्य आधार पर इसकी सुविधा प्रदान करनी चाहिए।

(६) इंटरफ़ेस उपकरण:

निविदाकर्ता से अनुरोध किया जाता है कि वह इनपुट डिवाइस और मुख्य अलार्म पैनल, रिपीटर पैनल और आउटपुट डिवाइस और मुख्य अलार्म पैनल के बीच सिस्टम के उपरोक्त उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए आवश्यकतानुसार इंटरफेस/इंटरमीडिएट उपकरण शामिल करे। प्रत्येक इंटरफेस यूनिट और एक्सपेंडर/जोन कार्ड में भविष्य की कनेक्टिविटी के लिए न्यूनतम 10% प्रावधान होना चाहिए।

(७) फ्लैश लैंप

कुछ क्षेत्रों में, कई पुश बटन एक-दूसरे के करीब प्रदान किए जाते हैं (उदाहरण के लिए बैंकिंग हॉल काउंटर)। सुविधा के लिए, ऐसे पुश बटनों के एक समूह को एक तार्किक क्षेत्र बनाने के लिए एक साथ जोड़ा जाएगा। आसान पहचान के लिए, प्रत्येक क्षेत्र के बीच में भौतिक रूप से एक फ्लैश लैंप प्रदान किया जाएगा। जब भी ज़ोन में किसी एक पुश बटन से अलार्म बजाया जाता है, तो उस ज़ोन से संबंधित फ्लैश लैंप 'ऑन' आएगा और मुख्य पैनल के रीसेट होने तक 'चालू' रहेगा।

(८) मार्ग संकेतक

पुलिस कर्मियों को जल्द से जल्द अलार्म बिंदु तक पहुंचने के लिए मार्गदर्शन करने के लिए पुलिस गार्ड के कक्ष से जंक्शनों पर अलार्म बिंदु तक के मार्ग में चमकदार मार्ग संकेतक (प्रबुद्ध तीर चिह्न) प्रदान किए जाने हैं।

(अ) उपकरणों का निर्माण विवरण

मुख्य नियंत्रण कक्ष निर्माण में मॉड्यूलर होगा और एमएस पाउडर लेपित शीट से बना होगा। तापमान वृद्धि को स्वीकार्य स्तर तक कम करने के लिए आवश्यक शीतलन/वेंटिलेशन पंखे सहित आवश्यक वेंटिलेशन व्यवस्था प्रदान की जाएगी। उपकरण 50 डिग्री सेल्सियस के परिवेश के तापमान और 90% के आरएच (गैर-संघनित करने योग्य) में लगातार काम करने में सक्षम होंगे।

निविदाकर्ता भारतीय/अंतर्राष्ट्रीय मानकों के निर्माण, विनिर्देश, तकनीकी साहित्य और विवरण प्रस्तुत करेगा, जिसका वे अनुपालन करते हैं और अन्य सभी प्रासंगिक डेटा निविदा का मूल्यांकन करने में सक्षम होंगे।

(आ) उपकरणों के लिए केबलिंग की प्रणाली

एक) निविदाकर्ता को सुरक्षा अलार्म प्रणाली के लिए उनके द्वारा पेश किए गए विभिन्न प्रकार के उपकरणों की केबलिंग/कनेक्शन की प्रणाली को इंगित करने वाला एक योजनाबद्ध आरेख संलग्न करना होगा। फर्श में उपकरणों के स्थानों जैसे मुख्य अलार्म पैनल, जोन विस्तारक, पुनरावर्तक पैनल, पुश बटन, प्रतिक्रिया संकेतक आदि को शामिल करने की योजना है।

दो) मौजूदा प्रणाली के केबलों का नई प्रणाली की स्थापना के लिए पुन: उपयोग किया जाएगा। मौजूदा सिस्टम केबलिंग 4 कोर 1.5 sq.mm की है। बख्तरबंद केबल। मौजूदा 4 कोर के अलावा और उससे अधिक की आवश्यकता वाले किसी भी अतिरिक्त कोर को ठेकेदार द्वारा न्यूनतम 1.5 sq.mm के प्रत्येक कोर के साथ बख्तरबंद तांबे के केबलों का उपयोग करके अपने दायरे में रखा जाएगा और इसे भुगतान के लिए मापा नहीं जाएगा। नए उपकरणों के लिए केबलिंग की प्रणाली बख्तरबंद मल्टीकोर कॉपर कंडक्टर केबल के साथ की जाएगी और इसे भुगतान के लिए मापा जाएगा। पावर कंडक्टर और डेटा कंडक्टर का आकार 1.5 sq.mm से कम नहीं होना चाहिए।

तीन) सभी केबलों को आवश्यकतानुसार दीवारों/छत/झूठी छत/विभाजन आदि पर बिछाया जाएगा और उचित दूरी (निर्देशानुसार) पर आवश्यकतानुसार जीआई/एल्यूमीनियम काठी के साथ जकड़ दिया जाएगा। दीवारों/झूठी छत/विभाजन में सभी उद्घाटन ठेकेदार द्वारा किए जाएंगे और नुकसान को वास्तविक रूप से अच्छा बनाया जाना है। केबलों को साइट की आवश्यकता के अनुसार और बैंक के इंजीनियर द्वारा निर्देशित सतह, झूठी छत, ढीली मिट्टी, कंक्रीट की सड़क पर बिछाया जाना चाहिए। भूमिगत बिछाई गई केबलों को उपयुक्त आकार के एचडीपीई पाइपों के माध्यम से बिछाया जाना चाहिए और इसे बिछाने के लिए बनाया गया उद्घाटन ठेकेदार द्वारा मूल के रूप में बनाया जाना चाहिए।

चार) चयनित केबल और उपकरण ऐसे होंगे कि सिस्टम का प्रदर्शन खराब न हो और लैंप, नोट काउंटिंग मशीन, कंप्यूटर, प्रिंटर, फैक्स मशीन, मोबाइल फोन आदि जैसे किसी भी उपकरण से किसी भी विद्युत चुम्बकीय हस्तक्षेप से प्रभावित न हो। यह बिजली केबलों, अन्य नियंत्रण केबलों की उपस्थिति से भी प्रभावित नहीं होगा जो बगल में बिछाए जा सकते हैं।

पाँच) सभी उपकरणों के लिए बिजली की आपूर्ति केवल मुख्य नियंत्रण कक्ष से की जानी चाहिए। तदनुसार, केबलिंग सिस्टम सभी उपकरणों को बिजली देने के लिए आवश्यक संख्या में कोर का ध्यान रखेगा।

(इ) इंस्टालेशन

मौजूदा सुरक्षा अलार्म सिस्टम को बदलकर सिस्टम को पहले से कब्जे वाले कार्यालय भवन में स्थापित किया जाना है। घुसपैठ का पता लगाने वाले नियंत्रण कक्ष प्रणाली को निर्माता के स्थापना निर्देशों के अनुसार स्थापित और परीक्षण किया जाएगा। जहां उपयुक्त हो वहां मालिक के प्रतिनिधि के साथ इंटरफेस का समन्वय करें।

पूर्ण और विश्वसनीय स्थापना के लिए बैक बॉक्स, पुल बॉक्स, कनेक्टर, सपोर्ट, नाली, केबल और तार प्रदान करें। स्थापना से पहले सभी बक्से, नाली और वायरिंग रन के सटीक स्थान के लिए बैंक की स्वीकृति प्राप्त करें।

नाली, केबल और तार समानांतर स्थापित करें और भवन लाइनों के साथ चौकोर हों, जिसमें ऊंचे फर्श क्षेत्र भी शामिल हैं। नाली में चालीस प्रतिशत से अधिक न भरें। एक व्यवस्थित स्थापना बनाने के लिए तारों को इकट्ठा करें और बांधें।

स्थापना का उचित अनुक्रमण प्रदान करने के लिए अन्य ट्रेडों के साथ समन्वय करें।

(ई) फील्ड कमीशनिंग और प्रमाणन

फील्ड कमीशनिंग: निर्माता द्वारा अनुशंसित परीक्षण प्रणाली, जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं:

उपकरणों का पूर्ण निरीक्षण और परीक्षण करना, जिसमें जुड़े उपकरणों के साथ संचालन का सत्यापन भी शामिल है।

उपकरणों का परीक्षण करना और बैंक के प्रतिनिधि और अधिकारियों को परिचालन विशेषताओं का प्रदर्शन करना, जिनके अधिकार क्षेत्र लागू हो।

संतोषजनक परिणाम प्राप्त होने तक कमियों को ठीक करें। परीक्षा परिणामों की लिखित प्रतियां जमा करें।

(उ) प्रशिक्षण

निर्माता द्वारा अनुशंसित सत्रों की संख्या और सत्रों की लंबाई के साथ ऑन-साइट सिस्टम प्रशिक्षण आयोजित करें। प्रशिक्षण में प्रशासन, प्रावधान, कॉन्फ़िगरेशन, संचालन और निदान शामिल होंगे।

चार. **स्वीकृत बनाना:**

सामग्री और उपकरण के अनुमोदित मेक की सूची

Sr. No.	वस्तुओं का विवरण	स्वीकृत मेक	बोलीदाता द्वारा पेश की गई
1	मुख्य / मास्टर नियंत्रण कक्ष, लाइसेंस के साथ सॉफ्टवेयर	टेक्सेकॉम / बॉश / डीएससी / हनीवेल / टाइको / जॉनसन कंट्रोल / कूपर या समकक्ष	
2	मॉड्यूल सहित पुनरावर्तक पैनल / ज़ोन विस्तारक।		
3	इंटेलिजेंट साउंडर, हूटर कम फ्लैशर, इनपुट/आउटपुट मॉड्यूल।		
4	FRLS बख्तरबंद तांबे की केबल।	फिनोलेक्स/पॉलीकैब/ग्लोस्टर सीसीआई/आरआर काबेल	
5	कंप्यूटर (पीसी)	आईबीएम/एचपी/कॉम्पैक/डेल	

6	मुद्रक यंत्र	एचपी/भाई/कैनन/एप्सन	
7	केबल्स	फिनोलेक्स, ग्लोस्टर, पॉलीकैब, केईआई, सीसीआई, यूनिवर्सल	

पाँच. **व्यापक वार्षिक रखरखाव अनुबंध (CAMC):**

5.1 आवश्यकता: निविदाकार मूल्य बोली में एक वर्ष की गारंटी अवधि की समाप्ति के बाद व्यापक वार्षिक रखरखाव सेवा अनुबंध (सीएएमसी) के लिए अपने शुल्क को अलग से उद्धृत करेंगे। भुगतान संतोषजनक सेवा प्रदान करने पर छमाही आधार पर किया जाएगा। सेवा अनुबंध दर में सभी लागतों को भी ध्यान में रखा जाएगा, जिसमें निकटतम सर्विस स्टेशन से यात्रा लागत, प्रिंटर के कारतूस सहित पुर्जों की लागत आदि शामिल हैं। आपूर्ति किए गए उपकरण को माइक्रोप्रोसेसर आधारित सुरक्षा अलार्म सिस्टम को भारतीय रिजर्व बैंक, चेन्नई को सौंपने की तारीख से कम से कम एक वर्ष की अवधि के लिए सभी प्रकार के दोषों के खिलाफ गारंटी दी जाएगी। गारंटी अवधि और वार्षिक रखरखाव अनुबंध अवधि के भीतर पाए जाने वाले सिस्टम/उप-असेंबली में किसी भी दोष को निविदाकार द्वारा नि: शुल्क सुधार/प्रतिस्थापित किया जाएगा, जिसमें सभी स्पेयर पार्ट्स, सॉफ्टवेयर और बाद में अद्यतनीकरण, लूप केबलिंग और श्रम का सुधार शामिल है। इस अवधि के दौरान, कम से कम तीन महीने के अंतराल पर उपकरणों की पूर्ण सर्विसिंग और सफाई की जाएगी, जिसमें किसी भी संख्या में ब्रेकडाउन कॉल को शामिल करना शामिल है, जिसे मुफ्त में किया जाएगा। निविदाकर्ता को यह भी सूचित करना होगा कि वे स्थापना के स्थान पर क्या सेवा सुविधा प्रदान कर सकते हैं और संपर्क विवरण जैसे टेलीफोन नंबर, ईमेल और उनके सेवा केंद्र का पता।

गारंटी और सीएएमसी अवधि के दौरान सिस्टम के रखरखाव के लिए हर तिमाही/पहले या ओईएम दिशानिर्देशों के अनुसार एक सक्षम, प्रशिक्षित सेवा इंजीनियर की प्रतिनियुक्ति करके प्रणाली का निरीक्षण और जांच की जाएगी। दोषों को इंगित करने वाला उपयुक्त लॉग रजिस्टर/कॉल शीट, ब्रेकडाउन की तारीख और समय के साथ किए गए सुधार को बनाए रखा जाना चाहिए और सुरक्षा अधिकारी/बैंक के इंजीनियर से हस्ताक्षर किए जाने चाहिए।

भारतीय रिज़र्व बैंक, चेन्नई गारंटी और सेवा अनुबंध की मुद्रा के दौरान पुरुषों/सामग्री के रूप में कोई सहायता प्रदान नहीं करेगा। निविदाकर्ताओं को रिपोर्ट/देखे गए दोषों को दूर करने के लिए सभी आवश्यक पुर्जों सहित कुशल कर्मियों के लिए एक सहायक की प्रतिनियुक्ति के लिए अपनी व्यवस्था स्वयं करनी होगी।

5.2 फर्म द्वारा उद्धृत एएमसी दर एक वर्ष की गारंटी अवधि की समाप्ति और एएमसी के पहले वर्ष के बाद दर को संशोधित किया जाएगा और निम्नलिखित सूत्र के अनुसार अनुबंध का नवीनीकरण किया जाएगा:

	एसी = एपी [(15+60 एक्स (ईपीआईसी/ईपीआईपी)+25एक्स(सीपीआईसी/सीपीआईपी)] एक्स 1/100
एसी	चालू वर्ष के लिए अनुबंध राशि
एपी	पिछले वर्ष के लिए अनुबंध राशि
ईपीसी	इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों के लिए थोक मूल्य सूचकांक चालू वर्ष के लिए अनुबंध की प्रारंभ तिथि से 6 महीने पहले
ईपीआईपी	इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों के लिए थोक मूल्य सूचकांक पिछले वर्ष के लिए अनुबंध की प्रारंभ तिथि से 6 महीने पहले

सीपीसी	चालू वर्ष के लिए संविदा प्रारंभ होने की तारीख से 6 माह पहले औद्योगिक कामगारों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (अखिल भारतीय औसत)।
सीपीआईपी	औद्योगिक कामगारों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (अखिल भारतीय औसत) पिछले वर्ष के लिए अनुबंध की प्रारंभ तिथि से 6 महीने पहले।

5.3 डीएलपी और सीएएमसी के दौरान गलती को सुधारने में देरी के लिए जुर्माना:

यह एक आपातकालीन प्रणाली होने के नाते, डीएलपी और सीएएमसी अवधि के दौरान, सिस्टम में किसी भी खराबी को नीचे दिए गए सुधार समय के अनुसार ठीक किया जाएगा, ऐसा न करने पर जुर्माना लगाया जाएगा।

क्र. नं.	सिस्टम में दोष का प्रकार	सुधार का समय	जुर्माना
a)	कोई भी दोष जिसके परिणामस्वरूप सिस्टम पूरी तरह से विफल हो जाता है	24 घंटे	500/- रुपये प्रति दिन फर्म द्वारा प्रस्तुत पीबीजी के मूल्य के अधिकतम 10% के अध्यधीन।
b)	स्वतंत्र उपकरणों, घटकों, केबलों में कोई भी दोष जिसके परिणामस्वरूप सिस्टम की पूर्ण विफलता नहीं हो सकती है	72 घंटे	250/- रुपये प्रति दिन फर्म द्वारा प्रस्तुत पीबीजी के मूल्य के अधिकतम 10% के अध्यधीन।

बैंक को एएमसी अवधि और दोष देयता अवधि के दौरान ठेकेदार को देय किसी भी बकाया राशि से या प्रदर्शन बैंक गारंटी का आह्वान करके जुर्माना शुल्क वसूलने का अधिकार है।

स्थान:

दिनांक: अनुबंध पर मुहर और हस्ताक्षर

धारा -IX

<u>बोलीदाता द्वारा भरा जाने वाला तकनीकी विवरण</u>

<u>बोलीदाता द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले तकनीकी विवरण</u>

A	**मुख्य नियंत्रण कक्ष**		
	(i)	बनाना	
	(ii)	मॉडल/प्रकार	
	(iii)	इंगित करें	
		'स्वस्थ' के लिए एलईडी प्रदान की गई	हाँ/नहीं
		'गलती' के लिए एलईडी प्रदान की गई	हाँ/नहीं
		नहीं। 'अलार्म' की स्थिति के लिए एलईडी की संख्या प्रदान की गई	_____ संख्या।
		नहीं। का समक्षणिक अलार्म की स्थिति जिन्हें संभाला जा सकता है	_____Nos।
		अलार्म पावती प्रदान की गई	हाँ/नहीं
		अलार्म रीसेट प्रदान किया गया	हाँ/नहीं
	(iv)	एलसीडी/एलईडी विंडो आकार (एलएक्सडब्ल्यू)	
		नहीं। प्रति पंक्ति वर्ण की संख्या	
		नहीं। पंक्तियों की	
	(v)	प्रोग्राम करने योग्य कीपैड/टच स्क्रीन प्रदान की गई	हाँ/नहीं
	(vi)	शक्ति सप्लाई इकाई पर्याप्त सिस्टम में सभी उपकरणों के लिए बिजली की आपूर्ति करने के लिए।	हाँ/नहीं
	(vii)	प्रिंटर प्रदान किया गया	हाँ/नहीं
		स्टैंडबाय बैटरी बैक-अप स्रोत,	
	(viii)	प्रत्येक बैटरी का वोल्टेज	वोल्ट
		प्रत्येक बैटरी की घंटे की क्षमता	आह
		नहीं। बैटरियों की संख्या	नहीं।
		प्रकार बैटरियों की- चाहे मुहरबंद रखरखाव मुक्त	हाँ/नहीं

	(ix)	क्या बैटरी सेट की क्षमता है निष्क्रिय के तहत 24 घंटे के लिए पूरे सिस्टम के लिए बिजली की आपूर्ति करने के लिए पर्याप्त स्थितियाँ और कम से कम 2 घंटे के लिए अलार्म स्थिति में	हाँ/नहीं
	(x)	अधिकतम उन उपकरणों की संख्या जिन्हें एक सिस्टम से जोड़ा जा सकता है। (सभी मदों के लिए भरी जाने वाली संख्या में मात्रा)	
		इनपुट डिवाइस	नहीं।
		आउटपुट डिवाइस	नहीं।
B	**पुश बटन स्टेशन**		
	(i)	पुश बटन का निर्माण	
	(ii)	"अलार्म" स्थिति के लिए संकेत	हाँ/नहीं
	(iii)	क्या पता योग्य है	हाँ/नहीं
C	**इलेक्ट्रॉनिक साउंडर्स**		
	(i)	बनाना	
	(ii)	उत्पादन क्षमता	_____ वाट।
	(iii)	व्यक्तिगत रूप से संबोधित करने योग्य और कार्यक्रम	हाँ/नहीं
D	**पुनरावर्तक पैनल**		
	(i)	स्वस्थ एलईडी प्रदान की गई	हाँ/नहीं
	(ii)	पावती बटन प्रदान किया गया	हाँ/नहीं
	(iii)	क्या एलसीडी डिस्प्ले विंडो जो प्रदान किए गए मुख्य पैनल की एलसीडी विंडो पर सभी संदेशों को इंगित करेगी	हाँ/नहीं
E	**मुद्रक यंत्र**		
	(i)	बनाना	
	(ii)	को गढ़ना	
	(iii)	गति	

F	**इंटरमीडिएट डिवाइस (विस्तारक)**		
	(i)	डिवाइस का नाम	
	(ii)	क्या यह केवल इनपुट डिवाइस को स्वीकार करेगा या केवल आउटपुट डिवाइस या दोनों का संयोजन।	
	(iii)	नहीं। उपकरणों की संख्या और वह प्रकार जिसे प्रत्येक मध्यवर्ती उपकरण से जोड़ा जा सकता है।	
	(iv)	नहीं। संपूर्ण प्रणाली के लिए आवश्यक मध्यवर्ती उपकरणों की संख्या (प्रकार वार)	
G	**फ्लैशलाइट और रूट इंडिकेटर**		
	(i)	बनाना	
	(ii)	को गढ़ना	

दिनांक:

स्थान: ठेकेदार की मुहर और हस्ताक्षर

खंड – X

मात्रा का बिना कीमत वाला बिल
(मूल्य बोली/भाग II)

कार्य का नाम: बैंक के मुख्य कार्यालय भवन, आरबीआई, चेन्नई के लिए माइक्रोप्रोसेसर आधारित पता योग्य सुरक्षा अलार्म सिस्टम का डिजाइन, आपूर्ति, स्थापना, परीक्षण और कमीशनिंग

क्रम संख्या	कार्य का विवरण	मात्रा	इकाई
1	माइक्रोप्रोसेसर आधारित एड्रेसेबल सिक्योरिटी अलार्म कंट्रोल पैनल की आपूर्ति, स्थापना, परीक्षण और कमीशनिंग (एसआईटीसी) कम से कम दो क्षेत्रों के साथ, पर्याप्त लूप के साथ और इस बीओक्यू में बताए गए न्यूनतम 100 पैनिक स्विच और अन्य मॉड्यूल को संभालने में सक्षम है। पैनल में न्यूनतम 80-कैरेक्टर एलसीडी/एलईडी डिस्प्ले या टच स्क्रीन और कैबिनेट, ट्रांसफार्मर, एसएमएफ बैटरी और बैटरी चार्जर के साथ-साथ एकीकरण और अलार्म प्रबंधन के लिए आईपी लैन मॉड्यूल सहित संचार मॉड्यूल, सुरक्षा अलार्म सिस्टम में सभी उपकरणों के एकीकरण के लिए आवश्यक सॉफ्टवेयर, निविदा के भाग-। में दिए गए तकनीकी विनिर्देशों के अनुसार अन्य सभी सहायक उपकरण आदि होंगे। सिस्टम UL/EN अनुरूप होना चाहिए।	1	सेट
2.	निविदा के भाग । में दिए गए निविदा विनिर्देशों के अनुसार, मॉड्यूल के साथ कीपैड/उद्घोषक/पुनरावर्तक पैनल का एसआईटीसी, उपयुक्त डिस्प्ले या टच स्क्रीन और आवश्यक हार्डवेयर सिस्टम की स्थिति और घटना के स्थान आदि को इंगित करने के लिए।	15	नहीं
3	कनेक्शन मॉड्यूल के साथ एड्रेसेबल मैनुअल कॉल/पैनिक बटन (डुअल पुश टाइप) और आवश्यक हार्डवेयर जैसे ऐक्रेलिक / फाइबर कवर जैसे पुश के लिए ओपनिंग के साथ, आवश्यक केबलिंग (निविदा विनिर्देशों के अनुसार) के साथ आकस्मिक सक्रियण को रोकने के लिए। यह यूएल/एन अनुमोदित होगा।	75	नहीं।
4	मॉड्यूल और आवश्यक हार्डवेयर के साथ **एड्रेसेबल फुट ऑपरेटेड मैनुअल स्विच** का एसआईटीसी।	11	नहीं।
5	इलेक्ट्रॉनिक अलार्म साउंडर कम स्ट्रोब लाइट का SITC। यह UL/EN अनुमोदित होगा।	14	नहीं।
6	निविदा के भाग-। में दिए गए निविदा विनिर्देशों के अनुसार आठ-जोन विस्तार मॉड्यूल का एसआईटीसी।	13	नहीं।

7.	मैपिंग सुविधा के साथ नियंत्रण स्टेशन: ग्राफिकल यूजर इंटरफेस (जीयूआई) का एसआईटीसी एक ग्राफिकल इंटरफेस (ई-मैप फीचर) में अलार्म की स्थिति और स्थानों को प्रदर्शित करने के लिए, सिस्टम लॉग / अलार्म स्थितियों का भंडारण और प्रदर्शन, सिस्टम में घटकों की निगरानी आदि नीचे दिए गए विनिर्देशों (न्यूनतम) के अनुसार एक पीसी में – • ऑपरेटिंग सिस्टम - विंडोज 11 प्रोफेशनल 64 बिट (या उच्चतर) और एमएस ऑफिस 2021 या बेहतर • प्रोसेसर - इंटेल ® कोर ™ i5 (14वीं या 15वीं पीढ़ी या कोर अल्ट्रा 5) या बेहतर • रैम - 8 जीबी DDR3 • हार्ड डिस्क - न्यूनतम 512 जीबी मुफ्त के साथ 100 जीबी एसएसडी • 21 इंच एलईडी मॉनिटर उपरोक्त विनिर्देश के पर्सनल कंप्यूटर (पीसी) की आपूर्ति और स्थापना ठेकेदार द्वारा बैंक को बिना किसी अतिरिक्त लागत के की जाएगी।	1	सेट
8.	सिस्टम की आवश्यकता के अनुसार आवश्यक सहायक उपकरण के साथ लेजर प्रिंटर का एसआईटीसी	1	सेट
9.	निविदा विनिर्देशों के अनुसार 3 कोर, 1.5 वर्ग मिमी तांबे के मल्टीस्ट्रैंडेड बख्तरबंद एफआर केबल **का एसआईटीसी**, बैंक के इंजीनियर के निर्देशानुसार जहां भी आवश्यक हो, आंशिक रूप से भूमिगत, छुपा हुआ और सतह की दीवार पर अर्थ एक्सटूज़न/वॉल चेज़िंग/होल/कंक्रीट कटिंग/केबल डिस्कनेक्ट करना और फिर से जोड़ना आदि सहित उचित सैडलिंग तरीके से सतह की दीवार पर लगाया जाएगा।	200	मीटर
10.	निविदा विनिर्देशों के अनुसार 4 कोर, 1.5 वर्ग मिमी कॉपर मल्टीस्ट्रैंडेड बख्तरबंद एफआर केबल **का एसआईटीसी**, बैंक के इंजीनियर द्वारा निर्देशित किया गया है, जहां भी आवश्यक हो, आंशिक रूप से भूमिगत, छुपा हुआ और सतह की दीवार पर अर्थ एक्सटूज़न/वॉल चेज़िंग/होल/कंक्रीट कटिंग/केबल को डिस्कनेक्ट करना और फिर से कनेक्ट करना आदि सहित उचित सैडलिंग तरीके से लगाया गया है।	2000	मीटर
	(A) जीएसटी सहित कुल पूंजीगत लागत रुपये में		
11	**निविदा में निर्धारित नियमों और शर्तों के अनुसार सुरक्षा अलार्म सिस्टम (दोष देयता अवधि के बाद) के रखरखाव के लिए** व्यापक वार्षिक अनुरक्षण प्रभार (सीएएमसी)	1	काम
	(B) जीएसटी सहित रुपये में कुल CAMC शुल्क		
12	नई प्रणाली के वर्चुअल रूप से पूरा होने के बाद पुराने सुरक्षा अलार्म सिस्टम (केबलों को छोड़कर) के घटकों को हटाने और हटाने के लिए छूट की पेशकश की गई है।	1	एकमुश्त
	(C) जीएसटी सहित कुल छूट की पेशकश की गई		

स्वामित्व की कुल लागत (TCO) = पूंजीगत लागत (A) - छूट राशि (C) + 5.6321 x AMC दर उद्धृत (B)

टीसीओ के आधार पर निविदा का मूल्यांकन किया जाएगा।

दिनांक:

स्थान: ठेकेदार की मुहर और हस्ताक्षर

अनुलग्नक – I

<u>प्रस्ताव पर हस्ताक्षर करने के लिए पावर ऑफ अटॉर्नी के लिए प्रारूप</u>

(उचित मूल्य के गैर-न्यायिक स्टाम्प पेपर पर)

इन उपहारों से सभी पुरुषों को जानें, हम..... (बोलीदाता का नाम और उनके पंजीकृत कार्यालय का पता) इसके द्वारा श्री /(पावर ऑफ अटॉर्नी धारक का नाम और आवासीय पता) जो वर्तमान में हमारे साथ कार्यरत है और के पद पर है हमारे वकील के रूप में, हमारे नाम पर और हमारी ओर से, ऐसे सभी कार्यों, कर्मों और चीजों को "काम के नाम" के लिए हमारी बोली के संबंध में या उसके आकस्मिक **रूप से करने के लिए,** जिसमें सभी दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करना और जमा करना, पूर्व-बोली बैठक में व्यक्तियों को प्रतिनियुक्त करना और आरबीआई को जानकारी/प्रतिक्रिया प्रदान करना, आरबीआई के समक्ष सभी मामलों में हमारा प्रतिनिधित्व करना, और आम तौर पर उक्त परियोजना के लिए हमारे प्रस्ताव के संबंध में सभी मामलों में आरबीआई के साथ काम करना।

हम इस पावर ऑफ अटॉर्नी के अनुसार हमारे उक्त वकील द्वारा कानूनी रूप से किए गए सभी कार्यों, कर्मों और चीजों की पुष्टि करने के लिए सहमत हैं और यह कि हमारे उपरोक्त वकील द्वारा किए गए सभी कार्य, कार्य और चीजें हमेशा हमारे द्वारा की गई मानी जाएंगी और हमेशा हमारे द्वारा की गई हैं।

नोट:

पावर ऑफ अटॉर्नी पर ठीक से मुहर लगाई जानी चाहिए और नोटरीकृत पावर ऑफ अटॉर्नी प्रस्तुत की जानी चाहिए।

बोलीदाता के नाम पर हस्ताक्षर/(एस)

बोलीदाता की स्टाम्प/मुहर

(एनबी: इस गारंटी के लिए राज्य में लागू स्टांप शुल्क की आवश्यकता होगी, जहां इसे निष्पादित किया जाता है और उस अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित किया जाएगा जिसके हस्ताक्षर और अधिकार सत्यापित किए जाएंगे।

अनुलग्नक II

ई-टेंडर के संबंध में महत्वपूर्ण निर्देश

यह आरबीआई का एक ई-प्रोक्योरमेंट इवेंट है। ई-प्रोक्योरमेंट सर्विस प्रोवाइडर/बोलीदाता केंद्रीय सार्वजनिक खरीद पोर्टल (सीपीपीपी) है।
https://etenders.gov.in/eprocure/app

ई-टेंडर की प्रक्रिया: बोलीदाता मैनुअल किट होम पेज पर उपलब्ध है।

ए) नए बोलीदाता के लिए पंजीकरण: इस प्रक्रिया में सीपीपी पोर्टल के साथ विक्रेता का पंजीकरण शामिल है जो नि: शुल्क है। https://etenders.gov.in/eprocure/app?page=BiddersManualKit&service=page

किसी भी तकनीकी संबंधी प्रश्न के लिए कृपया 24 x 7 हेल्प डेस्क नंबर पर कॉल करें

0120-4001 002

0120-4001 005

0120-4493395

अंतर्राष्ट्रीय बोलीदाताओं से अनुरोध है कि वे देश कोड के रूप में +91 लगा लें

ईमेल समर्थन:
प्रकाशित निविदाओं से संबंधित किसी भी मुद्दे या स्पष्टीकरण के लिए, बोलीदाताओं से अनुरोध है कि वे संबंधित निविदा आमंत्रित प्राधिकारी से संपर्क करें

तकनीकी - support-eproc@nic.in

पॉलिसी से संबंधित - cppp-doe@nic.in

अनुलग्नक-III

फर्म के लेटरहेड पर भाग लेने वाली फर्म/बोलीदाता का विवरण

एक.	बोलीदाता का नाम	
दो.	फर्म की स्थिति	प्रोपराइटरशिप फर्म/पार्टनरशिप फर्म/लिमिटेड/अन्य यदि अन्य निर्दिष्ट करते हैं: _____ [पंजीकरण का प्रमाण पत्र संलग्न करें]
तीन.	नाम का फर्म/कंपनी के मालिक/भागीदार/निदेशक	
चार.	संचालन में वर्षों की संख्या	
पाँच.	पंजीकृत कार्यालय का पता:	
छः.	विनिर्माण संयंत्र का पता	
सात.	बोलीदाता का पता जहां आदेश/ठेका दिया जाना है	
आठ.	टेलीफोन संख्या का पता जहां आदेश दिया जाना है वेबसाइट और ईमेल आईडी	_____ (देश कोड) (क्षेत्र कोड) (टेलीफोन नंबर) _____
नौ.	पैन नं.	_____ [इसके अलावा, पैन कार्ड की प्रति संलग्न करें]
दस.	जीएसटी नं. (ऊपर क्रम संख्या 8 देखें)	_____ [इसके अलावा, जीएसटी प्रमाणपत्र की प्रति संलग्न करें]
ग्यारह.	ईपीएफ पंजीकरण संख्या.	_____ [इसके अलावा, ईपीएफ पंजीकरण प्रमाणपत्र की प्रति संलग्न करें]
बारह.	ईएसआई कोड सं.	_____

		[इसके अलावा, प्रासंगिक दस्तावेज़ की प्रति संलग्न करें]
तेरह.	चाहे सूक्ष्म/लघु/मध्यम हो उद्यमिता	(बोलीदाता को आईटीबी के रूप में निर्दिष्ट दस्तावेज जमा करने के लिए)
चौदह.	**बैंकर विवरण (भुगतान प्राप्त करने के लिए खाता)** [इसके अलावा, रद्द किए गए चेक की प्रति संलग्न करें]	
१.	बैंकर का नाम	
२.	शाखा	
३.	बैंक खाता संख्या	
४.	आईएफएससी	
पंद्रह.	**सेवा सेटअप का विवरण**	
१.	पता	
२.	ईमेल	
३.	टेलीफोन/मोबाइल नंबर	
४.	तैनात व्यक्तियों की संख्या	

स्थान: **[बोलीदाता के अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर]**

दिनांक: नाम:

उपाधि:

सील:

अनुलग्नक – IV

फर्म के लेटरहेड पर ग्राहकों की सूची

पात्रता मानदंड के अनुसार अर्हक कार्यों का ब्यौरा

		कार्य अनुभव के लिए (कार्य 5 वर्ष से पहले पूरा किया जाना है)	प्रत्येक पूर्ण किए गए कार्य का न्यूनतम मूल्य (कार्य 5 वर्षों के भीतर पूरा किया जाना है)		
		ग्राहक	ग्राहक 1	ग्राहक 2	ग्राहक 3
1	कार्य का विवरण				
2	ग्राहक के पते, टेलीफोन नंबर और संपर्क व्यक्ति और ईमेल का विवरण				
3	कार्य आदेश/पुरस्कार विवरण का पत्र (संलग्न)				
4	काम का मूल्य				
5	काम शुरू होने की तारीख				
6.	कार्य समाप्त होने की तिथि				
7.	कार्य आदेश के अनुसार पूरा होने की अवधि				
8.	काम समय पर पूरा हुआ या नहीं (देरी के दिनों की संख्या)				
9.	क्या कार्य व्यापक वार्षिक अनुरक्षण संविदा (सीएएमसी) के अंतर्गत हैं				

स्थान:
दिनांक: नाम:

[बोलीदाता के अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर]

उपाधि:
सील:

अनुलग्नक - V

कंपनी/फर्म/संगठन के लेटर हेड पर

कृपया हमेशा अपने पत्राचार में उद्धृत करें

संदर्भ नहीं। _____ दिनांक: _____

श्री यारासी जयकुमार
क्षेत्रीय निदेशक,
भारतीय रिज़र्व बैंक,
फोर्ट ग्लेसिस,
नंबर 16, राजाजी सलाई,
चेन्नई – 600 001.

प्रिय महोदय,

काम का नाम: _____

बोलीदाता के प्रदर्शन के संबंध में ग्राहक का प्रमाण पत्र

हम पुष्टि करते हैं कि मेसर्स (बोलीदाता का नाम) ने हमारे लिए निम्नलिखित कार्य किए _____ हैं। फर्म को कैप्शन लागत सौंपने के लिए ध्वनि माना जा सकता है।

2. आपके अवलोकन और रिकॉर्ड के लिए अन्य विवरण नीचे दिए गए हैं:

क्रम संख्या।	**विवरण**	**ग्राहक की टिप्पणियाँ**
1	संक्षिप्त विवरण के साथ पात्र कार्य का नाम	
2	कार्य आदेश संख्या. और दिनांक	
3	परियोजना/कार्य लागत	
4	कार्य प्रारंभ होने की तिथि	
5	पूरा होने की निर्धारित तिथि	
6	पूरा होने की वास्तविक तिथि	
7	विलंब के लिए लगाए गए मुआवजे का ब्यौरा (राशि, यदि कोई हो) दर्शाइए,	
8	पूर्ण किए गए कार्य की सकल राशि और भुगतान	
9	**प्रदर्शन रिपोर्ट:**	बकाया / बहुत अच्छा / अच्छा / निष्पक्ष / संतोषजनक / गरीब

क्रम संख्या।	विवरण	ग्राहक की टिप्पणियाँ
	(i) निष्पादित कार्य की गुणवत्ता (ग्रेडिंग दर्शाएं)	
	(ii) यदि फर्म वार्षिक रखरखाव अनुबंध (एएमसी) के तहत प्रणाली का रखरखाव कर रही है। एएमसी के प्रदर्शन के लिए ग्रेडिंग का संकेत दें	
10	मैसर्स _____ की क्षमताओं पर ग्राहक की टिप्पणियां (ग्रेडिंग इंगित करें): उत्कृष्ट / बहुत अच्छा / अच्छा / निष्पक्ष/संतोषजनक / खराब	
	(ए) तकनीकी दक्षता	
	(b) वित्तीय सुदृढ़ता	
	(c) जनशक्ति का जुटाना	
	(d) सामान्य व्यवहार	
11	कोई भी अन्य जानकारी जिस पर आप विचार करते हैं, हमें अपना निर्णय लेने में मदद करेगी।	

ग्राहक की कार्यालय मुहर

तुम्हारा ईमानदारी से,

(उत्तर देने वाले अधिकारी के हस्ताक्षर*)
एसई (ई) / कार्यकारी अभियंता (ई) के लिए

* सरकारी/सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों के लिए किए गए कार्यों के लिए प्रदर्शन रिपोर्ट/ग्राहक प्रमाण पत्र के संबंध में, प्रमाण पत्र पर संबंधित कार्यकारी अभियंता या समकक्ष या उच्च रैंक के अधिकारी द्वारा हस्ताक्षर किए जाने चाहिए। निजी कंपनियों के लिए किए गए कार्यों के लिए, क्रेडेंशियल्स/अनुबंध राशि साबित करने के लिए टीडीएस की प्रति प्रस्तुत करनी होगी।
(i) सभी कॉलम ठीक से भरे जाने चाहिए
(ii) ग्राहक प्रमाण पत्र भारतीय रिज़र्व बैंक को संबोधित एक सीलबंद लिफाफे में प्रस्तुत किया जाना चाहिए.....
प्रत्येक पूर्व-योग्यता कार्य के लिए

अनुलग्नक VI

बैंक के लेटर हेड पर

कृपया हमेशा अपने पत्राचार में उद्धृत करें
संदर्भ नहीं। _____ दिनांक: _____

श्री यारासी जयकुमार
क्षेत्रीय निदेशक,
भारतीय रिज़र्व बैंक,
फोर्ट ग्लेसिस,
नंबर 16, राजाजी सलाई,
चेन्नई – 600 001.

प्रिय महोदय,

काम का नाम: _____

<u>बैंकर प्रमाणपत्र</u>

हम पुष्टि करते हैं कि मेसर्स _____ हमारे साथ बैंकिंग कर रहे हैं। उन्हें ₹ के किसी भी अनुबंध के साथ सौंपने के लिए वित्तीय रूप से मजबूत माना जा सकता है।

2. आपके अवलोकन और रिकॉर्ड के लिए अन्य विवरण नीचे दिए गए हैं:

क्रम संख्या।	विवरण	बैंक की टिप्पणियाँ
1	फर्म की संरचना (चाहे साझेदारी/स्वामित्व/सार्वजनिक लिमिटेड)	
2	फर्म के मालिक/भागीदारों/निदेशकों के नाम	
3	उनके द्वारा प्राप्त क्रेडिट सुविधा/ओवरड्राफ्ट सुविधा	
4	व्यवहार	
5	वह अवधि जिससे फर्म आपके बैंक के साथ बैंकिंग कर रही है	
6	कोई अन्य टिप्पणी	

3. यह प्रमाण पत्र बैंक या उसके किसी अधिकारी पर बिना किसी गारंटी या जिम्मेदारी के जारी किया जाता है।

तुम्हारा ईमानदारी से,

बैंक की मुहर

(हस्ताक्षर)
अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता
बैंक के लिए

अनुलग्नक - VII

बयाना धन जमा के लिए बैंक गारंटी का प्रोफार्मा

(उचित मूल्य के गैर-न्यायिक स्टाम्प पेपर पर)

श्री यारासी जयकुमार
क्षेत्रीय निदेशक,
भारतीय रिज़र्व बैंक,
फोर्ट ग्लेसिस,
नंबर 16, राजाजी सलाई,
चेन्नई – 600 001.

प्रिय महोदय,

काम का नाम

रेफरी: एनआईटी/विज्ञापन सं. तारीख

जबकि भारतीय रिज़र्व बैंक, जिसका केंद्रीय कार्यालय शाहिद भगत सिंह रोड, मुंबई में है (जिसे इसके बाद 'आरबीआई' कहा जाता है) ने उक्त निविदा दस्तावेजों में उल्लिखित नियमों और शर्तों पर शीर्षक वाले कार्य (इसके बाद "उक्त निविदा" कहा जाता है) के लिए निविदाएं आमंत्रित की हैं। यह निविदाओं के आमंत्रण की शर्तों में से एक है कि बोलीदाता बयाना राशि जमा (ईएमडी) के रूप में रु. (केवल रुपये) की राशि के लिए बैंक गारंटी प्रस्तुत करेगा। मेसर्स (बोलीदाता/बोलीदाता का नाम) _____, (इसके बाद "बोलीदाता/बोलीदाता" कहा जाता है), जो हमारे ग्राहक/घटक हैं जो उक्त कार्य के लिए अपनी निविदा/बोली प्रस्तुत करने का इरादा रखते हैं और हमसे अनुरोध किया है कि ईएमडी के संबंध में उक्त राशि (केवल रुपये) के संबंध में आरबीआई को बैंक गारंटी प्रस्तुत करें। अब यह गारंटी गवाह है

1. हम (बैंक का नाम) एतद्द्वारा भारतीय रिज़र्व बैंक से सहमत हैं और वचन देते हैं, कि भारतीय रिज़र्व बैंक के इस निष्कर्ष पर पहुंचने की स्थिति में कि बोलीदाता ने निविदा की उक्त शर्तों के तहत अपने दायित्वों का पालन नहीं किया है या उसका उल्लंघन किया है, जो निष्कर्ष हमारे साथ-साथ उक्त बोलीदाता पर भी बाध्यकारी होगा; हम भारतीय रिज़र्व बैंक की मांग पर, भारतीय रिज़र्व बैंक को बिना किसी विलंब के भुगतान करेंगे, रु. (केवल रुपए) या आरबीआई द्वारा मांगी जा सकने वाली किसी भी कम राशि का भुगतान करेंगे. हमारी गारंटी को उक्त शर्तों के तहत बोलीदाता के दायित्वों के उचित प्रदर्शन के लिए बयाना धन जमा के बराबर माना जाएगा, बशर्ते कि ऐसी राशि के खिलाफ हमारी देयता केवल रुपये (रुपये) की राशि से अधिक नहीं होगी.

2. हम यह वचन देने और पुष्टि करने के लिए भी सहमत हैं कि पूर्वोक्त रूप से केवल रुपये (रुपये) से अधिक की राशि का भुगतान हमारे द्वारा बिना किसी विलंब या विरोध के किया जाएगा, केवल लिखित रूप में एक नोटिस प्राप्त होने पर आरबीआई से मांग पर कि राशि उनके लिए देय है और हम कोई और सबूत या सबूत नहीं मांगेंगे और आरबीआई से नोटिस निर्णायक और बाध्यकारी होगा और हमारे द्वारा किसी भी संबंध या तरीके से पूछताछ नहीं की जाएगी। हम पूर्वोक्त नोटिस प्राप्त होने की तारीख से एक सप्ताह की अवधि के भीतर आरबीआई द्वारा दावा की गई राशि का भुगतान करने का वचन देते हैं।

3. हम पुष्टि करते हैं कि इस गारंटी के तहत आरबीआई के प्रति हमारा दायित्व आरबीआई और बोलीदाता के बीच समझौते या समझौतों या अन्य समझ से स्वतंत्र होगा। यह गारंटी आरबीआई की लिखित पूर्व सहमति के बिना हमारे द्वारा रद्द नहीं की जाएगी। हम इसके द्वारा आगे सहमत हैं कि -

क) उक्त करार की शर्तों को लागू करने में या उक्त निविदा में निर्धारित किसी भी नियम और शर्तों के अनुपालन में या इसके तहत या भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बोलीदाता को किसी भी समय प्रदान करने या उसके संबंध में किसी अन्य मामले को दिखाने में भारतीय रिज़र्व बैंक की ओर से कोई भी सहनशीलता या कमीशन हमें किसी भी तरह से और इस गारंटी के तहत हमारे दायित्व का निर्वहन नहीं करेगा। यह गारंटी केवल बोलीदाताओं द्वारा उनके दायित्वों के प्रदर्शन द्वारा और ऐसा करने में उनकी विफलता की स्थिति में, हमारे द्वारा केवल रुपये (रुपये) से अधिक की राशि का भुगतान करके किया जाएगा।

ख) इन उपहारों के तहत हमारी देयता केवल रुपये (रुपये) की राशि से अधिक नहीं होगी।

ग) इस समझौते के तहत हमारा दायित्व उक्त कार्य के लिए निविदा देने में हमारे उक्त घटकों/ग्राहकों की ओर से किसी भी दुर्बलता या अनियमितता से प्रभावित नहीं होगा या हमारे उक्त घटकों के संविधान में विघटन या परिवर्तन के तहत या उसके दायित्वों से प्रभावित नहीं होगा।

घ) यह गारंटी (निविदा प्राप्त होने की अंतिम तिथि से छह महीने) तक लागू रहेगी बशर्ते कि यदि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा ऐसा चाहेगा तो इस गारंटी को एक और अवधि के लिए नवीनीकृत किया जाएगा जैसा कि उनके द्वारा यहां निहित नियमों और शर्तों पर दर्शाया जा सकता है।

ई) इन उपहारों के तहत हमारी देयता तब तक समाप्त हो जाएगी जब तक कि इन उपहारों को ऊपर दिए गए अनुसार उस दिन या उस दिन नवीनीकृत नहीं किया जाता है जब हमारे उक्त घटक अपने दायित्वों का पालन करते हैं, जिसके लिए अकेले आरबीआई द्वारा लिखित रूप में एक प्रमाण पत्र निर्णायक प्रमाण है, जो भी तारीख बाद में हो। जब तक हमारे खिलाफ कोई दावा या मुकदमा या कार्रवाई किसी विस्तारित अवधि के भीतर दायर नहीं की जाती है, तब तक इस गारंटी के तहत हमारे खिलाफ आरबीआई के सभी अधिकार जब्त कर लिए जाएंगे और हमें यहां के तहत हमारे सभी दायित्वों और देनदारियों से मुक्त और मुक्त कर दिया जाएगा।

तुम्हारा ईमानदारी से,

बैंक के लिए और उसकी ओर से।

प्राधिकृत अधिकारी (मुहर के साथ)

(एनबी: इस गारंटी के लिए राज्य में लागू स्टांप शुल्क की आवश्यकता होगी, जहां इसे निष्पादित किया जाता है और उस अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित किया जाएगा जिसके हस्ताक्षर और अधिकार सत्यापित किए जाएंगे) ।

अनुलग्नक VIII

<u>तकनीकी-वाणिज्यिक स्थितियों में विचलन (फर्म के लेटर हेड पर)</u>

हम पुष्टि करते हैं कि नीचे सूचीबद्ध विचलन को छोड़कर बैंक की सभी वाणिज्यिक स्थिति/तकनीकी विनिर्देश।

सीनियर। नहीं।	**धारा सं.**	**खण्ड संख्या।**	**विचलन प्रस्तावित वाणिज्यिक स्थिति**
सीनियर। नहीं।	**धारा सं.**	**खण्ड संख्या।**	**विचलन प्रस्तावित तकनीकी विनिर्देश**

(यदि कोई विचलन नहीं है तो शून्य प्रस्तुत करें)

स्थान: [बोलीदाता के अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर]
दिनांक: नाम:

उपाधि:
सील:

अनुलग्नक IX

अनुबंध समझौते के अनुच्छेद का प्रारूप / अनुबंध समझौते
(सफल बोलीदाता के लिए)
(लागू स्टाम्प अधिनियम के अनुसार उचित मूल्य के गैर-न्यायिक स्टाम्प पेपर पर)

यह अनुबंध समझौता of_____, 2026 को भारतीय रिज़र्व बैंक के चेन्नई निकाय कॉर्पोरेट के बीच the_____ दिन किया गया है, जिसका पंजीकृत कार्यालय है: केंद्रीय कार्यालय भवन, शाहिद भगत सिंह रोड, मुंबई - 400 001 (इसके बाद "द बैंक" कहा जाता है) जिसका प्रतिनिधित्वकिस अभिव्यक्ति में इसके उत्तराधिकारी और एक भाग के असाइन शामिल होंगे और _____and के तहत _____ _____incorporated शामिल होंगे, जिसका पंजीकृत कार्यालय _____ में होगा (जिसके बाद "ठेकेदार" कहा जाता है) जो अभिव्यक्ति में इसके उत्तराधिकारी, कानूनी प्रतिनिधि और दूसरे भाग के असाइन शामिल होंगे।

जबकि बैंक बैंक के मुख्य कार्यालय भवन, आरबीआई चेन्नई के लिए माइक्रोप्रोसेसर आधारित सुरक्षा अलार्म सिस्टम के डिजाइन, आपूर्ति, स्थापना, परीक्षण और कमीशनिंग के लिए ठेकेदार को नियुक्त करना चाहता है और ठेकेदार इस तरह के जुड़ाव के लिए सहमत हो गया है और इसके बाद दिखाई देने वाले नियमों और शर्तों के अधीन है।

और जबकि बैंक ने "....." प्रदान करने के लिए सेवाएं प्रदान करने के लिए पात्र ठेकेदारों से निविदाएं आमंत्रित की थीं, जैसा कि कार्य के दायरे और निविदा से जुड़े अन्य दस्तावेजों में दर्शाया गया है।

और जबकि ठेकेदार और अन्य ने निविदा प्रस्तुत की और बैंक ने प्रदान करने के लिए अनुबंध प्रदान किया है" जैसा कि निविदा दस्तावेज से जुड़े कार्य के दायरे में कहा गया है, ठेकेदार को।

और जबकि ठेकेदार यहां निर्धारित शर्तों के अधीन और निविदा दस्तावेजों (भाग I, भाग II, अनुलग्नक और उसके संशोधन) में निर्धारित शर्तों के अधीन सौंपे गए कार्य को निष्पादित करने के लिए सहमत हो गया है, जैसा कि संशोधित और अंत में दोनों पक्षों द्वारा स्वीकार किया गया है (जिनमें से सभी को सामूहिक रूप से इसके बाद "उक्त शर्तें" के रूप में संदर्भित किया गया है) नियम और शर्तों में वर्णित कार्य और निविदा दस्तावेजों (भाग I, भाग II, अनुलग्नक और उसमें संशोधित) में बताए गए कार्य के विस्तृत दायरे में शामिल हैं, जिसमें निर्धारित संबंधित दरों पर, राशि के रूप में उसमें प्राप्त राशि या ऐसी अन्य राशि जो उसके तहत देय हो जाएगी (इसके बाद "उक्त अनुबंध राशि" के रूप में संदर्भित)।

अब इस पर इस प्रकार सहमति व्यक्त की जाती है:	
1	**अनुबंध समझौता:** निम्नलिखित दस्तावेज बैंक और ठेकेदार के बीच अनुबंध का गठन करेंगे, और प्रत्येक को अनुबंध के अभिन्न अंग के रूप में पढ़ा और समझा जाएगा: अ) यह अनुबंध समझौता और इसके परिशिष्ट आ) पुरस्कार का पत्र। संदर्भ नहीं इ) प्री-बिड मीटिंग का कार्यवृत्त ई) निविदा प्रक्रिया के दौरान सभी ईमेल और पत्रों का आदान-प्रदान होता है उ) भाग-I (तकनीकी वाणिज्यिक बोली) और भाग II (मूल्य बोली) बोलीदाता द्वारा प्रस्तुत बोली ऊ) किसी भी शुद्धिपत्र/परिशिष्ट के साथ निविदा आमंत्रित करने की सूचना (एनआईटी)।

2	**अनुबंध मूल्य:** बैंक इसके द्वारा बोलीदाता द्वारा अपने दायित्वों के प्रदर्शन को ध्यान में रखते हुए बोलीदाता को अनुबंध मूल्य का भुगतान करने के लिए सहमत होता है। अनुबंध मूल्य *[भरें: शब्दों में स्थानीय मुद्रा की राशि], [भरें: आंकड़ों में राशि],* या ऐसी अन्य रकम होगी जो अनुबंध के नियमों और शर्तों के अनुसार निर्धारित की जा सकती हैं।
3	**<u>बयाना धन जमा</u>**: ठेकेदार ने आईएफएससी के खाते संख्या: 186003001 **में भारतीय रिजर्व बैंक, मुंबई के पक्ष में एनईएफटी के रूप में निविदा दस्तावेज के साथ** ₹46,440/- के बराबर बयाना राशि जमा (ईएमडी) जमा की है: RBIS0CNPA01 लेनदेन टिप्पणियां। ईएमडी पर कोई ब्याज देय नहीं होगा। ठेकेदार द्वारा भुगतान की गई बयाना राशि प्रदर्शन बैंक गारंटी के रूप में सुरक्षा जमा जमा करने के बाद जारी की जाएगी।
4	**<u>प्रदर्शन बैंक गारंटी (पीबीजी): ठेकेदार अनुबंध के पुरस्कार के</u>** 14 **दिनों** के भीतर भारतीय *रिजर्व बैंक चेन्नई* के पक्ष में अनुबंध राशि का **पीबीजी @ 5% जमा करेगा**। पीबीजी अनुबंध की समाप्ति की तारीख से परे 60 दिनों की अवधि के लिए वैध होगा। इस पर कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा। ठेकेदार द्वारा जमा किया गया पीबीजी ठेकेदार के असंतोषजनक प्रदर्शन और/या हानि/क्षति की स्थिति में जब्त या विनियोजित किए जाने के लिए उत्तरदायी होगा, यदि बैंक द्वारा उसके द्वारा तैनात श्रमिकों की विफलता या लापरवाही के कारण या समझौते के नियमों और शर्तों के उल्लंघन की स्थिति में कोई नुकसान / क्षति होती है। हालांकि, बैंक द्वारा स्वीकृति पत्र/कार्य आदेश जारी करने को एक बाध्यकारी अनुबंध के रूप में माना जाएगा, जैसे कि इस तरह के एक समझौते को निष्पादित किया गया है और सभी नियम और शर्तें इस अनुबंध पर लागू होंगी। पीबीजी जमा करना निविदा में निर्धारित के अनुसार सुनिश्चित किया जाएगा। अपरिहार्य परिस्थितियों में प्रस्तुत करने में देरी के मामले में, पीबीजी जमा करने में देरी के लिए शुल्क बैंक दर पर ठेकेदार के बिलों से वसूल किया जाएगा। अनुबंध का विस्तार होने की स्थिति में ठेकेदार प्रदर्शन बैंक गारंटी भी प्रस्तुत करेगा और पीबीजी नवीनीकृत अनुबंध की समाप्ति की तारीख से 60 दिनों की अवधि के लिए वैध होगा।
5	**भुगतान की शर्तें:** बैंक द्वारा ठेकेदार को भुगतान निविदा के भाग। के प्रावधानों के अनुसार किया जाएगा। ठेकेदार यह सुनिश्चित करेगा कि उसके श्रमिकों को भुगतान किया जाने वाला वेतन और भत्ते सरकारी वेतन नियमों के अनुपालन में हैं। न्यूनतम मजदूरी के भुगतान का प्रमाण ठेकेदार द्वारा बैंक को प्रस्तुत किया जाएगा। वेतन वृद्धि का प्रतिशत सरकार द्वारा मजदूरी के प्रतिशत संशोधन के अनुसार दिया जाएगा। कामगारों को न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 और उसके तहत बनाए गए नियमों के तहत या किसी अन्य लागू कानून के तहत न्यूनतम मजदूरी का भुगतान किया जाना चाहिए। इसके अलावा, श्रमिकों को कर्मचारी भविष्य निधि और विविध प्रावधान अधिनियम, 1952 के अनुसार कर्मचारी भविष्य निधि और/या बोनस भुगतान अधिनियम, 1965 और ईएसआई अधिनियम, 1948 के तहत ईएसआई के अनुसार लाभांश दिया जाना चाहिए। ईएसआई की अनुपस्थिति में, ठेकेदार को कर्मचारी मुआवजा अधिनियम, 1923 के तहत कर्मचारी मुआवजा बीमा जैसे बीमा के कवरेज के तहत दायित्व लेना चाहिए। कामगार मुआवजा नीतियां बैंक के साथ अनुबंध की वैधता तक वैध होंगी। यदि ठेकेदार ये पॉलिसियां प्रदान नहीं करता है, तो बैंक उपरोक्त बीमा पॉलिसियों को स्वयं लेने और ठेकेदार के बिल से उसकी लागत वसूलने

	का अधिकार सुरक्षित रखता है। कुल प्रीमियम ठेकेदार द्वारा वहन किया जाएगा। ठेकेदार के पास अपने कर्मचारियों के लिए ईपीएफ योगदान करने के लिए एक वैध ईपीएफ खाता होगा। किसी भी वैधानिक भुगतान के गैर-अनुपालन के संबंध में किसी भी शिकायत के मामले में; अनुबंध को समाप्त करने के बैंक के अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना बिल से कटौती की जाएगी। ठेकेदार श्रम संहिताओं के सभी वैधानिक प्रावधानों का पालन करेगा, 18 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति को नियुक्त नहीं करेगा। ठेकेदार लागू कानूनों की आवश्यकताओं को लागू करने के लिए जिम्मेदार होगा। च) संविदाकार इस करार के प्रयोजन के लिए नियोजित व्यक्तियों को (चेक के माध्यम से या बैंक खाते में जमा करके) बाद के महीने के पांच (05) दिनों के भीतर मजदूरी/वेतन का समय पर भुगतान सुनिश्चित करेगा और इस आशय का एक प्रमाण पत्र कि वेतन/मजदूरी का नियमित रूप से भुगतान किया जा रहा है, हर महीने बैंक को प्रस्तुत किया जाएगा।
6	**सुरक्षा-कवच:** ठेकेदार, अपने स्वयं के खर्च पर, इस अनुबंध के तहत पूर्णता प्रमाण पत्र जारी होने की तारीख से लेकर एक अनुमोदित बीमा कंपनी के साथ, बैंक और ठेकेदार के संयुक्त नामों में भूकंप जोखिम सहित अनुबंध की राशि के बराबर राशि के लिए बीमा के लिए एक सभी जोखिम पॉलिसी को लागू करेगा और बनाए रखेगा (पूर्व का नाम पॉलिसी में पहले रखा जा रहा है) मानक के अनुसार सभी जोखिमों के खिलाफ ठेकेदारों के लिए सभी जोखिम नीति और ऐसी पॉलिसी या पॉलिसी को काम शुरू करने से पहले बैंक के साथ जमा करें। ठेकेदार को व्यक्तियों, जानवरों या चीजों को सभी चोटों के लिए यथोचित रूप से उत्तरदायी माना जाएगा, और संपत्ति को सभी संरचनात्मक और सजावटी क्षति के लिए जो ठेकेदार या उसके श्रमिकों या किसी भी नामित उप-ठेकेदार या किसी भी कर्मचारी के संचालन या उपेक्षा से उत्पन्न हो सकता है, चाहे ऐसी चोट या क्षति लापरवाही, दुर्घटना या किसी अन्य कारण से उत्पन्न हो, किसी भी तरह से इस अनुबंध को पूरा करने से जुड़ा हो। इस खंड के तहत दायित्व को अन्य बातों के साथ-साथ, भवन को कोई भी नुकसान, चाहे वह तुरंत आसन्न हो या अन्यथा, और सड़कों, सड़कों, फुटपाथों, पुलों या मार्गों को होने वाले किसी भी नुकसान के साथ-साथ भवन और अन्य संरचनाओं और कार्यों को होने वाले सभी नुकसान को शामिल करने के लिए जिम्मेदार होगा। ठेकेदार इमारत और अन्य संरचनाओं और कार्यों को होने वाले किसी भी नुकसान के लिए भी जिम्मेदार होगा, जो ठंढ, बारिश, हवा या मौसम की अन्य प्रतिकूल परिस्थितियों से इस अनुबंध की विषय वस्तु बनाते हैं। ठेकेदार बैंक को क्षतिपूर्ति देगा और क्षतिपूर्ति करेगा और उसे किसी भी नुकसान और खर्चों के संबंध में हानिरहित ठहराएगा जैसा कि पूर्वोक्त रूप से व्यक्तियों या संपत्ति को ऐसी किसी भी चोट या क्षति से उत्पन्न होने वाला है और चोट या क्षति के संबंध में किए गए किसी भी दावे के खिलाफ भी, चाहे वह किसी भी क़ानून के तहत हो या अन्यथा और इस तरह के दावे के परिणामस्वरूप मुआवजे या क्षति के किसी भी पुरस्कार के संबंध में भी। ठेकेदार इस खंड में उल्लिखित हर प्रकार के सभी नुकसान को बहाल करेगा, ताकि पूरे अनुबंध कार्यों की डिलीवरी हर तरह से पूर्ण और परिपूर्ण हो सके और ताकि तीसरे पक्ष की संपत्ति को नुकसान के लिए सभी दावों को अच्छा या अन्यथा पूरा किया जा सके। ठेकेदार बैंक को उन सभी दावों के खिलाफ क्षतिपूर्ति भी करेगा और क्षतिपूर्ति करेगा जो किसी भी व्यक्ति/जनता या अन्य द्वारा बैंक के खिलाफ किए जा सकते हैं **तिसरैत** किसी भी चीज के संबंध में जो कार्यों के संबंध में या उसके परिणामस्वरूप उत्पन्न हो सकती है, और **अपने स्वयं के खर्च पर, प्रारंभ की तारीख से अनुबंध के पूरा होने तक प्रभावी रूप से, एक अनुमोदित बीमा कंपनी के साथ बैंक और ठेकेदार के संयुक्त नामों में बीमा की एक पॉलिसी (पूर्व का नाम पॉलिसी में पहले रखा जा रहा है) को ऐसे जोखिमों के खिलाफ लागू करने और बनाए रखने की व्यवस्था करेगा और काम शुरू करने से पहले बैंक के साथ ऐसी पॉलिसी या पॉलिसी जमा करेगा**. पॉलिसी के तहत कवरेज की न्यूनतम सीमा अनुबंध की सामान्य शर्त के तहत कहीं और परिभाषित की जाएगी। ठेकेदार भी इसी तरह बैंक को उन सभी दावों के खिलाफ क्षतिपूर्ति करेगा जो बैंक पर किए जा सकते हैं चाहे वह बैंक के तहत हो **कामगार मुआवजा अधिनियम** या इस अनुबंध की मुद्रा के दौरान या ठेकेदार के किसी भी कर्मचारी या किसी उप-ठेकेदार के संबंध में सामान्य कानून में लागू

कोई अन्य क़ानून और **अपने स्वयं के खर्चों पर, अनुबंध के पूरा होने तक प्रारंभ की तारीख से प्रभावी रूप से, एक अनुमोदित बीमा कंपनी के साथ बैंक और ठेकेदार (पूर्व का नाम पॉलिसी में पहले रखा जा रहा है) के संयुक्त नामों में बीमा की एक पॉलिसी को ऐसे जोखिमों के खिलाफ प्रभावित और बनाए रखेगा और अनुबंध की मुद्रा के दौरान समय-समय पर बैंक के साथ ऐसी पॉलिसी या पॉलिसी जमा करेगा**. जैसा कि ऊपर प्रदान किया गया है, यह सुनिश्चित करने के लिए ठेकेदार की चूक में, बैंक यह सुनिश्चित कर सकता है और किसी भी देय धन से भुगतान किए गए प्रीमियम को काट सकता है या जो ठेकेदार के कारण हो सकता है।

ठेकेदार किसी भी दायित्व के लिए जिम्मेदार होगा जिसे ऊपर उल्लिखित बीमा पॉलिसियों से बाहर रखा जा सकता है और इस अनुबंध के लापरवाह या दोषपूर्ण संचालन के कारण उत्पन्न होने वाले किसी भी व्यक्ति, जानवर या संपत्ति को अन्य सभी नुकसानों के लिए भी जिम्मेदार होगा, चाहे वे कारण हों जिनके कारण नुकसान हुआ हो। वह कार्यों से संबंधित किसी भी दावे या कार्यवाही से उत्पन्न होने वाली सभी लागत, प्रभार या व्यय के संबंध में और उससे उत्पन्न होने वाले मुआवजे या क्षति के किसी भी पुरस्कार के संबंध में बैंक को क्षतिपूर्ति और क्षतिपूर्ति भी देगा। इस तरह के चूक के संबंध में ठेकेदार के खिलाफ बैंक के अन्य अधिकारों के प्रति प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, बैंक ठेकेदार को देय किसी भी राशि से बैंक द्वारा भुगतान किए गए किसी भी नुकसान, मुआवजे, लागत, शुल्क और अन्य खर्चों की राशि में कटौती करने का हकदार होगा और जो इस खंड के तहत ठेकेदार द्वारा देय हैं। ठेकेदार इस खंड के तहत ली गई पॉलिसी के अनुसार बीमाकर्ता के खिलाफ किए गए किसी भी दावे के बीमाकर्ता द्वारा निपटान करने पर, नष्ट या क्षतिग्रस्त कार्यों के पुनर्निर्माण या मरम्मत के लिए उचित परिश्रम के साथ आगे बढ़ेगा। इस घटना में, इस तरह के नुकसान के संबंध में बीमाकर्ता से प्राप्त सभी धन का भुगतान ठेकेदार को किया जाएगा और ठेकेदार नष्ट या क्षतिग्रस्त सामग्री या माल के निर्माण या मरम्मत के लिए किए गए व्यय के संबंध में किसी भी और भुगतान का हकदार नहीं होगा।
ठेकेदार, क्षति के बाद पुन: निर्माण या बहाली के मामले में पूरा होने के लिए समय के ऐसे विस्तार का हकदार होगा जैसा कि बैंक उचित समझे, लेकिन हालांकि, बैंक द्वारा किसी भी कमी या कमी की प्रतिपूर्ति का हकदार नहीं होगा, जैसा कि यहां निर्धारित किया गया है।

इस खंड के तहत अपनी देयता के प्रति पूर्वाग्रह के बिना, ठेकेदार सभी नामित उप-ठेकेदारों को इस खंड के प्रावधानों के अनुसार बीमा की समान नीतियों के अपने संबंधित हिस्सों के लिए प्रभावित करेगा और बैंक को ऐसी पॉलिसियों का उत्पादन करेगा या उत्पादन करेगा। ठेकेदार एक नामित उप-ठेकेदार को साइट पर काम शुरू करने की अनुमति नहीं देगा जब तक कि उक्त बीमा पॉलिसियां प्रस्तुत नहीं की जाती हैं। साइट पर काम शुरू करने से पहले बीमा की ऐसी पॉलिसी या पॉलिसियों को लेने में उप-ठेकेदार की विफलता की स्थिति में, ठेकेदार उक्त उप-ठेकेदार के कारण किसी भी दावे या क्षति के लिए जिम्मेदार होगा।
ऊपर उल्लिखित सभी बीमा संबंधी शर्तों को पूरा करने के लिए, ठेकेदार, कार्य आदेश जारी होने की तारीख से 14 दिनों के भीतर, अपनी लागत पर कार्यों का बीमा करेगा और बैंक और ठेकेदार के संयुक्त नाम में एक कार्यालय के साथ आग से नुकसान या क्षति के खिलाफ कार्यों के आभासी समापन तक उनका बीमा करेगा (बैंक का नाम यानी "भारतीय रिजर्व बैंक" पॉलिसी में पहले स्थान पर रखा जा रहा है) । यह निम्नलिखित जोखिमों को कवर करेगा।

१. **ठेकेदारों के लिए सभी जोखिम (सीएआर) पॉलिसी बीमा** जिसमें आग के जोखिम सहित पूर्ण अनुबंध मूल्य के लिए भंडारण, निर्माण, परीक्षण और कमीशनिंग पॉलिसी शामिल है और निर्माता के कार्यों से साइट तक परिवहन के लिए पारगमन बीमा (हवा/समुद्र/सड़क आदि द्वारा, जैसा भी लागू हो)।
२. **साइट पर ठेकेदार के कर्मचारियों के लिए** कामगार मुआवजा नीति।
३. **थर्ड पार्टी लायबिलिटी पॉलिसी** जिसमें प्रति दुर्घटना 2 लाख रुपये की सीमा है, अधिकतम 3 दुर्घटनाओं तक।

7	**पूरा होने का समय:** परियोजना के पूरा होने की अवधि की गणना पुरस्कार/कार्य आदेश पत्र जारी करने के 14वें दिन से की जाएगी। समय को इस अनुबंध का सार माना जाएगा, और ठेकेदार इसके द्वारा उक्त शर्तों में प्रदान किए गए पूरे कार्य को पूरा करने के लिए साइट सौंपने के तुरंत बाद काम शुरू करने के लिए सहमत होता है, फिर भी समय के विस्तार के प्रावधानों के अधीन।
8	**परिशिष्ट:** परिशिष्टों की संलग्न सूची में सूचीबद्ध परिशिष्ट इस अनुबंध समझौते का एक अभिन्न अंग होंगे। किसी भी परिशिष्ट के अनुबंध में संदर्भ का अर्थ यहां संलग्न परिशिष्ट होगा, और अनुबंध को तदनुसार पढ़ा और समझा जाएगा।
9	**क्षेत्राधिकार:** इस समझौते से उत्पन्न होने वाले या किसी भी तरह से जुड़े सभी विवादों को चेन्नई में उत्पन्न माना जाएगा और केवल चेन्नई के न्यायालयों के पास इसे निर्धारित करने का अधिकार क्षेत्र होगा
10	**भाषा**: निविदा फॉर्म अंग्रेजी या हिंदी में भरा जाएगा। दस्तावेजों के अंग्रेजी और हिंदी संस्करण के बीच किसी भी विसंगति या अस्पष्टता की स्थिति में, व्याख्या के मामलों में अंग्रेजी संस्करण प्रबल होगा। सभी संचार, चित्र, डिजाइन, डेटा, सूचना, कोड, विनिर्देश, और बोली का समर्थन करने वाले अन्य दस्तावेज या अन्यथा अनुबंध के तहत आदान-प्रदान अंग्रेजी या हिंदी में होंगे।
11	**गैर-प्रकटीकरण:** i. ठेकेदार प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से बैंक के बुनियादी ढांचे/प्रणालियों/उपकरणों आदि की किसी भी जानकारी, सामग्री और विवरण का खुलासा नहीं करेगा, जो इस समझौते के संबंध में अपने संविदात्मक दायित्वों का निर्वहन करने के दौरान सेवा प्रदाता और/या डीबी डेवलपर के कब्जे या ज्ञान में आ सकता है, किसी तीसरे पक्ष को और हर समय इसे सख्त विश्वास में रखेगा। ठेकेदार अनुबंध के विवरण को निजी और गोपनीय मानेगा, सिवाय इसके कि इसके तहत दायित्वों को पूरा करने या लागू कानूनों का पालन करने के लिए आवश्यक सीमा तक। ठेकेदार दूसरे पक्ष की पूर्व लिखित सहमति के बिना किसी भी व्यापार या तकनीकी पत्र या अन्य जगहों पर सेवाओं/कार्यों के किसी भी विवरण को प्रकाशित, प्रकाशित करने की अनुमति या खुलासा नहीं करेगा। उपरोक्त का पालन करने में विफलता को ठेकेदार की ओर से अनुबंध के उल्लंघन के रूप में माना जाएगा, जैसा भी मामला हो, और दूसरा पक्ष नुकसान का दावा करने और कानूनी उपचार करने का हकदार होगा। ii.ठेकेदार अपने कर्मचारियों के संबंध में सभी उचित कार्रवाई करेगा ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि इस समझौते के तहत गोपनीय जानकारी का खुलासा न करने के दायित्व पूरी तरह से संतुष्ट हैं। iii. औपचारिक अनुबंध समझौते के पूर्वाग्रह के बिना, इस निविदा के तहत ठेकेदार को बाध्य करने वाले सभी गोपनीयता और गैर-प्रकटीकरण दायित्व किसी भी कारण से इस समझौते की समाप्ति, पूर्णता या समाप्ति से बचेंगे।
12	**कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की रोकथाम** १. ठेकेदार "कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013" के प्रावधानों के पूर्ण अनुपालन के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार होगा। बैंक के परिसर के भीतर अपने स्वयं के कर्मचारी के खिलाफ यौन उत्पीड़न की किसी भी शिकायत के मामले में, शिकायत ठेकेदार द्वारा गठित आंतरिक शिकायत समिति के समक्ष दायर की जाएगी जो शिकायत के संबंध में उक्त अधिनियम के तहत उचित कार्रवाई सुनिश्चित करेगी। २. बैंक के किसी भी कर्मचारी के खिलाफ ठेकेदार के किसी भी पीड़ित कर्मचारी द्वारा यौन उत्पीड़न की किसी भी शिकायत का बैंक द्वारा गठित क्षेत्रीय शिकायत समिति द्वारा संज्ञान लिया जाएगा। ३. ठेकेदार किसी भी मौद्रिक मुआवजे के लिए जिम्मेदार होगा, जिसे ठेकेदार के कर्मचारी के शामिल होने की स्थिति में भुगतान करने की आवश्यकता हो सकती है, उदाहरण के लिए बैंक के कर्मचारी को कोई मौद्रिक राहत, यदि ठेकेदार के कर्मचारी द्वारा यौन हिंसा साबित हो जाती है।

	ठेकेदार अपने कर्मचारियों को कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की रोकथाम और संबंधित मुद्दों के बारे में शिक्षित करने के लिए जिम्मेदार होगा।
13	**बैंक द्वारा अनुबंध की समाप्ति** यदि ठेकेदार एक व्यक्ति या फर्म होने के नाते कोई "दिवालियापन का कार्य" करता है, या एक दिवालिया घोषित किया जाएगा या एक निगमित कंपनी होने के नाते उसके खिलाफ अनिवार्य समापन के लिए एक आदेश होगा या स्वेच्छा से समापन के लिए एक प्रभावी संकल्प पारित करेगा या न्यायालय और आधिकारिक समनुदेशिती या परिसमापक के पर्यवेक्षण के अधीन है, दिवालियापन या समापन के ऐसे कृत्यों में, जैसा भी मामला हो, उसे ऐसा करने की आवश्यकता के नोटिस के सात दिनों के भीतर, बैंक की उचित संतुष्टि दिखाने के लिए कि वह अनुबंध को पूरा करने और पूरा करने में सक्षम है और उसके लिए सुरक्षा देने के लिए, यदि बैंक द्वारा आवश्यक हो। या यदि ठेकेदार (चाहे कोई व्यक्ति, फर्म या निगमित कंपनी) ठेकेदार के खिलाफ जारी की जाने वाली संपत्ति को निष्पादन या न्यायालय कुर्क करने की अन्य प्रक्रिया का सामना करना पड़ेगा, या इस अनुबंध के तहत ठेकेदार के किसी भी लेनदार द्वारा या उसकी ओर से किसी भी भुगतान को भुगतना होगा, या बैंक की लिखित सहमति के बिना इस अनुबंध को पहले और प्राप्त करने के बिना असाइन या सबलेट करेगा, या इस अनुबंध या किसी भी भुगतान को प्रभार देगा या भार देगा या जो ठेकेदार के कारण हो सकता है, या यदि बैंक यह निर्धारित करता है कि ठेकेदार अनुबंध को छोड़ दिया है, या (ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है यदि कोई कार्य शुरू करने में विफल रहा है, या उन शर्तों के तहत बिना किसी वैध बहाने के कार्य कार्य को आगे बढ़ाने के लिए बैंक नोटिस प्राप्त करने के बाद 14 दिनों के लिए कार्य की प्रगति को निलंबित कर दिया है, या (ख) यदि हां, तो इस प्रकार के परिश्रम के साथ कार्यों को आगे बढ़ाने में विफल रहा है और ऐसी उचित प्रगति करने में विफल रहा है जिससे कार्यों को सहमत समय के भीतर पूरा किया जा सके, या साइट से सामग्री को हटाने या नीचे खींचने में विफल रहा है, और लिखित सूचना प्राप्त करने के बाद सात दिनों के लिए काम को बदलने में विफल रहा है कि उक्त सामग्री या कार्य की निंदा की गई थी और इन शर्तों के तहत बैंक द्वारा अस्वीकार कर दिया गया था या ठेकेदार द्वारा देखे जाने वाले और निष्पादित किए जाने वाले सभी या किसी भी कार्यों, मामलों या चीजों को ठेकेदार द्वारा सात दिनों तक देखने और निष्पादित करने के लिए लगातार उपेक्षित या विफल रहा है, ठेकेदार को लिखित नोटिस दिया गया होगा कि ठेकेदार को उसी का निरीक्षण करने या प्रदर्शन करने की आवश्यकता होगी। तब और उक्त मामलों में से किसी में, बैंक, किसी भी पूर्व छूट के बावजूद, ठेकेदार को लिखित रूप में सात दिनों का नोटिस देने के बाद, ठेकेदार के अनुबंध और देनदारियों का निर्धारण कर सकता है, जो पूरी तरह से लागू रहेगा जैसे कि अनुबंध इस तरह से निर्धारित नहीं किया गया था, और जैसे कि बाद में निष्पादित कार्य ठेकेदार द्वारा या उसकी ओर से निष्पादित किए गए थे और इसके अलावा, बैंक अपने एजेंटों या सेवकों द्वारा एस्टेट या आस-पास की भूमि या सड़कों पर पड़े कार्यों और सभी संयंत्रों, उपकरणों, मचानों, मशीनरी और सामग्रियों में प्रवेश कर सकता है और उन्हें अपने कब्जे में ले सकता है, और इसे अपनी संपत्ति के रूप में उपयोग कर सकता है या कार्यों को पूरा करने और पूरा करने के लिए किसी अन्य ठेकेदार या अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों को नियोजित करके अपने

	स्वयं के सेवकों और श्रमिकों के माध्यम से नियोजित कर सकता है, और ठेकेदार किसी भी तरह से ऐसे अन्य ठेकेदार या अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों को रोकने या बाधित करने के लिए कोई भी कार्य, मामला या चीज नहीं करेगा। जब कार्य पूरा हो जाएगा या उसके बाद जितनी जल्दी सुविधाजनक हो, बैंक ठेकेदार को अपनी अधिशेष सामग्री और संयंत्र को हटाने के लिए लिखित रूप में एक नोटिस देगा, और यदि ठेकेदार उसके द्वारा प्राप्त होने के बाद चौदह दिनों की अवधि के भीतर ऐसा करने में विफल रहता है, तो बैंक इसे सार्वजनिक नीलामी द्वारा बेच सकता है, और वसूली की गई शुद्ध राशि के लिए ठेकेदार को क्रेडिट दे सकता है। इसके बाद बैंक अपने हाथ से यह पता लगाएगा और प्रमाणित करेगा कि उक्त संयंत्र और बैंक द्वारा इस प्रकार कब्जा की गई सामग्री के मूल्य के लिए बैंक द्वारा क्या (यदि कुछ हो) देय या देय होगा और बैंक द्वारा इस प्रकार कब्जा किए गए कार्यों और पूरा किए जाने वाले कार्यों की खरीद में बैंक को कितना खर्च या हानि होगी, और राशि, यदि कोई हो, ठेकेदार को देय है और इस प्रकार प्रमाणित की जाने वाली राशि के बाद बैंक द्वारा ठेकेदार को या ठेकेदार द्वारा बैंक को भुगतान किया जाएगा, जैसा भी मामला हो, और बैंक का निर्णय पक्षों के बीच अंतिम और निर्णायक होगा।
14	**ठेकेदार द्वारा अनुबंध की समाप्ति** यदि बैंक के इंजीनियर के प्रमाण पत्र के तहत बैंक द्वारा देय राशि का भुगतान बकाया होगा और लिखित रूप में नोटिस के बाद तीस दिनों तक भुगतान नहीं किया जाएगा, जैसा कि पूर्वोक्त राशि का भुगतान करना होगा, ठेकेदार द्वारा बैंक को दिया गया होगा या यदि बैंक अनुबंध को अस्वीकार कर देगा, या यदि बैंक के आदेश के तहत या किसी भी निषेधाज्ञा या कानून के किसी भी आदेश द्वारा तीन महीने के लिए काम बंद कर दिया जाता है, तो और उक्त मामलों में से किसी में, ठेकेदार बैंक को लिखित रूप में नोटिस द्वारा अनुबंध का निर्धारण करने के लिए स्वतंत्र होगा और वह बैंक से वसूली करने का हकदार होगा, निष्पादित सभी कार्यों के लिए भुगतान और किसी भी नुकसान के लिए वह किसी भी संयंत्र या सामग्री की आपूर्ति या खरीद या अनुबंध के उद्देश्य के लिए तैयार किया जा सकता है। इस तरह के भुगतान की राशि पर पहुंचने पर, ठेकेदार की मूल निविदा में निहित शुद्ध दरों का पालन किया जाएगा, या जहां यह लागू नहीं हो सकता है, मूल्यांकन धारा IV के खंड 19 के अनुसार किया जाएगा।
15	**जुर्माना**

क्र. नं.	सिस्टम में दोष का प्रकार	सुधार का समय	जुर्माना
a)	कोई भी दोष जिसके परिणामस्वरूप सिस्टम पूरी तरह से विफल हो जाता है	24 घंटे	500/- रुपये प्रति दिन फर्म द्वारा प्रस्तुत पीबीजी के मूल्य के अधिकतम 10% के अध्यधीन।
b)	स्वतंत्र उपकरणों, घटकों, केबलों में कोई भी दोष जिसके परिणामस्वरूप सिस्टम की पूर्ण विफलता नहीं हो सकती है	72 घंटे	250/- रुपये प्रति दिन फर्म द्वारा प्रस्तुत पीबीजी के मूल्य के अधिकतम 10% के अध्यधीन।

बैंक और बोलीदाता/बोलीदाता ने इस समझौते को अपने विधिवत अधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा ऊपर लिखे गए दिन और वर्ष के अनुसार विधिवत निष्पादित किया है।

बैंक के लिए और उसकी ओर से हस्ताक्षरित
[हस्ताक्षर]
[नाम और शीर्षक]

की उपस्थिति में:
एक. [गवाह 1 के हस्ताक्षर और विवरण]

दो. [गवाह 2 के हस्ताक्षर और विवरण]

बोलीदाता के लिए और उसकी ओर से हस्ताक्षर किए

[हस्ताक्षर]
[नाम और शीर्षक]

की उपस्थिति में:
एक. [गवाह 1 के हस्ताक्षर और विवरण]

दो. [गवाह 2 के हस्ताक्षर और विवरण]

अनुलग्नक – X

प्रदर्शन सुरक्षा जमा/प्रतिधारण धन के लिए बैंक गारंटी का प्रोफार्मा

(जारीकर्ता बैंक के नाम पर खरीदे गए उचित मूल्य के गैर-न्यायिक स्टाम्प पेपर पर)

स्थान : _____
तिथि : _____

श्री यारासी जयकुमार
क्षेत्रीय निदेशक,
भारतीय रिज़र्व बैंक,
फोर्ट ग्लेसिस,
नंबर 16, राजाजी सलाई,
चेन्नई – 600 001.

प्रिय महोदय,
काम का नाम: _____ - प्रदर्शन सुरक्षा जमा / प्रतिधारण धन के लिए बैंक गारंटी
जबकि भारतीय रिज़र्व बैंक, जिसका केंद्रीय कार्यालय शाहिद भगत सिंह रोड, मुंबई में है, (इसके बाद "आरबीआई" कहा जाता है) ने मैसर्स _____ (बोलीदाता का नाम) को शीर्षक वाली परियोजना (इसके बाद "अनुबंध" कहा जाता है) के लिए अनुबंध प्रदान किया है, जिसमें इसके उत्तराधिकारी और असाइन शामिल होंगे)। और जबकि बोलीदाता उक्त अनुबंध से भारतीय रिज़र्व बैंक को ₹ की कुल राशि के लिए एक प्रदर्शन सुरक्षा प्रस्तुत करने के लिए बाध्य है। _____/-(केवल Rupees___ _____) (आंकड़ों और शब्दों में राशि) अनुबंध में निहित नियमों और शर्तों की उक्त बोलीदाता द्वारा देय पूर्ति के लिए। हम, _____ (बैंक का नाम), (इसके बाद "बैंक" कहा जाता है), बोलीदाता मैसर्स _____ के अनुरोध पर, इसके द्वारा भारतीय रिज़र्व बैंक को अनुबंध के नियमों और शर्तों को पूरा करने के लिए प्रदर्शन गारंटी के रूप में _____ रुपये से अधिक की राशि का भुगतान करने का वचन देते हैं।
अब यह गारंटी गवाह है
1. हम (बैंक का नाम) एतद्द्वारा भारतीय रिज़र्व बैंक से सहमत हैं और वचन देते हैं, कि भारतीय रिज़र्व बैंक के इस निष्कर्ष पर पहुंचने की स्थिति में कि बोलीदाता ने अनुबंध की उक्त शर्तों के तहत अपने दायित्वों का पालन नहीं किया है या उसका उल्लंघन किया है, जो निष्कर्ष हमारे साथ-साथ उक्त बोलीदाता पर भी बाध्यकारी होगा; हम भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा मांग किए जाने पर, भारतीय रिज़र्व बैंक को बिना किसी विलंब के भुगतान करेंगे, रु. (केवल रुपए) की राशि या आरबीआई द्वारा मांगी जा सकने वाली कोई भी कम राशि। हमारी गारंटी को उक्त अनुबंध के तहत बोलीदाता के दायित्वों के उचित प्रदर्शन के लिए प्रदर्शन गारंटी राशि के बराबर माना जाएगा, बशर्ते कि ऐसी राशि के खिलाफ हमारी देयता केवल रुपये (रुपये) की राशि से अधिक नहीं होगी।
2. हम यह वचन देने और पुष्टि करने के लिए भी सहमत हैं कि पूर्वोक्त रूप से रु. (_____only) से अधिक की राशि का भुगतान हमारे द्वारा बिना किसी विलंब या विरोध के किया जाएगा, केवल लिखित रूप में एक नोटिस प्राप्त होने पर कि राशि उनके लिए देय है और हम कोई और सबूत या सबूत नहीं मांगेंगे और आरबीआई से नोटिस हम पर निर्णायक और बाध्यकारी होगा और हमारे द्वारा किसी भी संबंध में या तरीके से पूछताछ नहीं की जाएगी। किसी भी न्यायालय, न्यायाधिकरण या उससे संबंधित मध्यस्थों के समक्ष लंबित किसी भी मुकदमे या कार्यवाही में बोलीदाता द्वारा उठाए गए किसी भी विवाद/विवाद के बावजूद बैंक आरबीआई को इस प्रकार की मांग की गई किसी भी राशि का भुगतान करेगा और इस गारंटी के तहत दायित्व पूर्ण और स्पष्ट होगा। हम पूर्वोक्त नोटिस प्राप्त होने की तारीख से एक सप्ताह की अवधि के भीतर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा दावा की गई राशि का भुगतान करने का वचन देते हैं।

3. हम इस बात की पुष्टि करते हैं कि इस गारंटी के तहत आरबीआई के प्रति हमारा दायित्व आरबीआई और बोलीदाता के बीच समझौते या समझौतों या अन्य समझ से स्वतंत्र होगा।

4. यह गारंटी हमारे द्वारा आरबीआई की लिखित सहमति के बिना रद्द नहीं की जाएगी। हम इसके द्वारा आगे सहमत हैं कि -

क) उक्त करार की शर्तों को लागू करने में या उक्त अनुबंध में निर्धारित किसी भी नियम और शर्तों के अनुपालन में आरबीआई की ओर से कोई भी सहनशीलता या कमीशन और/या इसके तहत या आरबीआई द्वारा बोलीदाता को किसी भी समय या किसी अन्य मामले को दिखाने या उसके संबंध में किसी भी अन्य मामले में हमें किसी भी तरह से और इस गारंटी के तहत हमारे दायित्व का निर्वहन नहीं करेगा। यह गारंटी केवल बोलीदाता द्वारा उनके दायित्वों के प्रदर्शन द्वारा और ऐसा करने में उनकी विफलता की स्थिति में, हमारे द्वारा केवल रुपये (रुपये) से अधिक की राशि का भुगतान करके किया जाएगा।

ख) इन उपहारों के तहत हमारी देयता केवल रुपये (रुपये) की राशि से अधिक नहीं होगी।

ग) इस समझौते के तहत हमारा दायित्व हमारे उक्त घटकों/ग्राहकों की ओर से किसी भी दुर्बलता या अनियमितता या उसके तहत उनके दायित्वों या हमारे उक्त घटकों के विघटन या परिवर्तन से प्रभावित नहीं होगा।

घ) यह गारंटी (दोष देयता अवधि से 60 दिनों के बाद) तक लागू रहेगी बशर्ते कि यदि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा ऐसा चाहा जाता है, तो इस गारंटी को एक और अवधि के लिए नवीनीकृत किया जाएगा जैसा कि उनके द्वारा यहां निहित नियमों और शर्तों पर इंगित किया जा सकता है।

ई) इन उपहारों के तहत हमारी देयता तब तक समाप्त हो जाएगी जब तक कि इन उपहारों को यहां ऊपर दिए गए अनुसार नवीनीकृत नहीं किया जाता है, या उस दिन जब हमारे उक्त घटक अपने दायित्वों का पालन करते हैं, जिसके लिए अकेले आरबीआई द्वारा लिखित रूप में एक प्रमाण पत्र निर्णायक प्रमाण है, जो भी तारीख बाद में हो। जब तक हमारे खिलाफ कोई दावा या मुकदमा या कार्रवाई किसी विस्तारित अवधि के भीतर दायर नहीं की जाती है, तब तक इस गारंटी के तहत हमारे खिलाफ आरबीआई के सभी अधिकार जब्त कर लिए जाएंगे और हमें यहां के तहत हमारे सभी दायित्वों और देनदारियों से मुक्त और मुक्त कर दिया जाएगा। गवाह में जिसके बारे में बैंक के मैंने/हमने ---------- (माह) (वर्ष) के -------- -- दिन इस गारंटी पर हस्ताक्षर किए हैं और इस पर मुहर लगा दी है। _____ (बैंक का नाम) की ओर से अधिकृत बैंक के आधिकारिक नाम के हस्ताक्षर के लिए और उसकी ओर से हस्ताक्षर किए गए हैं: गवाह

1 हस्ताक्षर नाम.....पता (एनबी: इस गारंटी के लिए राज्य में लागू स्टांप शुल्क की आवश्यकता होगी, जहां इसे निष्पादित किया जाता है और उस अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित किया जाएगा जिसके हस्ताक्षर और अधिकार सत्यापित किए जाएंगे)।

अनुलग्नक XI

भारत के साथ देश की भूमि सीमा साझा करने के संबंध में बोलीदाता द्वारा उपक्रम / घोषणा / प्रमाण पत्र के लिए प्रोफार्मा

(बोलीदाताओं द्वारा अपने लेटरहेड पर विधिवत सील और अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा हस्ताक्षरित प्रस्तुत किया जाना है)

श्री यारासी जयकुमार तिथि:
क्षेत्रीय निदेशक,
भारतीय रिज़र्व बैंक,
फोर्ट ग्लेसिस,
नंबर 16, राजाजी सलाई,
चेन्नई – 600 001.

रेफरी: _____ के लिए आवेदन

महोदया,
मैं/हम (नाम और पता, स्थान के देश सहित
(ख) ने 23 जुलाई, 2020 को कार्यालय ज्ञापन (ओएम) एफ. संख्या 6/18/2019-पीपीडी की सामग्री को पढ़ा और समझा है और सार्वजनिक खरीद प्रभाग, व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी इसके बाद के आदेशों/संशोधनों को भारत सरकार के साथ भूमि सीमा साझा करने वाले देश के बोलीदाता से खरीद पर प्रतिबंध के संबंध में पढ़ा और समझा है।

दो मैं/हम प्रमाणित करते हैं कि (बोलीदाता का नाम)

दो.एक भारत के साथ भूमि सीमा साझा करने वाले देश से नहीं है, या
दो.दो भारत के साथ भूमि सीमा साझा करने वाले देश से है और सक्षम प्राधिकारी के साथ पंजीकृत किया गया है, जिसका प्रमाण पत्र संलग्न है, या
दो.तीन भारत के साथ भूमि सीमा साझा करने वाले देश से है जहां भारत सरकार ने ऋण सहायता प्रदान की है, या
दो.चार भारत के साथ भूमि सीमा साझा करने वाले देश से है जहां भारत सरकार विकास परियोजनाओं में लगी हुई है।

(उपरोक्त में से जो भी लागू नहीं है, स्ट्राइकआउट करें)।

तीन मैं/हम आगे प्रमाणित करते हैं कि (बोलीदाता का नाम) सभी आवश्यकताओं को पूरा करता है

इस संबंध में और उपर्युक्त संदर्भित कार्यालय ज्ञापन और इसके बाद के आदेशों/संशोधन के प्रावधान के तहत विचार किए जाने के लिए पात्र है। मैं/हम यह भी वचन देते हैं कि उन अनुबंधों के मामले में भी जहां हमें बैंक/आरबीआई द्वारा उप-अनुबंध करने की अनुमति दी जाती है, मैं / हम (नाम
(ख) भारत के साथ भू-सीमा साझा करने वाले देशों (देशों) के बोलीदाता को किसी भी कार्य का उप-ठेका नहीं देगा, जब तक कि ऐसा बोलीदाता उपर्युक्त में निहित सभी अपेक्षाओं को पूरा नहीं करता है
कार्यालय ज्ञापन/आदेश।

4. मैं/हम जानते हैं और समझते हैं कि, यदि यह उपक्रम/घोषणा/प्रमाण पत्र द्वारा प्रस्तुत किया गया है
हमें गलत पाया जाता है, बैंक हमारी निविदा/कार्य आदेश को अस्वीकार/समाप्त करने के लिए स्वतंत्र होगा और यह कि बैंक कानून के अनुसार किसी भी कानूनी कार्रवाई को शुरू करने के लिए स्वतंत्र होगा, जिसमें बयाना धन जमा / प्रदर्शन

बैंक गारंटी / सुरक्षा जमा को जब्त करना और/या हमें भविष्य में बैंक द्वारा आमंत्रित निविदाओं में भाग लेने से प्रतिबंधित करना शामिल है।

रबर स्टैम्प के साथ बोलीदाता के अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर और नाम

दिनांक:

स्थान:

अनुलग्नक XII

<u>इस बोली में भाग लेने के लिए ओईएम से प्राधिकरण पत्र का प्रोफार्मा</u>

(अपने लेटरहेड पर प्रस्तावित उपकरण के निर्माता द्वारा जारी किया जाना है)

श्री यारासी जयकुमार तिथि:
क्षेत्रीय निदेशक,
भारतीय रिज़र्व बैंक,
फोर्ट ग्लेसिस,
नंबर 16, राजाजी सलाई,
चेन्नई – 600 001.

सर

विषय: मैसर्स मैसर्स को प्राधिकरण पत्र _____ बोली में भाग लेने के लिए बैंक के मुख्य कार्यालय भवन, आरबीआई चेन्नई के लिए माइक्रोप्रोसेसर आधारित सुरक्षा अलार्म सिस्टम का डिजाइन, आपूर्ति, स्थापना, परीक्षण और कमीशनिंग (डीएसआईटीसी)

हम _____, (निर्माता का नाम और पता) का निर्माता _____ कारखाने होने _____ (विनिर्माण/विकास के पते स्थान) क्या इसके द्वारा अधिकृत करें मैसर्स _____ (निविदाकर्ता का नाम और पता) हमारे द्वारा निर्मित/विकसित उपरोक्त उपकरण/सॉफ्टवेयर के लिए उपर्युक्त निविदा के खिलाफ आपके साथ बोली लगाने, बातचीत करने और अनुबंध समाप्त करने के लिए।

हम इसके साथ प्रमाणित करते हैं कि उपर्युक्त उपकरण/सॉफ्टवेयर उत्पाद उत्पादों की वर्तमान लाइन हैं और हम इस पत्र की तारीख से न्यूनतम 08 वर्षों की अवधि के लिए सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के लिए पुर्जों/उन्नयन की उपलब्धता के संदर्भ में इन उपकरणों/सॉफ्टवेयर का समर्थन करने का वचन देते हैं।

मैसर्स की अप्रत्याशित घटना में _____ (निविदाकर्ता का नाम और पता) अगले 08 वर्षों (प्रतिबद्ध समर्थन अवधि) के दौरान किसी भी समय हमारे अधिकृत डीलर/भागीदार नहीं बने रहना और अनुबंध की शर्तों के अनुसार आपको बिक्री के बाद सहायता प्रदान करने से इनकार करना, हम बिक्री के बाद आवश्यक समर्थन का विस्तार करने का वचन देते हैं, जिसमें पुर्जों की आपूर्ति शामिल है, या तो सीधे स्वयं या किसी अन्य अधिकृत डीलर/भागीदार के माध्यम से।

तुम्हारा ईमानदारी से,

क लिए आर का आर स

मैसर्स _____(निर्माता का नाम)

अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर:

नाम:

उपाधि:

पता :

तिथि :

अनुलग्नक XIII

बोलीदाता द्वारा कानूनी कार्रवाई/सिविल मुकदम/मुकदमेबाजी/मध्यस्थता पर उपक्रम

[आवेदक के लेटर हेड पर]

दिनांक:

श्री यारासी जयकुमार
क्षेत्रीय निदेशक,
भारतीय रिज़र्व बैंक,
फोर्ट ग्लेसिस,
नंबर 16, राजाजी सलाई,
चेन्नई – 600 001.

रेफरी: _____ के लिए आवेदन

महोदया,

एक मैं/हम (बोलीदाता का नाम) घोषणा करता है कि कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की गई है

किसी भी कानूनी अधिकार क्षेत्र में किसी भी कारण से हमारे खिलाफ लिया जा रहा है।

एक. मैं/हम (बोलीदाता का नाम) घोषणा करते हैं कि हमारे खिलाफ निम्नलिखित कानूनी कार्रवाई की गई है/की जा रही है:

..... (कानूनी कार्रवाई का विवरण, विचाराधीन परियोजना, कानूनी प्राधिकरण आदि शामिल हैं)

.....

हालांकि, हम पुष्टि करते हैं कि उपरोक्त कानूनी कार्रवाई पैनल के लिए आवेदन के अनुसार बैंक की आवश्यकताओं को पूरा करने की हमारी क्षमता को प्रभावित नहीं करती है।

(नोट: उपरोक्त दो घोषणाओं में से एक को हटा दें जो लागू नहीं है)

दो. इसके अलावा, हम यह भी घोषित करें कि दीवानी मुकदमे/मुकदमेबाजी/मध्यस्थता आदि का कोई मामला नहीं है।

हमारी किसी भी निष्पादित परियोजना में से किसी में भी शुरू किया गया है

2. इसके अलावा, हम यह भी घोषणा करें कि निम्नलिखित सिविल मुकदमे/मुकदमेबाजी/मध्यस्थता मामले हमारी निष्पादित परियोजनाओं में शुरू किए गए थे/हैं:

..... (परियोजना का विवरण और कार्रवाई का प्रकार आदि)

.....

(नोट: उपरोक्त दो घोषणाओं में से एक को हटा दें जो लागू नहीं है)

बोलीदाता के अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर और नाम
रबर स्टैम्प के साथ

दिनांक:

स्थान:

अनुलग्नक XIV

सार्वजनिक संस्थानों द्वारा प्रतिबंध की घोषणा के संबंध में निविदा में शामिल किए जाने वाले वचन:

(निविदाकर्ता द्वारा उनके लेटरहेड पर प्रस्तुत किया जाना है)

काम का नाम:.....

एक. मैं/हम (बोलीदाता का नाम) घोषणा करता है कि

अ) मैं/हम या हमारी कोई भी संबद्ध फर्म* भारत या किसी अन्य देश में किसी भी सार्वजनिक संस्थान/संस्था द्वारा प्रतिबंधित/निलंबित/काली सूची में नहीं (बोली जमा करने की अंतिम तिथि)।

आ) मैं/हम या हमारी किसी भी संबद्ध फर्म * ने पिछले तीन वर्षों में भारत या किसी अन्य देश में किसी भी सार्वजनिक संस्थान/संस्था के साथ सत्यनिष्ठा संहिता (जैसा कि निविदा में उल्लिखित है) के संबंध में कोई उल्लंघन नहीं किया है..... (बोली जमा करने की अंतिम तिथि)।

इ) मैं/हम या हमारी किसी भी सहयोगी फर्म को बोली जमा करने की अंतिम तिथि तक सार्वजनिक खरीद (मेक इन इंडिया) आदेश, 2017 के उल्लंघन के लिए किसी भी खरीद इकाई द्वारा प्रतिबंधित नहीं किया गया है।

ई) हम बैंक को लिखित रूप में सूचित करेंगे, यदि मैं/हम या हमारी कोई संबद्ध फर्म * भारत या किसी अन्य देश में किसी भी सार्वजनिक संस्थान/संस्था द्वारा कैप्शन किए गए कार्य के लिए काम देने से पहले या उससे पहले प्रतिबंधित/निलंबित/काली सूची में डाल दिया गया है।

दो. मैं/हम (बोलीदाता का नाम) घोषणा करता है कि मैं/हम या हमारी संबद्ध फर्म* (संबद्ध फर्म का नाम) द्वारा प्रतिबंधित/निलंबित/काली सूची में डाल दिया गया है (भारत या किसी अन्य देश में सार्वजनिक संस्थान का नाम और पता) और यह(तारीख) तक प्रभावी है। आपकी जानकारी और रिकॉर्ड के लिए ऐसे पत्र की एक प्रति संलग्न है।

(बोली लगाने वाले की मुहर और हस्ताक्षर)
तारीख
स्थान
(नोट: उपरोक्त दो घोषणाओं में से एक को हटा दें जो लागू नहीं है)

*एलाइड फर्म: एक फर्म को "एलाइड फर्म" कहा जाएगा यदि प्रबंधन सामान्य है, या पर्याप्त या बहुमत शेयर प्रतिबंधित/निलंबित फर्म के स्वामित्व में हैं और इसके आधार पर इसकी एक नियंत्रित आवाज है। इसके अलावा सभी उत्तराधिकारी फर्मों को भी संबद्ध फर्मों के रूप में माना जाएगा।

अनुलग्नक XV

वार्षिक रखरखाव अनुबंध के लिए समझौता
(**500** रुपये गैर न्यायिक स्टांप पेपर पर)

वार्षिक रखरखाव अनुबंध के लिए समझौते के लेख
(500 रुपये के गैर-न्यायिक स्टांप पेपर पर)

यह समझौता अनुबंध भारतीय रिजर्व बैंक, केंद्रीय कार्यालय, मुंबई है (और_____के मध्य दिनांक_____ को इसके) बाद "नियोक्ता" और" ठेकेदार "कहा जाएगा (नि ष्पादि त कि या गया।
जबकि नियोक्ता _____(कार्य का नाम (हेतु _____ की अवधि के लिए वार्षिक रखरखाव अनुबंध का इच्छुक है और उसने किए जाने वाले कार्यों की विशिष्टताओं और मात्राओं के अनुरूप अपेक्षित कार्य के लिए हस्ताक्षरित अथवा पार्टियों द्वारा या इसके लिए हस्ताक्षरित किए गए हैं ।
और जबकि ठेकेदार इस विषय के काम पर यहां निर्धारित शर्तों और विशेष शर्तों में उल्लिखित और अनुबंध की मात्राओं और शर्तों की अनुसूची में संशोधित करके अंतत :दोनों पक्षों द्वारा स्वीकृति के लिए सहमति हुई है
इन) सभी सामूहिक रूप से इसके बाद" उक्त शर्तों" के रूप कहा जाएगा ,(उक्त मानचित्रों पर दिखाए गए कार्यों और/या उक्त विनिर्देशों में वर्णित और संबंधित दरों में मात्रा की अनुसूची में शामिल है, उसके बाद निकाली गई राशि या अन्य राशि के रूप में इसके तहत देयइसके) बाद "उक्त अनुबंध राशि "के रूप में संदर्भित (होगा।
समझौते के अनुच्छेद ने _____
भारतीय रिज़र्व बैंक, चेन्नई (इसके बाद "बैंक" कहा जाता है) के बीच _____ का दिन और **दूसरे भाग के** _____ **(इसके बाद "बोलीदाता" कहा जाता है) के बीच।**

जबकि बैंक _____ **for**_____**(**कार्य का नाम) *के लिए वार्षिक रखरखाव अनुबंध का इच्छुक है* और किए जाने वाले कार्यों का वर्णन करने वाले विनिर्देशों और मात्रा के बिल का कारण बना है, जिन पर पार्टियों द्वारा या उनकी ओर से हस्ताक्षर किए गए हैं।

और जबकि बोलीदाता यहां निर्धारित शर्तों और विशेष शर्तों में निर्धारित शर्तों और अनुबंध की मात्रा और शर्तों के बिल में निर्धारित शर्तों के लिए विषय कार्य को निष्पादित करने के लिए सहमत हो गया है, जैसा कि संशोधित और अंत में दोनों पक्षों द्वारा स्वीकार किया गया है (जिनमें से सभी को सामूहिक रूप से इसके बाद "उक्त शर्तें" के रूप में संदर्भित किया गया है) उक्त आरेखों पर दिखाए गए कार्य और/या उक्त विनिर्देशों में वर्णित और उसमें निर्धारित संबंधित दरों पर मात्रा के बिल में शामिल किया गया है, जो उस राशि के रूप में प्राप्त की गई राशि या ऐसी अन्य राशि जो उसके तहत देय हो जाएगी (इसके बाद "उक्त अनुबंध राशि" के रूप में संदर्भित)।

यह एतदद्वारा अब सहमति के साथ इस प्रकार है :

अब इस पर इस प्रकार सहमति व्यक्त की जाती है:

1.	यह वार्षिक रखरखाव अनुबंध (प्रणाली के सभी भाग) 19 वर्ष की अवधि के लिए है। अनुबंध की दर को इस समझौते के उपबंध 3B के अनुसार नवीनीकृत किया जाएगा। यह वार्षिक रखरखाव अनुबंध (यानी सिस्टम के सभी भागों) 19 साल की अवधि के लिए**।** अनुबंध की दर इस समझौते के खंड 3 बी के अनुसार नवीनीकृत की जाएगी।
2.	बैंक _____ में _____ के रख-रखावकार्य के निष्पादन हेतु फ़र्म को रू_____ के लिए भुगतान कि या जाएगा। **फर्म को _____ के लिए बैंक _____by के लिए _____ रुपये का भुगतान किया जाएगा।**

3	अ. **वारंटी / दोष देयता अवधि और व्यापक वार्षिक रखरखाव अनुबंध अवधि के दौरान काम का दायरा:** १. सुनिश्चित करें कि इस समझौते के तहत बैंक द्वारा आवश्यक सेवाएं प्रदान करने के उद्देश्य से उनके द्वारा योग्य टीम तैनात की जाए। २. सुनिश्चित करें कि उसके कर्मचारी, बैंक परिसर में रहते हुए या इस समझौते के तहत अपने दायित्वों का पालन करते समय, बैंक और बैंक द्वारा निर्धारित स्वच्छता, शिष्टाचार, सुरक्षा, अच्छे व्यवहार और सामान्य अनुशासन के मानकों का पालन करते हैं, इस बात का एकमात्र न्यायाधीश होगा कि बोलीदाता और/या उसके कर्मचारियों ने इसका पालन किया है या नहीं। ३. व्यक्तिगत रूप से, और विशेष रूप से अपने कर्मचारियों के काम की निगरानी करें ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि इस समझौते के तहत प्रदान की गई सेवाएं बैंक की संतुष्टि के लिए की जाती हैं। ४. सुनिश्चित करें कि बोलीदाता का कोई भी कर्मचारी निर्दिष्ट समय सीमा से अधिक बैंक के परिसर में प्रवेश नहीं करेगा या रहेगा जब तक कि बोलीदाता के दायित्वों को पूरा करने के लिए आवश्यक न हो। ५. बैंक या उसके परिसर या उसके किसी भी हिस्से या उसके किसी भी उपकरण या बैंक की किसी भी संपत्ति को हुए किसी भी नुकसान के लिए उत्तरदायी हो और उसमें बोलीदाता या उसके कर्मचारियों या एजेंटों के किसी भी कार्य, चूक, चूक या लापरवाही से। ६. आपूर्ति किए गए उपकरण को बैंक को उपकरण सौंपने की तारीख से डीएलपी और सीएएमसी अवधि के लिए सभी प्रकार की खामियों के खिलाफ गारंटी दी जाएगी। गारंटी अवधि के भीतर पाए जाने वाले सिस्टम / सब-असेंबली / एआरडी के छोटे हिस्सों जैसे छोटे हिस्सों जैसे कॉल बटन, कार एलईडी लाइट/पंखे/एलईडी पैनल आदि में किसी भी दोष को बोलीदाता द्वारा नि: शुल्क सुधार/प्रतिस्थापित किया जाएगा। किसी भी असेंबली/पार्ट्स/बैटरी/वायरिंग को प्रतिस्थापन/टूट-फूट/क्षतिग्रस्त केबल और/या किसी भी पुर्जे के पुर्जे आदि की आवश्यकता होती है, को आवश्यकता पड़ने पर बदल दिया जाएगा, जिसके लिए बैंक अनुबंध के नियमों और शर्तों के अनुसार भुगतान नहीं करेगा। ७. इस प्रणाली को सीएएमसी के तहत 19 वर्षों की अवधि के लिए बनाए रखने की भी आवश्यकता है**।** ८. इस अवधि के दौरान (डीएलपी और सीएएमसी) कम से कम **4** सर्विसिंग (रेल की सफाई, चलती भागों की स्नेहन, इलेक्ट्रो मैकेनिकल घटकों की जांच, सुरक्षा, इंटरलॉकिंग जांच या ओईएम द्वारा अनुशंसित किसी भी अन्य जांच) पर सर्विसिंग और किसी भी संख्या में ब्रेकडाउन कॉल में भाग लेना मुफ्त में किया जाएगा। ९. डीएलपी के दौरान कोई भुगतान नहीं होता है। हालांकि, सीएएमसी का भुगतान **संतोषजनक सेवाएं प्रदान करने पर** छमाही पर किया जाएगा। १०. वार्षिक रखरखाव सेवा अनुबंध दर में सभी लागतों पर भी विचार किया जाएगा, जिसमें श्रम, निकटतम सर्विस स्टेशन से यात्रा लागत, सभी पुर्जों के पुर्जे, तेल, केबल, और प्रौद्योगिकियों का उन्नयन और आवश्यकता पड़ने पर सिस्टम का स्थानांतरण, सिस्टम के सुचारू संचालन के लिए आवश्यक उपभोज्य वस्तुओं आदि शामिल हैं। ११. बोलीदाता बैंक के इंजीनियर के ड्राइंग, विवरण और निर्देशों के अनुसार सभी कार्यों को सख्ती से पूरा करेगा। यदि बैंक के इंजीनियर की राय में, साइट की स्थिति के अनुरूप नाममात्र परिवर्तन किए जाने हैं और बैंक के लिखित रूप में पूर्व अनुमोदन के साथ, वे चाहते हैं कि बोलीदाता इसे पूरा करे, तो बोलीदाता बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के इसे पूरा करेगा।
	जन्म। व्यापक एएमसी की दर का नवीनीकरण: सेवा अनुबंध की राशि दो साल के बाद कम से कम 18 साल की अतिरिक्त अवधि के लिए नवीनीकृत की जाएगी (एक साल की दोष देयता अवधि और उद्धृत दरों पर एक साल का एएमसी)। नवीनीकरण करते समय अनुबंध की राशि निम्नलिखित सूत्र के आधार पर प्राप्त की जाएगी।

एसी = एपी [(50 x(ईपीआईसी/ईपीआईपी)+50x(सीपीआईसी/सीपीआईपी)]/100

एसी	चालू वर्ष के लिए अनुबंध राशि (करों को छोड़कर)
एपी	पिछले वर्ष के लिए अनुबंध राशि (करों को छोड़कर)
सीपीआईसी	औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (अखिल भारतीय औसत) चालू वर्ष के लिए अनुबंध की प्रारंभ तिथि से 6 महीने पहले
सीपीआईपी	औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (अखिल भारतीय औसत) पिछले वर्ष के लिए अनुबंध की प्रारंभ तिथि से 6 महीने पहले
महाकाव्य	चालू वर्ष के लिए अनुबंध की प्रारंभ तिथि से 6 महीने पहले **आवश्यक वस्तु के अनुसार** थोक मूल्य सूचकांक।
ईपीआईपी	पिछले वर्ष के लिए अनुबंध की प्रारंभ तिथि से 6 महीने पहले **आवश्यक वस्तु के अनुसार** थोक मूल्य सूचकांक

प्रतिनियुक्त तकनीशियन के वार्षिक वेतन में नवीनीकरण

एसी = एपीएक्स (सीपीआईसी/सीपीआईपी)

एसी चालू वर्ष के लिए अनुबंध राशि (करों को छोड़कर)
एपी पिछले वर्ष के लिए अनुबंध राशि (करों को छोड़कर)
सीपीआईसी
औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (अखिल भारतीय औसत) चालू वर्ष के लिए अनुबंध की प्रारंभ तिथि से 6 महीने पहले
सीपीआईपी
औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (अखिल भारतीय औसत) पिछले वर्ष के लिए अनुबंध की प्रारंभ तिथि से 6 महीने पहले

C. व्यक्ति की प्रतिनियुक्ति:

प्रतिनियुक्त व्यक्तियों की योग्यता:

• कुशल कार्यकर्ता: मैकेनिकल / इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में न्यूनतम आईटीआई धारक के साथ 3 साल का अनुभव

4 **जुर्माना:** सिस्टम में किसी भी दोष को नीचे दिए गए सुधार समय के अनुसार ठीक किया जाएगा, जिसमें विफल रहने पर जुर्माना लागू किया जाएगा।

क्र. नं.	सिस्टम में दोष का प्रकार	सुधार का समय	जुर्माना

	a)	कोई भी दोष जिसके परिणामस्वरूप सिस्टम पूरी तरह से विफल हो जाता है	24 घंटे	500/- रुपये प्रति दिन फर्म द्वारा प्रस्तुत पीबीजी के मूल्य के अधिकतम 10% के अध्यधीन।
	b)	स्वतंत्र उपकरणों, घटकों, केबलों में कोई भी दोष जिसके परिणामस्वरूप सिस्टम की पूर्ण विफलता नहीं हो सकती है	72 घंटे	250/- रुपये प्रति दिन फर्म द्वारा प्रस्तुत पीबीजी के मूल्य के अधिकतम 10% के अध्यधीन।
5	**भुगतान शर्त :**सेवा अनुबंध के लिए यह दर संतोषजनक सेवा प्रदान करने पर अर्धवार्षिक आधार पर 1 वर्ष के भुगतान की अवधि के लिए मान्य है। **भुगतान की शर्त**: सेवा अनुबंध के लिए यह दर 1 वर्ष की अवधि के लिए वैध है और संतोषजनक सेवा प्रदान करने पर छमाही आधार पर भुगतान किया जाएगा।			
6	इस अनुबंध के तहत नियोक्ता द्वारा सभी भुगतान केवल मुम्बई में किए जाएंगे। इस अनुबंध के तहत बैंक द्वारा सभी भुगतान केवल चेन्नई में किए जाएंगे ।			
7	इस समझौते से जुड़े या किसी भी तरह से उत्पन्न होने वाले सभी विवादों को मुंबई में उत्पन्न माना जाएगा और केवल मुम्बई की अदालतों को ही यह निर्धारित करने का क्षेत्राधिकार होगा। इस समझौते से उत्पन्न होने वाले या किसी भी तरह से जुड़े सभी विवादों को चेन्नई में उत्पन्न माना जाएगा और केवल चेन्नई के न्यायालयों के पास इसे निर्धारित करने का अधिकार क्षेत्र होगा।			
8	गैर-प्रकटीकरण खंड: बोलीकर्ता, बैंक के बुनियादी ढांचे/प्रणालियों/उपकरणों आदि की प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी भी जानकारी, सामग्री और विवरण का किसी तीसरे पक्ष को खुलासा नहीं करेगा, जो इस समझौते के संबंध में अपने संविदात्मक दायित्वों के निर्वहन के दौरान बोलीकर्ता के कब्जे या ज्ञान के पास आ सकता है, और हर समय इस पर विश्वास रखेगा। बोलीदाता सिवाय इसके तहत दायित्वों को पूरा करने या लागू कानूनों का पालन करने के लिए आवश्यक सीमा के अलावा अनुबंध के विवरण को वैयक्क और गोपनीय मानेगा। बोलीकर्ता नियोक्ता की पिछली लिखित सहमति के बिना किसी भी व्यापार या तकनीकी पत्र या अन्य जगहों पर कार्यों के किसी भी विवरण का खुलासा, प्रकाशित होने की अनुमति नहीं देगा। बोलीकर्ता ,किसी भी गोपनीय जानकारी के प्रकटीकरण के परिणामस्वरूप नियोक्ता को होने वाले किसी भी नुकसान के लिए नियोक्ता को क्षतिपूर्ति करेगा। उपर्युक्त का पालन करने में विफलता को बोलीदाता की ओर से अनुबंध का उल्लंघन माना जाएगा और नियोक्ता नुकसान का दावा करने और कानूनी उपचारों को आगे बढ़ाने का हकदार होगा। बोलीकर्ता अपने कर्मचारियों के मध्य सभी उचित कार्रवाई करेगा ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि इस समझौते के तहत गोपनीय सूचनाओं का प्रकटीकरण न करने के दायित्व पूरी तरह से संतुष्ट हों । गैर-प्रकटीकरण और गोपनीयता के संबंध में बोलीकर्ता के दायित्व किसी भी कारण से इस समझौते की समाप्ति या समाप्ति से बच जाएंगे। **गैर-प्रकटीकरण खंड:** बोलीदाता प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से बैंक के बुनियादी ढांचे/प्रणालियों/उपकरणों आदि की किसी भी जानकारी, सामग्री और विवरण का खुलासा नहीं करेगा, जो इस समझौते के संबंध में अपने संविदात्मक दायित्वों का निर्वहन करने के दौरान बोलीदाता के कब्जे या ज्ञान में आ सकता है, किसी भी तीसरे पक्ष को और हर समय इसे सख्त विश्वास में रखेगा। बोलीदाता अनुबंध के विवरण को निजी और गोपनीय मानेगा, सिवाय इसके कि इसके तहत दायित्वों को पूरा करने या लागू कानूनों का पालन करने के लिए आवश्यक सीमा को छोड़कर। बोलीदाता बैंक की पूर्व लिखित सहमति के बिना किसी भी व्यापार या तकनीकी पत्र या अन्य जगहों पर किसी भी कार्य के विवरण को प्रकाशित, प्रकाशित करने की अनुमति या प्रकट नहीं करेगा। बोलीदाता किसी भी गोपनीय जानकारी के प्रकटीकरण के परिणामस्वरूप बैंक को होने वाले किसी भी नुकसान के लिए बैंक को क्षतिपूर्ति करेगा। उपरोक्त का पालन करने में विफलता को बोलीदाता की ओर से अनुबंध के उल्लंघन के रूप में माना जाएगा और बैंक नुकसान का दावा करने और कानूनी उपाय करने का हकदार होगा। बोलीदाता अपने कर्मचारियों के संबंध में सभी उचित कार्रवाई करेगा ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि इस समझौते के तहत गोपनीय जानकारी का खुलासा न करने के दायित्व पूरी तरह से संतुष्ट हैं। गैर-प्रकटीकरण और गोपनीयता के संबंध में बोलीदाता के दायित्व किसी भी कारण से इस समझौते की समाप्ति या समाप्ति से बचेंगे।			
9.	यौन उत्पीड़न की रोकथाम संबंधी उपबंध यौन उत्पीड़न की रोकथाम खंड/			

	ठेकेदार/एजेंसी कार्य स्थल) रोकथाम, निषेध और निवारण (अधिनियम 2013 में महिलाओं के यौन उत्पीड़न के प्रावधान के पूर्ण अनुपालन के लिए पूरी तरह जिम्मेदार होगी। बैंक के परिसर के भीतर अपने कर्मचारी के खिलाफ यौन उत्पीड़न की किसी भी शिकायत के मामले में ठेकेदार/एजेंसी द्वारा गठित आंतरिक शिकायत समिति के समक्ष शिकायत दर्ज की जाएगी और ठेकेदार/एजेंसी शिकायत के संबंध में उक्त अधिनियम के तहत उचित कार्रवाई सुनिश्चित करेगी । बैंक के किसी भी कर्मचारी के खिलाफ ठेकेदार के किसी भी गंभीर कर्मचारी से यौन उत्पीड़न की किसी भी शिकायत का बैंक द्वारा गठित क्षेत्रीय शिकायत समिति द्वारा संज्ञान लिया जाएगा यदि ठेकेदार के कर्मचारी द्वारा यौन हिंसा साबित हो जाती है, तो ठेकेदार किसी भी मौद्रिक मुआवजे के लिए जिम्मेदार होगा, जिसे घटना में कर्मचारी शामिल होने की स्थिति में भुगतान करने की आवश्यकता हो सकती है। ठेकेदार अपने कर्मचारी को कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की रोकथाम और संबंधित मुद्दे के बारे में शिक्षित करने के लिए जिम्मेदार होगा। ठेकेदार अपने कर्मचारी की एक पूरी और अद्यतन सूची प्रदान करेगा जो बैंक के परिसर के भीतर तैनात हैं। बोलीदाता/एजेंसी "कार्य स्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम 2013" के प्रावधान के पूर्ण अनुपालन के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार होगी। बैंक के परिसर के भीतर अपने कर्मचारी के खिलाफ यौन उत्पीड़न की किसी भी शिकायत के मामले में, बोलीदाता/एजेंसी द्वारा गठित आंतरिक शिकायत समिति के समक्ष शिकायत दर्ज की जाएगी और बोलीदाता/एजेंसी शिकायत के संबंध में उक्त अधिनियम के तहत उचित कार्रवाई सुनिश्चित करेगी। बैंक के किसी भी कर्मचारी के खिलाफ बोलीदाता के किसी भी उत्तेजित कर्मचारी द्वारा यौन उत्पीड़न की किसी भी शिकायत का बैंक द्वारा गठित क्षेत्रीय शिकायत समिति द्वारा संज्ञान लिया जाएगा बोलीदाता किसी भी मौद्रिक मुआवजे के लिए जिम्मेदार होगा, जिसे कर्मचारी के साथ घटना के मामले में भुगतान करने की आवश्यकता हो सकती है, यदि बोलीदाता के कर्मचारी द्वारा यौन हिंसा साबित हो जाती है। बोलीदाता अपने कर्मचारी को कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की रोकथाम और संबंधित मुद्दों के बारे में शिक्षित करने के लिए जिम्मेदार होगा। बोलीदाता अपने कर्मचारियों की एक पूरी और अद्यतन सूची प्रदान करेगा जो बैंक के परिसर में तैनात हैं।

सेवा प्रदाता के हस्ताक्षर
सील सहित
सेवा प्रदाता के हस्ताक्षर बैंक प्रतिनिधि के हस्ताक्षर
) सील के साथ) (सील के साथ)

बैंक प्रतिनिधि के हस्ताक्षर
सील सहित

अनुलग्नक XVI

(कंपनी लेटर हेड पर दिया जाना है)

दिनांक: -----

<u>किसके लिए भी यह चिंता का विषय हो सकता है</u>

विषय: स्थानीय सामग्री की घोषणा
निविदा संदर्भ संख्या: ----------
निविदा/कार्य का नाम:
एक. पेश किए जा रहे माल का मूल देश:

दो. हम एतद्द्वारा घोषणा करते हैं कि पेश की गई वस्तुओं में _ _ % स्थानीय सामग्री है जो हमें (कक्षा । स्थानीय/कक्षा 11 स्थानीय/गैर-स्थानीय) आपूर्तिकर्ता के रूप में योग्य बनाती है।

3. उस स्थान का विवरण जिस पर स्थानीय मूल्यवर्धन किया जाएगा/किया जाएगा (पूरा पता उल्लेख किया जाना है): _____
"स्थानीय सामग्री" का अर्थ है भारत में मूल्य वर्धित की वह राशि, जो कुल मूल्य के अनुपात के रूप में वस्तु में आयातित सामग्री के मूल्य (सभी सीमा शुल्क सहित) को घटाकर पेश की जा रही वस्तु का कुल मूल्य होगा।
"* झूठी घोषणा सामान्य वित्तीय नियमों के नियम 175 (1) (i) (एच) के तहत अखंडता की संहिता का उल्लंघन होगी, जिसके लिए एक बोलीदाता या उसके उत्तराधिकारियों को सामान्य वित्तीय नियमों के नियम 151 (iii) के अनुसार दो साल तक के लिए प्रतिबंधित किया जा सकता है।

तुम्हारा ईमानदारी से,

(बोलीदाता के हस्ताक्षर, आधिकारिक मुहर के साथ)